खण्ड-338, अंक-5
सोमवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1901
(7 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक ७ मई, १९७९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २७२

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णाराय, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मछे बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री

जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पधान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बरफिया लाल जुबांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बादू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री

मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मौहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल शर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह जूदव, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री,
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री

सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री, श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ मई, १९७९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला स्तर पर विकास निगम की स्थापना की मांग

**१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला स्तर पर विकास निगमों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम की घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन का कार्य आरम्भ हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए जो जिलों के लिए समन्वित योजनायें बन रही हैं, उसके कार्यान्वयन के लिए मण्डलीय विकास निगम की कोई एजेंसी जिलास्तर पर गठित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं । कोई विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मन्डलीय स्तर पर विकास मन्डल बने हैं, इनको कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसमें, मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो जिला विकास केन्द्र, उद्योग बनाए गए है, उन्होंने निगमों का नाम ले लिया है और जिला उद्योग अधिकारी का नाम बदल करके जनरल मैनेजर किया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद---

माननीय सदस्य कृपया अपने प्रश्न को पुनः दोहरा दें, तो ज्यादा ठीक होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने कहा---जी नहीं । कोई विचार नहीं है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि हर एक जिले में जो जिले उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है और डिस्ट्रिक इन्डस्ट्रीज अफिसर का नाम बदल करके जनरल मैनेजर किया गया है और इसीलिए किया गया है कि निगमों के दृष्टिकोण से ऋण का वितरण कर सकें ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

यह जरूर है कि जिला उद्योग खोले जा रहे हैं, लेकिन उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरी बात जो तिवारी जी ने कही, मान्यवर, सभी जिला उद्योग अधिकारी जनरल मैनेजर नहीं हो रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

कितने हुए ?

श्री राम नरेश यादव---

जो भी हुए हैं, लेकिन समस्त जिला उद्योग अधिकारी जनरल मैनेजर हो जायेंगे ऐसा नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मन्डलीय विकास निगमों के लिए आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं, लेकिन वहां पर लोगों से कन्टैक्ट इत्यादि करना होता है और जिस कार्य की उनसे अपेक्षा होती है, शासन को, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मन्डलीय विकास निगमों पर गैर सरकारी लोग होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह इससे नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

प्रश्न बिलकुल साफ है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

क्या इस बात पर माननीय मन्त्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद---

विचार किया जा सकता है ।

प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति का आधार

**२--श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में कितने वर्षों के बाद प्रोन्नत किया जाता है और प्रोन्नत का आधार क्या है ? क्या सरकार कोई ऐसा मापदन्ड निर्धारित करने की कृपा करेगी, जिससे प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में अनुभव के आधार पर प्रवेश पा सकें ? यदि हां, तो सरकार ऐसे मापदन्ड का निर्धारण कब तक कर देगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

भारतीय पुलिस सेवा में प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति आई० पी० एस० (एप्वाइन्टमेन्ट बाई प्रोमोशन) रेगुलेशन्स, १९५५ के प्राविधानों के अनुसार की जाती है । कथित रेगुलेशन्स के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा की सेलेक्ट लिस्ट के लिए राज्य पुलिस सेवा के वही अधिकारी पात्रता क्षेत्र में आते है जो चयन समिति की बैठक के वर्ष के प्रथम दिन को राज्य पुलिस सेवा में स्थायी हों और जिन्होंने पुलिस उपाधीक्षक अथवा समकक्ष पद पर आठ वर्ष की अन्यून निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो । चयन श्रेष्ठता के आधार पर उन सभी अधिकारियों में से किया जाता है जो उक्त प्रकार से अर्हता पूरी करते हैं ।

केवल अनुभव के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश का मापदन्ड निर्धारित करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है ।

मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों में परियोजना प्रशासक के पद पर नियुक्ति

**३--श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि सरकार ने जनपद मेरठ के ब्लाक बिनौली, बड़ौत एवं छपरौली तथा जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक कान्धला बुढ़ाना व शाहपुर के लिए कोई विकास योजना स्वीकार की है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के लिए गत एक वर्ष से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया और कोई भी विकास कार्य न हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां ।

परियोजना प्रशासक के पद पर श्री हरीश चन्द्र त्यागी नियुक्त कर दिये गये हैं और वह शीघ्र ही अपने पद का भार ग्रहण कर लेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जिले में हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना का प्रस्ताव

**४--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल) तथा श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय लिया जायगा ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

दिनांक १-५-७९ को हुई मन्त्रि परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिमी जिलों के लिए प्रस्तावित बेन्च की स्थापना मेरठ में की जाये । भारत सरकार को शीघ्र आवश्यक विधि बनाने के लिये लिखा जायगा तथा निर्णय के कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, पहले तो मैं एक आपत्ति उठाना चाहता हूं । आपको याद होगा कि ३ तारीख को मैंने इस सदन में एक प्रश्न उठाया था कि दो तारीख को रेडियो से यह प्रसारण किया गया कि मंत्रिमंडल ने इस बात का निर्णय ले लिया है । माननीय वित्त मंत्री जो उस समय उठकर खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो पहली चीज, तो म वित्त मन्त्री जी के विरुद्ध इस सदन के अवमान की सूचना देता हूं कि उन्होंने गलतबयानी की ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ठीक है, दे दूंगा । दूसरी बात, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय विधि मन्त्री, श्री शांति भूषण जी से इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार की कोई बातचीत हुई ? यदि हां, तो उनकी इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

श्री श्रीचन्द्र—

उपाध्यक्ष महोदय, जब केन्द्रीय विधि मन्त्री जी को लिखा गया था, तो उन्होंने २९-१०-७८ को उच्च न्यायालय को उनके सुझाव पेश करने के लिये लिखा था । १४-११-७८ को मुख्य न्यायाधीश वर्तमान और पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश की यह राय थी कि उन्होंने मेरठ बेन्च का विरोध किया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या यह सही है कि मन्त्रि परिषद् ने १ मई, १९७९ के पहले भी मेरठ में हाई कोर्ट बेंच खोलने के लिये निर्णय किया था ? यदि हां, तो कब, किस तारीख को ? और उस पर उसके बाद क्या कार्यवाही हुई थी ?

श्री श्रीचन्द्र—

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तत्कालीन मन्त्रि परिषद् ने १९ दिसम्बर, १९७६ को मेरठ में बेन्च की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया था । फिर उसके बाद १ मई, १९७७ को पूरे प्रिपेयरेटरी एक्शन किये जाने के लिये लिखा और एक आर्डिनेंस के लिए भी प्रारूप तयार हो गया था । उसके बाद पिछली सरकार ने १९ फरवरी, १९७८ को विचार कर निर्णय लिया था कि पश्चिमी जिलों में एक खंडपीठ की स्थापना की जाए, इसकी पुष्टि की थी । उसके बाद १ मई, १९७९ को भी मन्त्रि परिषद् ने यह तय किया था ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि तत्कालीन मंत्रि-परिषद् ने १९७६ में मेरठ में बेंच कायम करने का निर्णय लिया था। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि १९७६ के बाद उस निर्णय के विरुद्ध मंत्रि-परिषद् ने कोई निर्णय लिया था, जिसकी वजह से बाद में फिर निर्णय लेना पड़ा ?

श्री श्रीचन्द्र--

उपाध्यक्ष महोदय, यू० पी० हाई कोर्ट एमलगमेशन आर्डर, १९४८ का है जिसमें पार्लियामेंट को यह अधिकार है लेजिस्लेशन तैयार करने का, और इसी आर्डर के मातहत मुख्य न्यायाधीश और जो पास्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके सुझाव पर यह तय किया जाता है। अब यह निर्णय पार्लियामेंट में विधेयक पेश होने के बाद ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रस्तावित बेंच में कौन-कौन से जिले शामिल होंगे ? यदि पहाड़ी जिले भी इसमें शामिल होंगे तो रामपुर के सम्बन्ध में, जहां इमारतें वगैरह फ्री मिलने का सुझाव हो चुका है, उसको किस आधार पर निरस्त किया गया है ?

श्री श्रीचन्द्र--

उपाध्यक्ष महोदय, इसम १३ जिले शामिल किये गये हैं जिनमें रामपुर जिला भी है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि ७६ में, ७८ में कई बार इस सिलसिले में फैसला लिया जा चुका है कि मेरठ में बेंच खोली जाय, तो मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां बेन्च कायम करने में सरकार को क्या कठिनाई है, किस वजह से बेन्च कायम नहीं की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो इससे नहीं उठता।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

यह नहीं बताया। इसमें दो मरतबा फैसला लिया जा चुका है अब क्या परेशानी है, मैं यह बात जानना चाहता हूं ?

श्री श्रीचन्द्र--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, पार्लियामेंट में विधेयक पास होगा और तभी कार्यवाही निश्चित की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है। आर्डर संविधान के अन्तर्गत हो सकता है। क्या माननीय मन्त्री जी को

[श्री गोविन्द सिंह नगी]

विदित है कि न्याय का मामला समवर्ती सूची में है, अतएव, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को कानून बनाने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री बनारसी दास---

ऐसा प्राविधान है कि मुख्य न्यायधीश और राज्य सरकार मिलकर निश्चित कर सकते हैं । यदि मतभेद हो तो फिर केन्द्र सरकार को इसमें कानून बनाने का अधिकार है । इसलिए मेरठ बेंच का जहां तक सवाल है केन्द्र सरकार ने लिखा था कि कहां पर खोलना चाहते हैं और कौन से जिले इसमें शामिल होंगे । अब तक स्थान का नाम और कौन से जिले शामिल होंगे इसका निश्चय नहीं हुआ था । अब स्थान के बारे में और जिलों के बारे में निश्चय किया जा चुका है । इसलिए अब यह प्रश्न पुनः मुख्य न्यायाधीश के भी विचाराधीन है और मैं आशा करता हूं कि वह उससे सहमत होंगे और यदि वह सहमत न हों, तो इसका निर्णय केन्द्रीय मन्त्रि परिषद् को करना पड़ेगा और संसद के अन्दर एक प्राविधान करना पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभिवक्ताओं से कोई पत्र प्राप्त हुआ, यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और शासन का अभिमत उनके सम्बन्ध में क्या है ?

श्री श्रीचन्द्र---

उपाध्यक्ष महोदय, बार एसोशिएशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रस्ताव इसके विरोध में मिला था । उनका पहला कहना यह था कि न्याय प्रशासन की दृष्टि से हाई कोर्ट एक ही स्थान पर प्रदेश में होना चाहिए । दूसरा यह था कि लोकतंत्र में न्यायपालिका दृढ़ और निष्पक्ष होनी चाहिए यह तभी हो सकता है जब बार और बैन्च दोनों मजबूत हों और एक ही स्थान पर हाई कोर्ट की बैन्च होनी चाहिये । तीसरा उनका कहना यह था कि यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट का दूसरा बेन्च रखा जायगा, तो वहां पुस्तकालय की सुविधा नहीं होगी, सुयोग्य अभिवक्ता नहीं मिलेंगे । चौथा उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट की अपीलों में वादकर्ताओं को नहीं जाना पड़ता है और इस प्रकार लिटिगेन्ट का यह कहना कि उनकी जगह से इलाहाबाद दूर है यह न्यायोचित नहीं है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य ने आगरा राज्य बनाने की सिफारिश की थी, ऐसी स्थिति में क्या सरकार आगरा में भी हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने जा रही है ?

श्री श्रीचन्द्र---

आगरा के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है और न इस तरह की कोई चीज सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो और आगरा राजधानी स्थापित हो ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

उच्च न्यायालय की खंड पीठ मेरठ में स्थापित करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके विरोध में क्या इलाहाबाद बार एसोशियेशन ने मेमोरेन्डम भेजा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी इसके विरोध में हड़ताल की थी ?

श्री श्रीचन्द्र--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि १४-११-७८ का मुख्य न्यायाधीश का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने मेरठ में बेंच खोलने का विरोध किया था ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

आगरा बार एसोशियेशन ने एक आन्दोलन चलाया था कि आगरा में हाई-कोर्ट की एक खंड पीठ स्थापित की जाय, उसमें हड़ताल भी हुई और एक मेमोरेंडम भी सरकार को दिया गया ?

श्री बनारसी दास--

यह प्रदेश बहुत बड़ा है । जैसे इलाहाबाद में शिक्षा निदेशालय है, आगरा किसी विशेष इलाज के लिये उपयुक्त स्थान है, इसी तरह से मेरठ में एक अलग से उच्च न्यायालय की खंड पीठ खोली जा रही है ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

मेरठ में खंड पीठ खोलने के सिलसिले में प्रदेश में रीजनल फीलिंग पैदा हो रही है, लेकिन न्याय को सस्ता तथा जल्दी सुलभ कराने की गरज से मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया है, तो इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार सूबे के अन्दर सस्ता तथा जल्दी न्याय दिलाने की दृष्टि से चार हिस्सों में चार खंड पीठ खोलने पर विचार करेगी ताकि यह रीजनल आन्दोलन की भावना समाप्त हो सके ?

श्री बनारसी दास--

इस समय यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है । मेरठ में बेंच खोलने का प्रस्ताव बहुत दिनों से विचाराधीन था और यह कोई नई बात नहीं की जा रही है । अन्य प्रदेशों में जैसे राजस्थान व मध्य प्रदेश में अलग-अलग खंड पीठ स्थापित हैं । चार जगह भले ही न हों लेकिन तीन जगह अवश्य हो जायेगी 'सेज लखनऊ हाई' लाहाबाद है और अब मेरठ में हो जायगी । यह

[श्री बनारसीदास]

अवश्य है कि जब विदाई होती है, तो थोड़ा बहुत उस समय दुख अवश्य होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद हर आदमी उसकी उपयोगिता समझने लगता है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मेरठ में बेंच खोलने के सिलसिले में भारत सरकार की क्या राय है और कब तक खुल जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह उत्तर दिया जा चुका है कि लोक सभा में प्रस्ताव आयेगा, वहां से पास होगा । भारत सरकार से इस सम्बन्ध में पत्र आया था तभी यह निर्णय लिया गया था ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

मेरठ न्याय पीठ में जो जिले शामिल किये गये हैं, उनके अलावा सेंट्रल यू० पी० जिसमें पर्वतीय जिले शामिल हैं उनको भी शामिल करने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास---

अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है । न ऐसा कोई सुझाव अभी आया है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, नगर बस, कानपुर के विरुद्ध आरोप पत्र एवं कर्मचारियों की हड़ताल

*१---श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, नगर बस, कानपुर द्वारा धन अर्जित करने, अनियमित कार्य करने तथा विभाग को क्षति पहुंचाने के विरुद्ध चालक संघ एवं रोडवेज मजदूर सभा, कानपुर की ओर से इस क्षेत्र में भूख हड़ताल चलाने के बाद अब २३ नवम्बर, १९७८ से कानपुर बस सेवा ठप कर देने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगे क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

चालक संगठन, आजाद नगर, कानपुर के उन लोगों ने, जिनके विरुद्ध कुछ रिपोर्टें थीं और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर नगर बस सेवा ने आरोप पत्र दिया था, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से, धन अर्जित करने, अनियमित कार्य करने तथा विभाग को क्षति पहुंचाने सम्बन्धी आरोप लगवाकर संगठन द्वारा दिनांक २३-८-७८ से २-९-७९ तक क्रमिक अनशन एवं

दिनांक ३-९-७८ से १०-९-७८ तक आमरण अनशन चलाने के बाद दिनांक १६-९-७८ से (न कि दिनांक २३-११-७८ से) कानपुर बस सेवा ठप करने की योजना बनाई गई थी । यह केवल प्रभावित कर्मचारियों के निहित स्वार्थों की सिद्धि तथा अपने विरुद्ध चल रहे अनुशासनिक मामलों से अपने को बचाने हेतु अनुचित प्रभाव डालने की कार्यवाही मात्र थी । इसके अतिरिक्त इनकी कोई अन्य मांग नहीं थी । चूंकि कर्मचारियों की उपर्युक्त कार्यवाहीं अनगढ़न्त तथा बेबुनियाद थी अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो उत्तर भेजा है इसमें २-९-७८ होना चाहिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

गलती से छप गया है । २-९-७८ ही होना चाहिये ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

किस अधिकारी से आरोप पत्र की जांच कराई गयी, किन-किन लोगों ने क्रमिक अनशन किया और उनके ऊपर क्या-क्या आरोप थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसमें एक ज्ञापन स्वर्ण प्रसाद, अध्यक्ष, चालक संघ एवं रोडवेज मजदूर सभा की ओर से दिया गया था और इस मांग पत्र में ८ मांगे रखी गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न में जो पहला भाग उन्होंने पूछा कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई, यह भी बता दें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, यह कोई आरोप पत्र नहीं था, मांग पत्र था । इसलिये इस पर कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह केवल प्रभावित कर्मचारियों के निहित स्वार्थों की सिद्धि तथा अपने विरुद्ध चल रहे अनुशासनिक मामलों से अपने को बचाने हेतु अनुचित प्रभाव डालने की कार्यवाही मात्र थी । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी बतायें कि वे निहित स्वार्थी लोग कौन-कौन हैं ? कैसे इन्होंने बताया कि ये निहित स्वार्थी लोग हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जैसा मैंने निवेदन किया कि यह कर्मचारियों की ओर से एक मांग पत्र था, जिसमें वहां के अधिकारी शिव प्रसाद तथा एक बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत की गई थी । यह कोई आरोप पत्र नहीं था इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को कैसे जानकारी हुई कि इसमें स्वार्थ है ? जब जानकारी हुई तो किसके द्वारा जाँच करायी ? आप छिपाना क्यों चाहते हैं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस आरोप पत्र पर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुनः जांच कराकर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि यह कोई आरोप पत्र नहीं था, मांग पत्र था । हरि केवल प्रसाद जी जानना चाहते हैं कि जो उत्तर आप दे रहे हैं, वह उन्हीं की रिपोर्ट है या आपके उत्तर का कोई और माध्यम है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, यह बताना तो उचित नहीं है किन्तु जिस अधिकारी से माननीय सदस्य चाहें, मैं उससे जांच करा सकता हूं ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन-जिन निहित स्वार्थी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिये दबाव डाला, उन कर्मचारियों में से किन-किन कर्मचारियों के ऊपर अभियोग चल रहा है अथवा प्रबन्धकों द्वारा कार्यवाही चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसकी आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी द्वारा आप जांच कराना चाहें हम जांच करा लेंगे । आप उन्हें बता दें, वे जांच करा लेंगे ।

गोरखपुर जिले की कुसुम्ही मोतीराम अड्डा-झंगहां सड़क के निर्माण की मांग

*२--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)(अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर, मुन्डेरा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत बनी सड़क कुसुम्ही रेलवे फाटक से मोती राम अड्डा होते झंगहां तक की सड़क जो बाढ़, बरसात एवं रख-रखाव के अभाव में में क्षत विक्षत हो गई है, को उपयोगी स्तर प्रदान करने के सन्दर्भ में मार्च, १९७७ से अब तक प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी शिकायतें शासन को जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्माण के विषय में दी गयी हैं ? इनका निर्माण कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जनपद गोरखपुर मुन्डेरा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत बनी कुसुम्ही रेलवे फाटक से मोती राम अड्डा होते झंगहां तक की सड़क जो बाढ़, बरसात से एवं रख-रखाव के अभाव में विक्षत हो गई है, को उपयोगी स्तर प्रदान करने के विषय में ३ शिकायतें

पत्र जिला परिषद् को प्राप्त हुए हैं। जिला परिषद् गोरखपुर की आर्थिक स्थिति ीक न होने के कारण निकट भविष्य में परिषद् द्वारा इसके निर्माण की कोई म्भावना नहीं है। कुसुम्ही से कुसुम्ही रेलवे स्टेशन तक का मार्ग निर्माण र्वजनिक निर्माण बिभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

*३--श्री राजकुमार शर्मा--

[१ मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरदोई जिले में पंचायत सेवकों का चुनाव

*४--श्री अशोक बाजपेई (जिला हरदोई) तथा श्री लक्ष्मीनरायन (जिला हमीरपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में वर्ष १९७८ के पंचायत सेवकों के होने वाले चयन में जनपद के बाहर के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं जब कि ऐसा नियम है कि कमीशन की परिधि के बाहर की नियुक्तियों में जनपद के ही लोगों को लिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस अनियमितता से सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां।

चुने गये ५१ अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसका पता सीतापुर जनपद का था। शेष ५० अभ्यर्थी हरदोई जनपद के ही थे, जो सीतापुर का अभ्यर्थी चुना गया है वह जिला पंचायतराज अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में कार्यरत था और उसका प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त हुआ था। पंचायत राज सेवा नियमावली के नियम-७ में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि दूसरे जिले के अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी अन्य जनपद में न की जाय।

चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस चयन समिति के अध्यक्ष तथा चयन समिति के सदस्यों ने अपने जनपद के अभ्यर्थियों को जो कि उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं बुला-बुलाकर चयन में सम्मिलित किया और उनके स्थानीय पते दिखाये गये। यदि यह बात सच हो, तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच करायेंगे और यह सही होने पर उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे, जो इसके दोषी हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, जांच करा ली जायेगी और जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अशोक बाजपेयी--

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि ऐसा जी० ओ० है कि यदि कोई पोस्ट कमीशन के परव्यू से बाहर की है तो उसमें जिले के ही लोगों का चयन किया जायेगा ? यदि हां, तो ऐसे आदेश की अवहेलना हरदोई की चयन समिति ने किया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो उत्तर में कह दिया है कि कोई प्रतिबन्ध इस तरह का नहीं है ।

श्री अशोक बाजपेयी---

मेरी ऐसी जानकारी है कि ऐसा नियम है, तो क्या इसकी फिर से जानकारी करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद---

अगर माननीय सदस्य बतला देंगे, तो उसकी जांच जरूर करा ली जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने कहा कि ऐसा प्रावधान नहीं है चयन समिति के माध्यम से जो जनपदों में चुनाव होते हैं उसमें चयन के लिए केवल सेवायोजन कार्यालय से ही लोगों के नाम आते हैं, तो इसमें जो अभ्यर्थी आये थे वे स्थानीय इम्पलायमेंट एक्सचेंज से ही आये थे । इस चयन में कुल कितने अभ्यर्थी थे और उनकी रजिस्ट्रेशन कहां हुआ था जिसका चयन हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो आपने प्रश्न किया यह उत्तर से स्पष्ट है कि सेवायोजन कार्यालय से नाम आये ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी---

यह जो चयन समिति के माध्यम से चयन होते हैं, उसमें चयन समिति के मेम्बर बाहर से भी आते हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं वह उसी जनपद के सेवायोजन कार्यालय से ही आते हैं या बाहर से भी आते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, उसका उत्तर आ चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह हरदोई का दुर्भाग्य है । जो चयन समिति में अधिकारी होते हैं वह अपने जिले के लोगों को बुला-बुला कर भर्ती करते हैं और हरदोई में कोई काबिल उनको नहीं मिलता, तो जो बाजपेयी जी ने प्रश्न किया था पंचायत सेवकों की भर्ती के लिए तो इस मसले की पूरी जांच करायेंगे किसी उच्च अधिकारी से ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया जैसा माननीय सदस्य ने कहा किसी उच्च अधिकारी से जांच करा ली जायेगी जिसको आप बतलायेंगे उससे जांच करा लेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी---

चयन समिति ने जो चयन किया इसमें जो अभ्यर्थी आये थे उनका कितने पहले पंजीकरण किया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बड़े तहसील की बात है, यह पता नहीं चलेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चयन समितियों के माध्यम से जो चयन होते हैं उसमें उसी जिले के इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से नाम मांगे जाते हैं? यदि हां, तो क्या हरदोई में यह प्रक्रिया अपनाई गई ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, इसका उत्तर पहले ही बता दिया गया है कि जिले के सेवा योजन कार्यालय से नाम मंगाये गये ।

*५---श्री सुरेन्द्र पाल---

[३रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले के बीकापुर में मेल बस रुकने का आदेश

*६---श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर में मेल बसों को रोकने का आदेश वर्ष १९७८ में जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच से चलने वाली बसों के बीकापुर में न रुकने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हां । जहां तक गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच से चलने वाली बसों का बीकापुर में रुकने का प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर तथा फैजाबाद में भी अपने क्षेत्र की समस्त बसों को वहां रुकने के आदेश पारित कर दिये है और ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ह कि बसें यहां नहीं रुकती है ।

फैजाबाद जिले की चौरा बाजार में बस स्टेशन की स्थापना की मांग

*७---श्री श्रीराम द्विवेदी (अनुपस्थित)---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में चौरा बाजार में रोडवेज की बुकिंग खोलने के आदेश जारी कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्नकर्त्ता के दिनांक २२ अगस्त, १९७८ के पत्र बस-स्टापेज के सम्बन्ध में, क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

चौरा बाजार में यात्रियों की सुविधा के लिए काफी समय पूर्व से फेयर बस स्टापेज बना हुआ है एवं परिचालक बुकिंग करता है । निगम के नियमानुसार बुकिंग आफिस तभी खोला जाता है जब प्रतिदिन की बुकिंग लगभग १००० रु० हो । इस स्टाप पर इतनी आय नहीं है ।

पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लि०, धुधली, गोरखपुर के एकाउन्ट्स आफिसर का कार्य दिवस एवं उनका यात्रा भत्ता

*८--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रिसीवर के नियन्त्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, धुधली, गोरखपुर में अवैध रूप से बिना पद के ही कोई व्यक्ति एकाउन्ट आफीसर के पद नाम से कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि चालू वर्ष १९७७-७८ में उक्त अधिकारी ने कितने दिन कार्यालय में कार्य किया ? कितने दिन किस कार्य से बाहर रहे एवं कितना विभिन्न मदों में बाहर रहने का भत्ता लिया ? तथा सीजन सत्र १९७६-७७ में कितने दिन बाहर रहे तथा कितना भत्ता विभिन्न मदों में लिया ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, धुधली, (गोरखपुर) में एकाउन्ट आफीसर के पद पर श्री पी० के० मदान की नियुक्ति १८-४-१९७७ से मिल को रिसीवर शिप में लेने के पूर्व हुई । सीजन १९७७-७८ में उक्त अधिकारी ने २२६ दिन कार्यालय में कार्य किया और १०७ दिन कार्यालय से बाहर रहे एवं ७०८५.२८ रु० यात्रा भत्ता के रूप में लिया । सीजन १९७६-७७ में श्री मदान २८-१/२ दिन मिल कार्य से बाहर रहे तथा १८४०.९५ रु० यात्रा भत्ता के रूप में लिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे प्रश्न में साफ है कि बिना पद के अवैध नियुक्ति हुई, जिसे वह स्वीकार करते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति रिसीवर शिप के पहले हो गई, तो जब वहां पद था ही नहीं और रिसीवर इसीलिए नियुक्त करते हैं कि फाइनेंशियल अनियमितताओं को ठीक कर लिया जाए, तो मैनेजर ने अपने भांजे को जो दो दिन पहले नियुक्त कराया, उस नियुक्ति को समाप्त करने का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति रिसीवर शिप में मिल लेने के पहले हुई थी और वह मिल प्राइवेट मिल थी, वहां इस पद का कायम किया गया है । मैंने यह नहीं कहा कि यह पद अवैधानिक ढंग से कायम किया गया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

शुगर इन्डस्ट्री वेज बोर्ड के तहत चलती है और उसमें लिखा रहा है कि फैक्टरी में कितने पद हैं और कितने कर्मचारी काम करेंगे, तो वह पद वहां है ही नहीं और आज भी नहीं है । किन्तु यह जब रिसीवर शिप में आई, तो उसने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना शुरू किया और उनमें एक यह भी है, तो चूंकि उस पद के न होते हुए भी वहां पर पहले से ऐसी नियुक्ति कर दी गई है, उसको समाप्त करने का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

ऐसा कोई शिकायती-पत्र मेरे पास आएगा, तो मैं जांच करा लूंगा और यदि अवैधानिक ढंग से नियुक्ति की गई होगी तो उस पर कार्यवाही कराऊंगा ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर उसके खिलाफ जांच कराने की कृपा करेंगे कि उसने द्वितीय श्रेणी में यात्रा करके प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता प्राप्त किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

माननीय सदस्य ऐसी शिकायत शासन को देंगे, तो जरूर जांच करा ली जाएगी ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति कब हुई और १०७ दिन का यात्रा भत्ता, जो देय हुआ है, उसने यात्रा अपने निजी काम से की थी या मिल के काम से ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, पी० के० मदान की नियुक्ति १८-४-७७ को कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा की गई और उन्होंने जो अपना भत्ता चार्ज किया है, वह शुगर मिल से सम्बन्धित जो कार्य था, उस सम्बन्ध में किया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, पुनः सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है, मैं यह जानना चाहता हू ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो साफ कीजिए कि कैसे गुमराह करने की कोशिश की गई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह कि वर्ष ७७-७८ में कितने वर्किंग डेज हुए, क्योंकि यह १०७ दिन यात्रा पर रहे और २२६ दिन फैक्टरी में काम किया, तो यह दोनों को जोड़कर ३६५ दिन तो किसी प्रकार नहीं आ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि १९७७-७८ सीजन का जो वर्किंग डे है, उस वर्किंग डे में कितने दिन आफिस में काम किया और कितने दिन बाहर काम किया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

एकाउटेन्ट का पद केवल सीजन के लिए नहीं होता है । वह पूरे वर्ष कार्य करता है । सीजन के बाद भी जो फैक्टरी से सम्बन्धित कार्य होते हैं वह करता रहता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो उत्तर दिया है जरा पढ़ लें, उसमें कहा है, सीजन १९७७-७८ में उक्त अधिकारी ने २२६ दिन कार्यालय में कार्य किया और १०७ दिन कार्यालय से बाहर रहे । १४५ दिन फैक्टरी चली है । उसमें १०७ दिन बाहर रहे । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया सात हजार रुपये टी० ए० का है । उनके नाम ६० हजार रुपये इम्प्रेस्ट मनी दिया गया है । यह जितनी फाइनेन्शियल इरेगूलैरिटी हुई है क्या माननीय मंत्री जी पूरे मामले की खुली जांच करवायेंगे और उस जांच की सूचना हमें भी देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या इसकी पुनः जांच करवा लेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी है । अगर माननीय सदस्य इसकी शिकायत देंगे, यदि उनको ऐसी जानकारी है, कृपया लिख कर दे दें मैं अवश्य जांच करवा लूंगा और अगर वह दोषी पाये जायेंगे, तो उचित कार्यवाही भी करूंगा ।

[सोमवार, ७ मई, १९७९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव की मांग

*१---श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्याम मिश्र (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदों के चुनाव की कोई तिथि निश्चित की गयी है ? यदि हां, तो कौन सी तिथि को ये चुनाव होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र समितियां एवं जिला परिषदें इस समय अधक्रमित हैं । उसके चुनाव ग्राम पंचायतों के आगामी चुनाव के उपरान्त ही सम्भव हो सकेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे गांव सभा के चुनाव कब होंगे ?

श्री जमुना प्रसाद---

यह प्रश्न पहले भी आया था । अब पुनः रखा गया है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट पर जब शासन विचार कर लेगा उसके बाद ही यह सारे चुनाव होंगे ?

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है । दो प्रश्न होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जरूरी नहीं है । बाद में पूछ लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन में यह प्रश्न आया था । जो उत्तर उस समय दिया, वही आज दे रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट कब शासन को प्राप्त हुई ? क्या मंत्री जी ने वह

बढ़ लिया है और क्या मंत्रि परिषद् ने विचार करके निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो निर्णय न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तक निर्णय कोई नहीं लिया तो उसका क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो है आज से छः महीने पहले इस शासन को प्राप्त हो गयी थी। रिपोर्ट पढ़ ली गयी है। रिपोर्ट पर टिप्पणी बन कर मंत्रि परिषद् के सामने रखी जाने वाली है। जैसे रखी जायगी उस पर विचार होगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया है क्या अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली है, मंत्रि परिषद् में भी आयेगी, तो सारी प्रक्रिया यह पढ़ने वाली और फिर मंत्रिपरिषद् में विचार करने के बाद अब तक मंत्रिपरिषद् उस पर अन्तिम निर्णय लेगी और उसके बाद यह जो गांव सभाएं हैं उनका चुनाव कि तिथि तक करवा देंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

आशा की जाती है, आज सात मई है, इस महीने तक निर्णय ले लें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में अगले माह में मंत्रि परिषद् निर्णय लेगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

चुनाव कब तक करवा लेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो निर्णय लेने पर है।

श्री देव बहादुर सिंह—

कोई तिथि बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कैसे बता दें ?

श्री श्यामधर मिश्र—

अभी मंत्री जी न कहा कि पंचायतों के चुनाव बाकी है इसलिए क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का चुनाव नहीं हो सकता है और इसीलिए वह निलम्बित है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि अशोक मेहता समिति, जिसका वह जिक्र कर रहे हैं उस समिति की रिपोर्ट में है कि

तीनों चूंकि सम्बन्धित संस्थायें हैं और कोई वजह नहीं है कि जिला परिषद् और क्षेत्र समिति निलम्बित रहे, क्या यह भी उसकी रिकमेन्डेशन है ? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, अशोक मेहता कमेटी ने जो स्थानीय निकायों और पंचायतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है, इस सम्बन्ध में भारतीय स्तर पर विचार करना है। प्रधान मंत्री भी चाहते हैं कि उस पर विचार करने के बाद देश में एक सा स्वरूप हो। मंत्रिपरिषद् में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इसी महीने में इस पर विचार किया जाने वाला है और उसे अपने मत से केन्द्रीय सरकार को बतायेंगे। विचार-विमर्श के बाद आगे क्या प्रारूप होगा और क्या स्वरूप होगा, इस पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा। अशोक मेहता कमेटी के दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं और वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लिया है यदि हां, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में चुनाव के बारे में मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत है और उसको एक प्वाइन्ट में बतलाना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर प्रधान मंत्री सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि जब तक अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करके कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक कोई भी मंत्री वक्तव्य नहीं देगा। बराबर वक्तव्य आते हैं। १४ जून के बारे में अखबारों में छपा है कि चुनाव होंगे। मेरा निवेदन है कि जब तक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी चुनाव न हों।

श्री बनारसी दास---

अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही चुनाव किए जायेंगे। माननीय रियासत हुसैन ने यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न उठाया। जब तक अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर कोई फैसला न हो जाये कोई बयान किसी प्रकार का न दिया जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने यह एलान कर दिया है कि १४ जून से पहले ग्राम सभा के चुनाव हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वे कह चुके हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

परस्पर विरोधाभास क्यों है । पहले एलान कर दिया । अब क्या कोई नीति बदल गयी है, उसको स्पष्ट किया जाये ?

श्री बनारसी दास--

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार निर्णय करेगी और उसी निर्णय के आधार पर चुनाव करायें जायेंगे, निर्णय होने के बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि चुनाव कब होंगे और किस तिथि को होंगे ।

श्री देवबहादुर सिंह--

क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के चुनाव इस कारण नहीं हुए हैं कि गांव सभाओं के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और उनके चुनाव न होना उसमें बाधा है, तो जिस तरह से जिला परिषदों के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई हैं, क्या उसी तरह इन क्षेत्र समितियों के लिए परामर्शदात्री समिति बनाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या उसमें विरोध पक्ष को भी राय सरकार लेगी ?

श्री बनारसी दास--

अशोक मेहता समिति की कौन सी सिफारिस स्वीकार की जाये, कौन सी न की जाये, अभी तो यही प्रश्न विचाराधीन है और इस माह के अन्त तक इस पर कोई निर्णय हो जायेगा । अगर कुछ होगा, तो पहले इस पर निर्णय हो जाने के बाद ही होगा । यह सारी चीजें अंतिम रूप से इस महीने के अन्त तक तय हो जायेंगी ।

यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

*२-श्री रामआसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चर में क्लर्क व लेबर के पद पर कुछ ऐसे व्यक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में अब भी कार्यरत हैं जिनको अपने पद पर कार्य करते लगभग ४-५ वर्ष पूरे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी सेवा स्थायी किए जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवमंगल सिंह--

यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन (हार्टिकों) एक स्वायत्तशासी कारपोरेशन है जो एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की सब्सिडियरी है । यह कारपोरेशन अगस्त, १९७८ से वर्तमान रूप में कार्यरत है । इसके अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको काम करते हुए ४-५ वर्ष व्यतीत हो चुके है, अपनी आवश्यकता और साधनों को ध्यान में रखते हुए यह स्वायत्तशासी संस्था अपने स्टाफ की नियुक्ति करती है । शासन की ओर से दैनिक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों का स्थायीकरण करने के बारे में शासन द्वारा कोई आदेश देना सम्भव नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इन दैनिक कर्मचारियों के स्थायीकरण करने के लिए सरकार के लिए आदेश जारी करना यदि सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इन लोगों के लिए कोई नियमावली अतिशीघ्र बनाने के लिए शासन आदेश दे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

यह कर्मचारी पहले यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन में ही काम करते थे, जब यह हार्टिकल्चर सेक्शन अलग हुआ, तो यह कर्मचारी भी अलग हो गए। आज परिस्थिति यह है कि ८४ व्यक्ति ऐसे हैं जो ४ वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं और ५३ ऐसे हैं, जो २४० दिन से अधिक से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में से लगभग ५० ने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर विवाद दाखिल किया था। इस सम्बन्ध में एग्रो कार्पोरेशन से उन्होंने एक समझौता किया और जो लोग विवाद में गए हुए थे, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज कर दिया, शेष जो बचे हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी विचार कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित बाईलाज जो हैं, उनमें क्या कर्मचारियों की सेवा-नियमावली का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो उस प्राविधान का इस्तेमाल करते हुए क्या सरकार इस बात का आदेश देगी कि वह अपने कर्मचारियों के बारे में बकायदा सेवा नियमावली बनाये ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सान्यवर शासन उनको आदेश कर सकता है, अगर उनकी सेवा नियमावली नहीं बनी हुई है, तो मैं ऐसा उनसे कहूंगा कि वह सेवा नियमावली बना लें, यह कर्मचारियों के हित में है।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या यह बात सही है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, जिसको कि सब्सिडियरी इन्होंने बताया है, वह स्वयं ऐसी संस्था है, जिसके अध्यक्ष मंत्री हैं और उसके यहां के अधिकारी लोग मैनेजर ? अगर मंत्री उसके अध्यक्ष हैं और यदि स्वयं वह स्वयत्तता प्राप्त संस्था नहीं है, तो उसका चेयरमैन मैं जानना चाहता हूं कि कौन हैं ? वह किस तरह से कह रहे हैं कि वह स्वायत्त शासी संस्था है ? स्वयं मंत्री जी एग्रो के चेयरमैन भी हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन एक संस्था है जिसके माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। अगर वह चेयरमैन हैं, तो यह सरकारी संस्था है। अब वह यह कैसे कहते हैं कि वह सब्सिडियरी है, उसे स्वायत्तता कैसे प्राप्त है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

जब मंत्री जी अलग से चेयरमैन की हैसियत से होंगे, तो उन्हें चेयरमैन का अधिकार प्राप्त रहता है।

श्री श्यामधर मिश्र—

एकाउन्टेंट जनरल इस संस्था का आडिट करते हैं कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

एकाउन्टेंट जनरल इस संस्था की जांच करते हैं या नहीं, आप इसको यह बता दें ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैंने यह पूछा श्रीमन्, कि चेयरमैन कौन मंत्री हैं ? दूसरी बात यह है कि क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेंट जनरल आडिटर जनरल के अन्तर्गत जो काम करते हैं, क्या इस संस्था का आडिट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करते हैं, अगर करते हैं तो किस प्रकार से स्वायत्तता है, इसमें ?

श्री शिव मंगल सिंह—

आडिट होते ही हैं, आडिट में कौन सी शंका की बात है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन का चेयरमैन इस समय कौन है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्तमान समय में कृषि मंत्री उसके अध्यक्ष हैं ।

जरवल रोड चीनी मिल के रिसीवर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जरवल चीनी मिल में वर्ष १९७७-७८ तथा १९७८-७९ के सीजन में रिसीवर द्वारा किए गए अनियमित कार्यों, गबन व भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में जांच हेतु कोई ज्ञापन जुलाई, १९७८ से दिसम्बर, १९७८ के बीच मिला ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? तथा सरकार ने रिसीवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या अनियमितताओं के कारण वर्तमान रिसीवर का दो बार स्थानान्तरण के आदेश होने के बावजूद रिसीवर अब भी वहीं बना हुआ है ? यदि हां, तो रिसीवर को न हटाय जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, जरवल रोड चीनी मिल में वर्ष १९७७-७८ के सीजन में रिसीवर द्वारा किए गए कथित अनियमित कार्यों, गबन व भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच चीनी निगम द्वारा गठित एक तकनीकी जांच समिति द्वारा की जा रही है । जांच समाप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

सीजन १९७८-७९ में कार्यरत रिसीवर के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य का दिसम्बर, १९७८ में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच भी उक्त समिति द्वारा कराई जा रही है । मिल के रिसीवर का स्थानान्तरण हो चुका है एवं नये रिसीवर ने ७-४-१९७९ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४—श्री राम सजीवन—

[इसरे सोमवार के लिए स्थगित]

पशुधन विकास अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं उनकी अतिरिक्त वेतन-वृद्धि

*५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवार कल्याण कार्य में निर्धारित लक्ष्य से तीन गुना पूर्ति करने वाले पशुधन विकास अधिकारियों को विशेष वेतन-वृद्धि प्रदान किए जाने के आदेश १९७७-७८ में जारी किए गए थे ? यदि हां, तो पशुधन विभाग, सरोजनी नगर, लखनऊ के किन-किन पशुधन विकास अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य से तिगुना कार्य किया ? क्या सभी को विशेष वेतन-वृद्धि प्रदान की गई ? जिनको नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां (पशुधन मन्त्री)—

जी नहीं । वास्तव में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य से तिगुना कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के आदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग द्वारा जारी किए गए थे परन्तु यह आदेश केवल कर्मचारियों पर लागू होते थे अधिकारियों पर नहीं । अतः पशुधन विकास अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ जो अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, को अतिरिक्त वेतन-वृद्धि अनुमन्य नहीं थी ।

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील के अन्तर्गत शीतगृह के निर्माण की मांग

*६—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील में एक भी शीतगृह नहीं है ? यदि हां, तो क्या बीकापुर में सहकारिता के क्षेत्र में वर्ष १९७९-८० में शीतगृह बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक २६ जुलाई, १९७८ का कोई पत्र मन्त्री जी को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सहकारिता मन्त्री)—

निदेशक फलोद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार फैजाबाद जनपद की बीकापुर तहसील में हाल ही में एक निजी शीतगृह बनकर तैयार हो गया है, जिसकी क्षमता ३०,००० बोरों की है । इस शीतगृह का नाम रघुबीर कोल्ड स्टोरेज है तथा फैजाबाद, रायबरेली मार्ग पर कुचेरा बाजार के पास स्थित है । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इस पर कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लखनऊ में प्रोवेशनरी आफिसर्स का चयन एवं उनकी शैक्षिक योग्यता

*८—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में ११ प्रोवेशनरी आफीसर्स के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी

में स्नातकोत्तर रक्खी गई थी, जिसको बैंक में ५ वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों के लिए केवल द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि रखने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक १२ जुलाई, १९७७, १८ अगस्त, १९७७, १० अप्रैल, १९७८, तथा ८ अगस्त, १९७८ सहकारिता मंत्री जी को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार अगस्त, १९७८ में हो चुका है ? क्या बैंक कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता घटाकर उनको साक्षात्कार का अवसर दिया जायगा और तभी अंतिम परिणाम घोषित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

दिनांक १२-७-७७ व १७ ८ ७७ के पत्र प्राप्त हुए । भेजे गये पत्रों के अनुसार शीर्ष बैंक द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियों को संस्तुति की गयी । शासन के अनुरोध पर निबन्धक, सहकारी समितियो द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से भी उपरोक्त अर्हताओं में सुझावानुसार संशोधन करने हेतु लिखा गया । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया कि शीर्ष बैंक में प्रोवेशनरी आफीसर्स की अर्हताओं में संशोधन का सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाओं के अनुरूप नहीं है ।

जी हां ।

साक्षात्कार की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा सम्पन्न की जा चुकी है तथा परिणाम भी उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, लखनऊ को भेजा जा चुका है ।

कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा रोगोर की खरीद

*९--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा ने १६,०० लीटर रोगोर ३० ई० रेलीज इन्डिया, २१, अशोक मार्ग, लखनऊ से १९७८ में अल्मूनियम पैक में सरकार तथा कम्पनी के बीच ४८.०० रु० प्रति लीटर अल्मूनियम पैक (२५० मि ली०) खरीदने का सौदा किया था, परन्तु उपरोक्त रोगोर १,००० लीटर अल्मूनियम पैक में तथा १५,००० लीटर टिन पैक में खरीदी गई, विषय विशेषज्ञ के ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कीमत टिन पैक की अदा की गई ? यदि हां, तो टिन पैक की कीमत अल्मूनियम पैक के समान अदा करने का क्या विशेष कारण था ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१०--श्री मित्रसेन---

[३रे सोमवार के लिए स्थगित)

राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक लेखाधिकारियों के पद हेतु आवेदन-पत्र की निर्धारित तिथि

*११--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन सहायक क्षेत्रीय लेखों अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय उम्मीदवारों के

आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक ३ अक्तूबर, १९७८ थी, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दिनांक १९ फरवरी, १९७९ से साक्षात्कार प्रारम्भ करने के पश्चात् भी कुछ कर्मचारियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करके साक्षात्कार में सम्मिलित कर चुना गया ? यदि हां, तो निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् स्वीकार किए गए आवेदन-पत्रों की तिथिवार सही संख्या क्या है और सरकार इस भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी अधिकारियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सही है कि विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी पद हेतु आवेदन-फार्म जमा करने के लिए अन्तिम तिथि ३-१०-७८ निर्धारित की गई थी । दिनांक १९ व २० फरवरी, १९७९ को केवल उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निश्चित था, जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुए । विभागीय अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक २२-३-७९ के लिए निश्चित किया गया । मात्र एक विभागीय उम्मीदवार, जो किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से निर्धारित अवधि में आवेदन-फार्म जमा नहीं कर सका था, के विलम्ब को क्षमा करते हुए दिनांक २१-२-७९ को फार्म जमा करने की अनुमति दी गई । चूंकि फार्म जमा करने की अनुमति पूरी छानबीन के बाद, नैसर्गिक न्याय एवं समानता को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की गई, अतः इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं था । इसी कारण से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी अपेक्षित नहीं है ।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क कोआपरेटिव यूनियन के बिक्रय केन्द्र का निरीक्षण एवं अधिकारी का निलम्बन एवं बहाली

*१२—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क कोआपरेटिव यूनियन के सचिव की ओर से संस्था के किसी विक्रय केन्द्र के अधिकारियों के खिलाफ आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर पायी गयी स्टाक तथा धन की कमी के सम्बन्ध में कोई सूचना दिनांक २९ अप्रैल, १९७८ को थाना हजरतगंज में दर्ज कराई गई थी । उक्त मुकदमें के आधार पर उक्त विक्रय केन्द्र के एक कर्मचारी को निलम्बित भी कर दिया गया था तथा मुकदमें की विवेचना पूर्ण हुये बिना ही उसे पुनः निलम्बन आदेश समाप्त कर सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां ।

जी हां ।

दुग्ध संघ के सचिव ने निलम्बित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जो उन्होंने संतोषजनक पाया । अतः उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को बहाल कर दिया ।

लखनऊ दुग्ध संघ एक स्वशासी संस्था है और उसके सचिव ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निलम्बन आदेश समाप्त कर सम्बन्धित अधिकारी को बहाल कर दिया ।

अतारांकित प्रश्न

को–आपरेटिव बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

१––श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के को–आपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों द्वारा दिनांक २४ जून, १९७८ को १ घंटे तथा दिनांक २६ जून, १९७८ को २ घंटे का प्रत्येक जनपद में तथा दिनांक २८ व २९ जून, १९७८ को पूरे दिन की हड़ताल एवं दिनांक ३० जून, १९७८ को प्रातः ८ बजे से रात्रि ८ बजे तक सामूहिक भूख हड़ताल की गई ? यदि हां, तो किस यूनियन के निर्देश पर वह आन्दोलन हुआ और यूनियन की कौन–कौन सी मांगें थी और इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के ५५ जिला सहकारी बैंकों में से केवल २५ बैंकों में २४ जून, १९७८ को एक घंटे तथा २६ जून, १९७८ को दो घंटे का प्रदर्शन किया गया तथा फैजाबाद बैंक को छोड़कर इन्हीं बैंकों में दिनांक २८ व २९ जून, १९७८ को पूरे दिन की हड़ताल एवं ३० जून, १९७८ को प्रातः ८ बजे से रात्रि के ८ बजे तक सामूहिक भूख हड़ताल की गई ।

उपरोक्त आन्दोलन को–आपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन के निर्देश पर हुआ था । यूनियन की निम्न मांगें थीं :––

१––सेवामन्डल के गठन के बाद नियुक्त कर्मचारियों के निष्कासन, छंटनी सम्बन्धी आदेशों/कार्यवाहियों को तुरन्त वापस लिया जाय ।

२––प्रतिनियुक्ति पर लिए गए सरकारी कर्मचारियों को तुरन्त वापस लिया जाय ।

३––निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० के स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्धी परिपत्र दिनांक १८–१२–७६ को लागू न किया जाय ।

४––उच्च पदों पर सीधी भरती अविलम्ब रोकी जाय ।

५––बोनस भुगतान हेतु आपातकाल के पूर्व की स्थिति लागू की जाय ।

मांगों का औचित्य न होने से उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप हुई क्षति

२––श्री रामदत्त जोशी––

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत अप्रैल, १९७८ में पन्तनगर, कृषि विद्यालय, पन्तनगर (नैनीताल) के हड़ताली श्रमिक नेताओं

द्वारा हड़ताल की अवधि में तथा उसके बाद भी अप्रैल, १९७८ के महीने में उपरोक्त कृषि विश्वविद्यालय के ट्रैक्टर तथा वाहन, डेरी प्रभाग, पोल्ट्री फार्म वर्कशाप, खाद्यान तथा बीज भन्डार तथा इन्टरनेशनल गेस्ट हाउस, लेबोरेटरी तथा अन्य कार्यालयों के कितने और क्या-क्या सामान की लूट की और कितने मूल्य की क्षति पहुंचाई गई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में ११ अप्रैल, १९७८ से १८ अप्रैल, १९७८ तक पहली बार तथा २२ मई, ७८ से ३ जुलाई, ७० तक दुबारा हड़ताल हुई, जिसके फलस्वरूप कुल २,२८,१७८.४६ रु० की क्षति हुई, जिसका ब्योरा संलग्न तालिका* में दिया गया है । अलग-अलग अवधि में हानि का अनुमान लगाना विश्वविद्यालय के लिए सम्भव नहीं है ।

पंचायत राज उद्योग, देवरिया की विशेष आडिट रिपोर्ट में दिखाया गया गबन

श्री हरिकेवल प्रसाद--

३--क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत उद्योग, देवरिया में आडिट रिपोर्ट के अनुसार हाल में लगभग ५० हजार रु० का गबन है ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद--

पंचायत उद्योग, देवरिया की विशेष आडिट रिपोर्ट वर्ष १९७६-७७ में ५०,००० रु० का नहीं बल्कि २०,६८३.४८ रु० का गबन दिखाया गया है । इस मामले की जांच की कार्यवाही जारी है ।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के भूतपूर्व कुलपति डा० गुलाटी एवं डा० शर्मा पर छात्रों द्वारा घातक हमला तथा आगजनी

४--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के परिसर में दिनांक ३० नवम्बर, १९७८ को कुछ लोग विश्वविद्यालय के वाहन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तथा डा० गोलागोट, भूतपूर्व कुलपति एवं डा० शर्मा के प्राणघातक चोटें पहुंचाई और पांच स्कूटर एवं डा० घिल्डियाल, डीन कृषि महाविद्यालय के कार्यालय में आग लगा दी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां, विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी ।

जिला परिषद्, आजमगढ़ व गोरखपुर की सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

५--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बतायेगी कि जून, १९७७ से दिसम्बर, १९७८ तक आजमगढ़ व गोरखपुर जिला परिषद् की कितनी किलोमीटर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग

*(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०१ पर ।)

को हस्तान्तरित हुई तथा दोनों जिलों में कितनी किलोमीटर बनी और कितना धन खर्च हुआ ? क्या दोनों जनपदों में व्यय धनराशि में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जून, १९७७ से दिसम्बर, १९७८ तक संलग्न विवरण के अनुसार जिला परिषद्, आजमगढ़ को कुल १६०·२२ कि० मी० तथा जिला परिषद्, गोरखपुर को कुल १३·४० कि० मी० सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आजमगढ़ में केवल फूलपुर-माहुल मार्ग के निर्माण पर रु० २.२३ लाख तथा गोरखपुर में हस्तान्तरित सड़कों के निर्माण पर रु० ४·७२ लाख व्यय किया गया है ।

दोनों जनपदों में व्यय की गई धनराशि में अन्तर का कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आजमगढ़ की सभी सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न कर पाना ही है ।

परिवहन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

६—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच इस समय चल रही है कितने राजपत्रित अधिकारियों की जांच पूरी होकर जनवरी, १९७९ तक शासन को अन्तिम कार्यवाही करने के लिए प्राप्त हो गयी है ? जिन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है और आरोप सिद्ध हो चुका है उनमें से कितने निलम्बित हो चुके हैं ? शेष को निलम्बित न करने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री सब अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस समय सतर्कता अधिष्ठान द्वारा परिवहन विभाग के कुल ११ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है । जनवरी, १९७९ तक सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कुल ५६ मामलों में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच पूरी करके अन्तिम आख्या शासन को प्रस्तुत की जा चुकी है । जिन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध इस समय जांच चल रही है उनमें अभी तक उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किसी अधिकारी को निलम्बित करना आवश्यक नहीं समझा गया है । इन अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

आगरा जिले के पिनाहट में बस की टक्कर से श्री छकौरी लाल की मृत्यु

८—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के कस्बा पिनाहट में दिनांक २४ जनवरी, १९७९ को ग्राम पुरा झोरियां निवासी युवक छकौड़ी लाल

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६०४ पर ।)

पुत्र श्री भोलाराम की मौत राजकीय बस पिनाहट बस स्टैन्ड के सामने टक्कर से हुई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक श्री छकौरी लाल पुत्र श्री भोला राम उम्र लगभग ४५ वर्ष निवासी ग्राम झौरिया का पुरा, थाना पिनाहट जिला आगरा के उत्तराधिकारियों को एक हजार रुपये की अन्तरिम सहायता दिनांक १९-३-७९ को स्वीकृत की जा चुकी है ।

परिवहन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

१--श्री मन्जूर अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में दिनांक १ जनवरी, १९७५ से दिनांक १ फरवरी, १९७९ तक क्लास १, क्लास २ एवं क्लास ३ के कितने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी केस सतर्कता विभाग के सुपुर्द किये गये और किन-किन के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ उनके खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

१-१-७५ से १-२-७९ तक उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के क्लास १ के ७ अधिकारियों, क्लास-२ के १२ अधिकारियों एवं क्लास-३ के ३१ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच सतर्कता अधिष्ठान को सुपुर्द की गयी । इनमें जांच के दौरान पुष्ट साक्ष्य के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कुल २३ अधिकारियों के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड दिए जाने की संस्तुति की गयी । सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति को दृष्टिगत करते हुए शासन द्वारा एक अधिकारी का मामला प्रशासनाधिकरण को अभिदिष्ट किया गया, एक अधिकारी के मामले में सेवा-निवृत्ति के आदेश दिए गए तथा १० अधिकारियों के मामले में अभियोजन की कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए ।

कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

१०--श्री मन्जूर अहमद--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में दिनांक १ जनवरी, १९७५ से दिनांक १ फरवरी, १९७९ तक क्लास १, क्लास २, क्लास ३ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी केस सतर्कता विभाग के सुपुर्द किये गये और किन-किन के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव मंगल सिंह---

प्रश्न का उत्तर देने के हेतु सूचना एकत्र करने में अत्यधिक श्रम, समय व धन लगेगा जिसके अनुरूप लाभ नहीं होगा । अतएव उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

उन्नाव–मौरावां सड़क पर तौरा ग्राम के बस स्टेशन की बन्दी

११––श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव डिपो के अन्तर्गत उन्नाव से मौरावां रोड पर ग्राम तौरा में बस स्टेशन में टिकट वितरण हेतु बुकिंग का प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक इसका प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी हां ।

उन्नाव डिपो के अन्तर्गत उन्नाव–मौरावां रोड पर ग्राम तौरा में दिनांक २६–११–७८ को बुकिंग स्टेशन प्रयोगात्मक आधार पर खोला गया था । परन्तु अलाभप्रद होने के कारण दिनांक १–२–७९ को बन्द कर दिया गया । बस स्टेशन नियमानुसार तभी खोला जा सकता है जबकि उससे रुपये ५०० प्रतिदिन की आय हो ।

वाराणसी जिले के नाद नदी पर सुरही गांव का अर्धनिर्मित पुल

१२––श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान सुरही गांव ब्लॉक पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी के अन्दर एक पुल का निर्माण अर्सा ५–६ वर्ष पूर्व किया जा रहा था और पुल को अधूरा ही छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस पुल को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को रुपया देकर बनवाने का विचार कर रही है ? इस पुल पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के सामुदायिक विकास मन्त्री को सन् १९७८ को लिखे तीन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद––

ग्राम सुरही विकास खण्ड पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी पर एक पक्के पुल का निर्माण वर्ष १९६८–६९ में ग्राम सभा द्वारा आरम्भ किया गया था, जिसे धनाभाव के कारण ग्राम सभा द्वारा पूरा नहीं किया जा सका । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को धन देकर इस पुल को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तर से शासन को कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा सके ? उक्त पुल के निर्माण में २,३८८ रुपये २२ पैसे का कुल व्यय हुआ है । प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम विकास मंत्री को सन् ७८ में इस विषय में लिखे गये पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण

१३––श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ में दैनिक वेतन, एकीकृत वेतन पर अल्पकालिक नियुक्तियों में विभिन्न संवर्गों में पहली नवम्बर, १९७८ से ३० नवम्बर, १९७८ तक कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इस प्रकार की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जन जाति के लिए पारित शासनादेश आरक्षण का पालन किया गया ? यदि हां, तो संवर्गों वार कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य जाति के कार्यरत थे और हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार पहली नवम्बर, १९७८ से ३० नवम्बर, १९७८ तक २४३ कर्मचारी सहायक शाखा आंकिक/अवर लिपिक के पद पर तथा १०४ कर्मचारी चपरासी/चौकीदार के पद पर दैनिक वेतन, एकीकृत वेतन पर कार्यरत थे । दैनिक वेतन, एकीकृत वेतन पर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जो नियुक्तियां की गयी हैं वह पूर्णतया दैनिक ह और बिना किसी नोटिस के किसी भी दिन समाप्त की जा सकती हैं । इस प्रकार की दनिक नियुक्तियों के लिए आरक्षण का शासनादेश लागू नहीं होता है । अतः इसके पालन का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है । बैंक म यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि जो नियुक्तियां की गयी हैं उनमें कितने सेवक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के ह क्योंकि दैनिक नियुक्तियों के लिए प्रार्थना पत्रों में इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं की जाती है ।

आजमगढ़ जिले में सहकारी समितियों के सचिवों का कथित चयन

१४--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दिनांक २० मई, १९७६ को सहकारी समितियों के सचिवों का जो अस से कार्यरत रहे हैं उनका चुनाव जिला मुख्यालय पर हुआ ? यदि हां, तो उस चुनाव में क्या योग्यता व सेवा अवधि निश्चय की गयी थी ? चुने गए सचिवों में कितने पुराने कितने नए को स्थान दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आजमगढ़ जनपद में दिनांक २०-५-७६ को सहकारी समितियों के सचिवों का जिला स्तर पर कोई चुनाव नहीं हुआ था ।

गन्ना विकास विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

१५--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में गन्ना विकास बिभाग में कितने ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है जो एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण अवकाश ग्रहण करेंगे ? ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके अन्यत्र नियुक्ति देने में कितने रुपए का व्यय भार, यात्रा-भत्ता के रूप में बढ़ेगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

(वित्तीय) वर्ष १९७७-७८ में गन्ना विकास विभाग के ऐसे दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जो एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण अवकाश ग्रहण करने वाले थे । इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण में लगभग ७०० रुपये का यात्रा-भत्ता के रूप में व्ययभार हुआ । इनका स्थानान्तरण प्रार्थना पर एवं प्रशासनिक दृष्टि से किया गया ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड पडरौना व विशुनपुरा के अन्तर्गत उर्वरक पर दिया गया अनुदान

१६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद में पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड के लघु सीमान्त कृषकों को १ जनवरी, १९७६

से २० जनवरी, १९७९ तक पोटेशिक तथा फासफेटिक खादों पर एक तिहाई अनुदान देने के शासन से निश्चयानुसार किन-किन कृषकों को उक्त अनुदान दिया गया है तथा किस माध्यम से दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जनपद देवरिया के विकास खंड पडरौना तथा बिशुनपुरा के कृषकों को जनवरी, १९७६ में ऐसी कोई सुविधा देय नहीं थी और न ही शासन द्वारा ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया गया था कि लघु व सीमान्त कृषकों को फासफेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों पर एक तिहाई अनुदान दिया जाय ।

शासन के निर्णय के अनुसार वर्ष १९७७-७८ में विकास खंड पडरौना के कृषकों को जो बाढ़ से प्रभावित हुये थे और जिनकी जोत एक एकड़ से अधिक नहीं थी, उर्वरक एवं बीज की निःशुल्क सहायता दी गई । इसके अतिरिक्त सभी कृषकों जिसमें लघु व सीमान्त कृषक भी शामिल हैं, को रबी ७७-७८ में शीर्ष संस्थाओं/कृषि विभाग के माध्यम से वितरित फास्फेटिक/पोटैशिक उर्वरकों पर २० प्रतिशत अनुदान देय था । यह सुविधा वर्ष १९७८-७९ में भी रही ।

वर्ष १९७८-७९ में शासन के निर्णय के अनुसार विकास खंड पडरौना एवं विशुनपुरा के लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः २५ प्रतिशत व ३३.3 प्रतिशत अनुदान नत्रजनिक, फास्ट फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों एवं गेहूं बीज पर कृषि विभाग तथा प्रादेशिक सहकारी संघ के विक्रय केन्द्रों से देय था ।

बहराइच जिले में सहकारी बीज गोदामों का निर्माण एवं व्यय की गयी धनराशि

१७--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में सहकारिता विभाग द्वारा विकास खंडवार पिछले तीन वर्षों में अब तक कितने और कहां-कहां पर सहकारी बीज गोदाम भवन कितनी-कितनी लागत के निर्माण कराये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि हरिहरपुर रानी, ब्लाक में ३५ हजार से लेकर ४५ हजार रुपए की लागत तक के बीज गोदाम भवन बनाए गए हैं और कच्ची जुड़ाई की गयी है तथा हजारों रुपयों का गोलमाल नीचे स्तर पर किया गया है ? यदि हां, तो जांच कब, किसके द्वारा की गयी और जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बहराइच जनपद के विभिन्न विकास खंड़ों में ९, ग्रामीण गोदामों का निर्माण हुआ जिनकी स्थिति एवम् लागत विषयक सूचना संलग्न है ।

जनपद के हरिहर पुर रानी ब्लाक में नौबस्ता तथा तिलकपुर की सहकारी समितियों ने गोदामों का निर्माण कार्य क्रमशः रु० ४३,३२२, ५८ तथा रु० ४५, ८४८-४७ में पूर्ण किया है । उक्त दोनों गोदामों के निर्माण कार्य में मिट्टी की चुनाई एवम् धन के गोलमाल की जांच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, बहराइच द्वारा जनवरी, १९७९ में की गयी ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को निलम्बित कर दिया गया है तथा सचिवों के निलम्बन के लिए सचिव, प्रशासनिक कमेटी, जिला सहकारी बैंक लि०, बहराइच को लिखा गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०५ पर)

सीतापुर जिले के कतिपय विकास खण्डों में विकास कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि

१८--श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद अन्तर्गत महमूदाबाद, परला तथा रामपुर-मथुरा विकास खण्डों में वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७, १९७७-७८ तथा १९७८-७९ में कितनी धनराशि विकास कार्यों के निमित्त प्रदान की गयी है तथा उनका उपयोग किन-किन विकास कार्यों में किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

सीतापुर जनपद के विकास खंड महमूदाबाद, पइला तथा रामपुर-मथुरा में वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७, १९७७-७८ तथा १९७८-७९ में जितनी धनराशि विकास कार्यों के निमित प्रदान कराई गई है तथा जिन-जिन विकास कार्यों में उनका उपभोग किया गया है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०६ पर)

आर० टी० ओ०, मेरठ द्वारा श्री नसीम अहमद व श्री काजिम अली को दिये गये बस के परमिट

१९--श्री मन्जूर अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २२ जून, १९७७ से लेकर ५ जनवरी, १९७९ तक आर० टी० ओ०, मेरठ को अलग-अलग रूट पर किन-किन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और किन-किन को बस परमिट दिए गए ? क्या यह भी सही है कि मुजफ्फरनगर-शाहपुर-मन्सूरपुर आदि-आदि दो बस के परमिट साले बहनोई को बाँट किसी मीटिंग के दिए गए हैं ? यदि हां, तो कारण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्न की व्यापकता को दृष्टि में रखते हुए अपेक्षित सूचना के एकत्रित करने में बहुत अधिक समय लगेगा ।

प्रश्न गत मार्ग पर सभागीय परिवहन प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक ५-१०-७८ में श्री नसीम अहमद तथा श्री काजिम अली को अस्थायी परमिट दिये गये हैं, परन्तु उनके आपसी सम्बन्ध के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

२०-२१--श्री गौरीशंकर भैया--

[३रे सोमवार के लिये स्थगित ।]

बलिया जिले के कतिपय विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

२२--श्री राम गोविन (जिला बलिया)--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में ब्लाक गड़वार, सोहाब, चिलिकहर में कितने कि०मी० सम्पर्क मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत लिए गए हैं ? उनमें से कितने किलोमीटर पर कार्य पूरा हो गया है तथा बाकी पर कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

बलिया जनपद के विकास खण्ड, गड़वार में ५ सम्पर्क मार्ग ५·२५० किलो मीटर लम्बी, विकास खण्ड सोहाव में ४ सम्पर्क मार्ग ५·५०० किलो मीटर लम्बी तथा विकास खण्ड, चिलिकहर में २ सम्पर्क मार्ग ५·५०० किलो मीटर लम्बी निर्माण हेतु स्वीकृत हैं ।

इनमें से विकास खण्ड गड़वार में ०·५५० किलो मीटर, सोहाब में ०·५५० किलो मीटर तथा चिलिकहर में ४·००० किलो मीटर पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

विकास खण्ड, गड़वार के मार्ग पर क्षेत्रीय कृषकों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने तथा विकास खण्ड, सोहाव में निर्धारित मार्ग पर कार्य करने हेतु मजदूर न मिलने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है । जून, १९७९ तक अवशेष कार्यों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

२३-२४--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

२५--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[३रे सोमवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद जिले में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कूपों का निर्माण

२६--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७८-७९ से कुल कितने हरिजन पेय-जल कूप बनाने की स्वीकृति शासन ने दी है ? क्या इनमें से एक भी कुआं बनकर तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

वर्ष १९७८-७९ में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में ३३२ कूप बनाने की स्वीकृति दी गयी थी । धन की उपलब्धता के फलस्वरूप ७ कुओं का और निर्माण कराया जा रहा है । इस प्रकार कुल संख्या ३३९ हो गयी है । जी नहीं, मार्च १९७९ तक १५० कूप पूर्ण बनकर तैयार हो गए है । २४ कूप २५ प्रतिशत तक निर्मित किए गए है तथा शेष १६५ कूपों के निर्माण की सामग्री की व्यवस्था की गयी है । निर्माणाधीन समस्त कूपों के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है ।

फैजाबाद जिले में जिला परिषद् के अस्पतालों को दी गयी दवा एवं उनके प्रान्तीयकरण की मांग

२७--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७८-७९ में जिला परिषदीय चिकित्सालयों को कितने रुपये की दवाएं दी गयीं ? क्या सरकार इन चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो हैदरगंज एवं शाहगंज डिस्पेन्सरियों का प्रान्तीयकरण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

वर्ष १९७८-७९ में जिला परिषदीय चिकित्सालयों को रुपये ३१७७·१८ पैसे की दवायें दी गई ।

प्रश्न गत चिकित्सालयों के प्रांतीयकरण के लिए जिला परिषद् न मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद से अवश्य अनुरोध किया है परन्तु ऐसा कोई बिधिवत प्रस्ताव शासन स्तर पर अभी विचाराधीन नहीं है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इन अस्पतालों का प्रांतीयकरण कब तक पूरा हो जायगा ।

मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद द्वारा गन्ने की खरीद

२८--श्री श्री राम द्विवेदी--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में दिनांक ३१ मार्च, १९७९ तक मसौधा चीनी मिल ने कुल कितने गन्ने की खरीद की है ? क्या तारून केन्द्र पर अभी तक केवल ३ हजार क्विंटल गन्ने की खरीद की गयी है ? यदि हां, तो शेष गन्ने को समय के अन्दर खरीद करने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मसौधा चीनी मिल ने दिनांक ३१-३-७९ तक १३-३५ लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की है । तारन क्रय केन्द्र पर ३८४८५·२४ कुन्टल गन्ना दिनांक ३१-३-७९ तक खरीदा गया । इस केन्द्र पर अब गन्ना आपूर्ति हेतु अवशेष नहीं है । अतः शेष गन्ने की पूर्ति व्यस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

२९--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी तथा श्री औसान सिंह--

[२रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बहराइच जिले में ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत पाइराइट का आवंटन

३०--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी (जिला आजमगढ़) श्री औसान सिंह (जिला इटावा) तथा श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के किन-किन ब्लाकों में ऊसर भूमि सुधार योजनान्तर्गत वर्ष १९७८-७९ में कितनी-कितनी जिप्सन या पैराइट आवंटित की गयी तथा कितने एकड़ ऊसर भूमि कृषि योग्य ब्लाकवार बनाई गयी ? प्रति एकड़ कितना व्यय हुआ ? क्या सरकार जिले के १९ ब्लाकों में ऊस

परती, बंजर, बेकार रेतीली आदि ६० हजार एकड़ भूमि भी कृषि योग्य बनाने एवं भूमिहीनों को आवंटित हेतु विचार कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

बहराइच जिले में वर्ष १९७८-७९ में ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत ११ विकास खण्डों में १९६-२५० मै० टन पाइराइट की मात्रा आवंटित की गयी उसमें से १११·३०० मै० टन पाइराइट का उपयोग करके ९७·०० एकड़ ऊसर भूमि कृषि योग्य बनायी गयी । इसकी ब्लाकवार सूचना संलग्न है । जिप्सम की कोई मात्रा आवंटित नहीं की गयी है । मृदा सुधारक के उपयोग पर प्रति एकड़ ७८-४८ औसतन व्यय कृषकों का हुआ । जिले के १९ ब्लाकों में ऊसर परती, बंजर, बेकार, रेतीली आदि ६० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं भूमिहीनों को आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०८ पर)

सहायक निबन्धक, गोरखपुर द्वारा पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण

३१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सहायक निबन्धक, गोरखपुर ने अपने कार्यकाल में कितने पर्यवेक्षकों का जो संघों से सम्बन्धित है, स्थानान्तरण किया एवं इनके क्या आधार निर्धारित किए गए ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्तमान जिला सहायक निबन्धक, गोरखपुर ने अपने कार्यकाल में ही सहकारी पर्यवेक्षकों को, जो संघों से सम्बन्धित है, प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

३२--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० आर० डी० (एकीकृत ग्राम विकास) परियोजना प्रदेश के ८७६ ब्लाकों में लागू करने हेतु शासन को वर्ष १९७८ में क्षेत्रीय विकास उप मंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ था । यदि हां, तो वह पत्र क्या था ? और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां ।

पत्र में तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उप मंत्री जी ने लिखा था कि लघु सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये प्रदेश के सभी ८७६ ब्लाकों में एकीकृत ग्राम विकास योजना लागू की जाये ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना भारत सरकार की योजना है, जिसकी रूपरेखा प्रसार क्षेत्र, क्षेत्र चयन प्रक्रिया तथा लाभार्थियों के लिए योजनायें तथा आर्थिक सहायता दरें भारत सरकार ने ही निर्धारित की हैं । उक्त आदेशानुसार प्रदेश के कुल ८७६ विकास खन्डों में से ३३१ विशेष क्षेत्रीय विकास योजना जनपदों के विकास खण्ड तथा ५३ अन्य जनपदों से वर्ष १९७८-७९ के लिए चुने गये । भारत सरकार इस संख्या में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए सहमत नहीं थी । अतः पत्र पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं था ।

बाराबंकी जिले के बारिन बाग स्थित विकास खंड पूरेडलई के विकास की मांग

३३—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड पूरे डलई, जनपद बाराबंकी का कार्यालय बारिनबाग नामक स्थान पर स्थित है, किन्तु वहां कोई कर्मचारी रात्रि निवास नहीं करता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । विकास खंड पूरे डलई का कार्यालय बारिनबाग में स्थित आवास भवनों का अभी निर्माण न हो सकने एवं किराये पर मकान सुलभ न होने के कारण अधिकांश कर्मचारी वहां रहने में असमर्थ हैं लेकिन सुरक्षा हेतु एक चौकीदार व एक क्षेत्रीय ग्राम सेवक वहां रात्रि में निवास करते हैं ।

श्री अशर्फी लाल यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खंड पूरे डलई, जनपद बाराबंकी में विकास के हर क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ा है ? यदि हां, तो इसके विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास खंड पूरेडलई, जनपद बाराबंकी के पिछड़े विकास खंडों में से एक है । श्रम के बदले खाद्यान्न, स्थानीय विकास एवं अंत्योदय योजना इत्यादि चलाकर इस पिछड़े क्षेत्र के विकास और वहां के वासियों के उत्थान करने का प्रयास जारी है ।

बाराबंकी जिले में कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीन एवं कर्मचारी

३५—अशर्फी लाल यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में अब तक शासनादेश संख्या ४१/२९१/७७ कार्मिक-२ दिनांक ६ जुलाई, १९७७ के अन्तर्गत कितने छटनी शुदा कृषि अमीन एवं चपरासी खपाये गये और कितने शेष बचे ? इन शेष कर्मचारियों के खपाने के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बाराबंकी जनपद में अब तक शासनादेश संख्या-४१-२-१९७७ कार्मिक-२, ६-७-७७ के अन्तर्गत कुल १८ अमीन एवं २० चपरासी सेवा में खपाये गये हैं । ५५ अमीन एवं ६७ चपरासी अभी शेष हैं । इनमें से सात अमीनों की याचिका लोक सेवा अधिकरण उ० प्र० के विचाराधीन है । इन कर्मचारियों को सेवा में खपाने के लिये जनपद के विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों को सूची भेज दी गयी है ।

बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु सरकार द्वारा दिया गया ऋण

३६—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी गन्ना का बकाया भुगतान हेतु प्रदेश सरकार ने १७ करोड़ रुपए जनवरी, १९७९ में चीनी मिलों को दिया है ? क्या रकम

पाने वाली मिलों ने समय से भुगतान कर दिया है ? अभी प्रदेश के चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का कितना रुपया बाकी है तथा उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु शासन ने सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के १७ करोड़ रुपये जनवरी, १९७९ में ऋण के रूप में दिया था जिसमें से मिलों द्वारा १४.६२ करोड़ रुपये समितियों को भुगतान हेतु दे दिया गया तथा २.३८ करोड़ रुपये का भुगतान देना शेष है ।

दिनांक ३०-४-१९७९ की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल ४४.४८ करोड़ रुपये गन्ना काश्तकारों का बाकी है । इसके भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

जिला परिषद सीतापुर के टेलीफोन का स्थानान्तरण

३७---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला परिषद का टेलीफोन दिसम्बर अथवा नवम्बर, १९७८ में कुछ दिन के लिए परिषद कार्यालय से किसी अन्य भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो किस प्रयोजन से तथा किसके आदेश पर ?

श्री जमुना प्रसाद---

जिला परिषद सीतापुर का टेलीफोन नं० ७०१ माह नम्बर, १९७८ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्रामालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

अलीगढ़ की घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी रखने के दृष्टिकोण से तत्कालीन राज्य गृह मंत्री श्री मुख्तार अनीस, जो उक्त विश्रामालय में ठहरे हुए थे, के लिए टेलीफोन की व्यवस्था उन्हीं के आदेशों से की गई थी ।

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डे, ग्राम सेवक, विकास खंड चरगांव, जिला गोरखपुर की ज्येष्ठता सूची

३८---श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या सरकार जानती है कि श्री लक्ष्मी नारायण पान्डे, ग्राम सेवक विकास खंड चरगांव, जिला गोरखपुर की नियुक्ति ऐडिशनल डाइरेक्टर कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक ए० बी० ५९२३/१११-१ (डेवलपमेन्ट) दिनांक १, सितम्बर, १९५८ के अनुसार प्रथम सहायक निदेशक, कृषि, इलाहाबाद के अन्तर्गत हुई थी ? यदि हां, तो उनके साथ कितने लोगों की नियुक्ति हुई थी उनमें ज्येष्ठता सूची में उनका कौन-सा स्थान था ?

श्री शिव मंगल सिंह---

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय की नियुक्ति एडीशनल डाईरेक्टर कृषि, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-ए० बी०-५९२३/III-१ (डेवलपमेंट) दिनांक १-९-५८ के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-III के पद पर उप कृषि निदेशक, इलाहाबाद मंडल इलाहाबाद के अन्तर्गत की गयी थी । इनको मिलाकर कुल ३१ सदस्यों की नियुक्ति उक्त आदेश द्वारा वर्ग-III के पदों पर की गयी थी । उक्त आदेश में श्री पान्डेय का नाम क्रमांक-२४ पर था ।

गोरखपुर से भूमिहारी पट्टी–कोटवा तक बस सेवा चलाने की मांग

३९––श्री श्रीनारायण––

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि गोरखपुर से पिपराइच होकर कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज, पडरौना तक जाने वाली बस को गोरखपुर, पिपराइच, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज से भूमिहारी पट्टी होकर कोटवा तक चलाने की कृपा करेंगे जहां कोई बस नहीं चलती है और वह नौरंगिया विकास खंड का मुख्यालय है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

गोरखपुर से पिपराइच होकर कप्तानगंज तक मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इसके आगे कप्तानगंज–लक्ष्मी गंज पडरौना मार्ग राष्ट्रीयकृत है। जब तक गोरखपुर कप्तानगंज मार्ग की योजना धारा ६८डी (३) के अन्तर्गत प्रकाशित नहीं हो जाती सीधी सेवा भूमिहारी पट्टी होते हुये कोटवा तक चलना सम्भव नहीं होगा।

श्री मेघु तिवारी, ग्राम खोटही टोला, जिला देवरिया का लक्ष्मीगंज गन्ना समिति को दिया गया प्रार्थना–पत्र

४०––श्री श्रीनारायण––

क्या गन्ना बिकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया (पडरौना) के ग्राम खोटही टोला काशी छपरा निवासी श्री मधू तिवारी ने ७ दिसम्बर, १९७८ को समिति में ६ पर्चियों के भुगतान को बन्द करने का आवेदन–पत्र पर्चियों के खो जाने के कारण दिया था ? क्या यह सही है कि पर्चियों का भुगतान हो गया है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन–कौन अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं ? यदि पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान श्री तिवारी को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह––

दिनांक ७–२–७८ को श्री विद्या शंकर, पुत्र श्री मेघु तिवारी, निवासी ग्राम खोटही टोला द्वारा एक प्रार्थना–पत्र लक्ष्मीगंज गन्ना समिति के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने ६ जले गन्ने की पर्चियों का भुगतान बन्द करने का अनुरोध किया था। उल्लिखित पर्चियों के विरुद्ध भुगतान उपरोक्त तिथि के पूर्व ही विभिन्न तिथियों में किया जा चुका था। भुगतान किये जाने का उत्तरदायित्व चेकिंग क्लर्क तथा सीजनल खजांची के ऊपर था। सम्बन्धित चेकिंग क्लर्क की मृत्यु हो गयी है तथा सीजनल खाजांची को निलम्बित कर दिया गया है और जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना की छानवीन करने के लिये निर्देशित किया जा चुका है।

श्री के० के० श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती–पत्र

४१––श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)––

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता तथा जनपद के अन्य पांच–छः विधायकों के हस्ताक्षर से कोई शिकायतीत्र श्री के० के० श्रीवास्त तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी के द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं ज्यादतियों के आधार पर

निलम्बित किए जाने हेतु दिनांक १७ अक्तूबर, १९७८ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां, ११ शिकायती-पत्र पर जांच कराई जा रही है । श्री के० के० श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी को प्रतापगढ़ से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

४२--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[३रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री महातम सिंह, महामन्त्री, तराई विकास निगम कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

४३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के अध्यक्ष द्वारा सेवा सुविधाओं हेतु मांग-पत्र नवम्बर, १९७८ में प्रथम पखवारे में मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांग क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के अध्यक्ष द्वारा सेवा सुविधाओं हेतु नवम्बर, १९७८ के प्रथम पखवारे में कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

४ सितम्बर, १९७८ का एक मांग-पत्र श्री महातम सिंह, महामंत्री, तराई विकास निगम कर्मचारी संघ के नाम से प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में २७-९-७८ को निगम के अध्यक्ष (कुलपति, कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर) और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के बीच सहायक श्रमायुक्त श्री भूपेन्द्र सिंह यादव की उपस्थिति में समझौता हो गया था ।

श्री श्रीगोपाल, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, आगरा का निलम्बन

४४--श्री श्याम दत्त पालीवाल--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री श्रीगोपाल, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, आगरा को ११ जुलाई, १९७८ को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी की नियुक्ति हो गयी है तथा क्या ६ माह बीत जाने पर उनको वेतन का ३/४ भाग तथा अन्य प्रतिकर भत्ते मिल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां । कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा प्रश्नगत मामले में जांच अधिकारी हैं । चूंकि आरोप पत्र का उत्तर अपचारी कर्मचारी ने नहीं दिया है तथा मामले में विलम्ब के लिये वे स्वयं उत्तरदायी हैं, इसलिए उनके निलम्बन भत्ते में अभिवृद्धि नहीं की गई है ।

घुघली गन्ना समिति, गोरखपुर के एक पर्ची वाले कृषकों को जारी की गयी पर्ची

४५---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि गन्ना पेराई सीजन के प्रारम्भ के एक सौ बीस दिन के अन्दर एक पर्ची वाले किसानों का गन्ना पेर लिया जायगा ? यदि हां, तो गन्ना विकास समिति घुघली (गोरखपुर) में एक गाड़ी वाले कितने कुल किसान हैं एवं ३१ मार्च, १९७९ तक कितने ऐसे लोग शेष रहे जिन्हें पर्ची नहीं दी गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

वर्तमान सीजन में चीनी मिलों के गन्ना पूर्ति की व्यवस्था में यह प्राविधान रखा गया है कि छोटे एवं बड़े कृषकों के कैलेन्डर पृथक्-पृथक् बनाये जायेंगे तथा छोटे कृषकों के कैलेन्डर में इस प्रकार से मार्किंग की जायगी कि सम्पूर्ण पूर्ति पूर्वी जोन में १२० दिन में तथा मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में १५० दिन के अन्दर पूरी हो जाय ।

घुघली गन्ना समिति, जोकि पूर्वी जोन में स्थित है, में एक पर्ची वाले कृषकों की संख्या ९९७६ है । ३१ मार्च, १९७९ तक ७६५३ कृषकों को एक-एक पर्ची जारी की गई । शेष २३२३ कृषकों को उक्त तिथि तक पर्ची जारी नहीं की जा सकी । घुघली चीनी मिल ने दिनांक १५-१२-७८ को वर्तमान सीजन के लिये पेराई का शुभारम्भ किया । ३१-३-७९ तक शुद्ध पेराई के दिन ६६ होते हैं ।

घुघली चीनी मिल में वर्तमान सत्र हेतु गन्ना पेराई जारी है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक ७ मई, १९७९, जो इस सचिवालय में ७ मई, १९७९ को पूर्वाह्न ११·२५ बजे प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर) को दिनांक ७ मई, १९७९ को पूर्वाह्न लगभग ००·१५ बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मुझे सूचना है कि उन्होंने इजाजत मांगी है हाउस अटेन्ड करने के लिए....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

१२ बजे शून्य प्रहर आरम्भ हो जाता है....।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष—

पहले में नियम ३०१ ले लूं ।

बहराइच बफर गोदाम के भूतपूर्व इंचार्ज श्री रमा शंकर उपाध्याय के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन की शिकायत के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि भूतपूर्व बफर गोदाम इंचार्ज, बहराइच, श्री रमा शंकर उपाध्याय पर लगभग ५ लाख रुपये का गबन का आरोप हैं और उसका वेरीफिकेशन होने जा रहा है इस बीच मार्च, १९७९ को कार्य अधिकारी तथा श्री रमाशंकर उपाध्याय ने मिल कर चोरी से सारा गबन से सम्बन्धित रेकार्ड जलवा दिया है जिसकी रपट वर्तमान इंचार्ज ने मार्च, १९७९ में दर्ज करायी ह ।

मान्यवर, इस प्रकार उक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ने कृषि विभाग की लाखों की चोरी छिपाने की कोशिश की ह ।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध वन विभाग की लकड़ी चोरी से कटवाते पकड़ा गया और उस पर १५०० रु० का जुर्माना किया गया है फिर भी उक्त भ्रष्ट अधिकारी अपने पद पर बना है और नित्य नया-नया काण्ड करता जा रहा है । नानपारा सीड स्टोर पर भी चोरी से ताला तोड़ कर कैश निकालने के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९७८ में थानें में रपट भी लिखाई गई है और कर्मचारियों ने हलफनामा इसके विरुद्ध दायर किया है फिर भी जांच में आनाकानी की जा रही हैं ।

उक्त काण्ड से पूरे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है । पूरे काण्ड को सदन के संज्ञान में लाकर सम्बन्धित अधिकारियों के बिरुद्ध तत्काल निलम्बित करके जांच कराने का सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं ।

उन्नाव जिला चिकित्सालय के डाक्टरों तथा नर्सों की लापरवाही से 'उन्नाव टाइम्स' के सम्पादक, श्री स्वतन्त्र कुमार की पुत्री कुमारी जिज्ञासा की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, आपके माध्यम से उन्नाव जनपद में राजकीय चिकित्सालय के डाक्टरों की लापरवाही के कारण एक पत्रकार की एकलौती बेटी के असामयिक निधन की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक १४ अप्रैल, १९७९ को उन्नाव टाइम्स के सम्पादक, श्री स्वतन्त्र कुमार की १० वर्षीया इकलौती बेटी को अकस्मात उल्टियां होने लगीं जिस पर वह उपचार हेतु तुरन्त जिला चिकित्सालय ले गये जहां डाक्टर ज्वाला प्रसाद को देख-रेख में उपचार शुरू हुआ । लगातार ८ दिन तक उपचार चलने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

पश्चात् सी० एम० ओ० डाक्टर के० कुमार ने उसे देखा और कहा कि अब लड़की की हालत ठीक है। दो एक दिन बाद अस्पताल से मुक्त कर दी जायेगी। इसके कुछ ही देर पश्चात् कुमारी जिज्ञासा को जड़ा लगा जिसकी सूचना उपस्थित चिकित्सक को दी गई और उन्होंने नर्स (स्टर्लिंग) को कुछ लिखित हिदायतें दी लेकिन डाक्टर द्वारा दी गई हिदायतों की परवाह न करते हुए उक्त नर्स ने कहा कि मेरे कोई छः हाथ नहीं है। जब बालिका की मां ने विशेष अनुनय विनय की तो नर्स ने कहा कि यदि लड़की मर जायेगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरा स्थानान्तरण करा दिया जायगा। इस पर डाक्टर ज्वाला प्रसाद को बुलाया गया और उन्होंने आकर बालिका की दशा देखी तथा तुरन्त नर्स को बुलाया और कहा कि मैंने जो कहा था उसे न करके तुमने उल्टा काम किया। इसके पश्चात् उस नर्स ने जो खून बह रहा था उसे पोंछकर फिर निडिल में लगा दिया निडिल के लगते ही बालिका को जाड़ा लगा, आखें टंग गई, दांत भिच गये, इस पर बालिका को एक इजेक्शन देने को कहा गया पर वह नहीं मिला। फिर आक्सीजन देने हेतु गैस सेलेन्डर मंगाया गया, तो उसमें भी अक्सीजन नदारत थी। इस पर दूसरा गैस सेलेन्डर मंगाया गया लेकिन वह भी बेकार निकला। उपस्थित अभिभावकों एवं चिकित्सक तथा संभ्रांत नागरिकों का कहना है कि हंसती खेलती बालिका की मौत डाक्टर डी० एन० श्रीवास्तव व नर्स की लापरवाही के कारण सेलाइन्स से एयर बबुल पहुंचने के कारण हो गयी। बालिका की मृत्यु के पश्चात् डाक्टर डी० एन० श्रीवास्तव ने देखते ही कहा कि मैंने जो कहा था वही हो गया। जनपद में उक्त बालिका की असामयिक मृत्यु से व डाक्टर तथा नर्स के दुर्व्यवहार से आम जनता में गहरा क्षोभ एवं रोष है। सभी लोगों का कथन है कि उक्त डाक्टर व नर्स का व्यवहार किसी भी मरीज के प्रति अच्छा नहीं रहता। जनपद से निकलने वाले विभिन्न समाचार पत्रों ने डाक्टरों व नर्स की खबरें छापी हैं। इस प्रकार की एक नहीं बल्कि अनेकों घटनायें उन्नाव जिला चिकित्सालय में घटती रहती हैं।

अतिलोक महत्व की उक्त सूचना देकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह उन्नाव जनपद में घटित इस दुखद घटना की तुरन्त उच्चस्तरीय जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ताकि इस बाल वर्ष में भविष्य में कोई बालक या बालिका डाक्टर तथा नर्सों की लापरवाही का शिकार न बने।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, बड़ी दर्दनाक घटना है। इसके बारे में मन्त्री जी से वक्तव्य दिलवायें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्नाव जिले में लोगों में दहशत समायी है, लोग अस्पताल जाने से डरते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

हरदोई–उन्नाव रोड पर चलने वाली बसों के किरायें में वृद्धि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)––

मान्यवर, १ मई, १९७९ से हरदोई–उन्नाव रोड पर चलने वाली बसों के किराये में डेढ़ गुनी बृद्धि कर दी गयी है जबकि अन्य मार्गों पर बृद्धि की कोई सूचना नहीं है। डीजल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं, टैक्सों का बोझ नहीं बढ़ा फिर हरदोई–उन्नाव रोड पर बसों के किराबे में डेढ़ गुनी वृद्धि बस मालिकों एवं परिवहन अधिकारियों ने मिलकर दसियों लाख जनता के साथ जबर्दस्त षड़यंत्र किया है। हरदोई से लेकर उन्नाव तक किराये की बढ़ोत्तरी से जनता के बीच व्यापक असंतोष पैदा हो गया है और शासन के प्रति अविश्वास की भावना घर कर गयी है। उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न की ओर से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये बढ़े किराये को समाप्त करने तथा षड़यंत्र करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता हूं।

देवरिया जिले के थाना नेंबुआ नौरंगिया की पुलिस द्वारा एक हरिजन युवक अलगू पुत्र श्री छट्टू के उत्पीड़न के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)––

मान्यवर, देवरिया जिले के नेबुआ नौरंगिया थाने के अलगू पुत्र श्री छट्ठू हरिजन एम० ए० पास कइले अउर जनता युवा का महा मंत्री है। लक्ष्मी नारायण दरोगा के भ्रष्टाचार का इजहार सब जनता के बीच में कहिले।

श्री उपाध्यक्ष––

आपने जो लिखा है, वह खड़ी बोली में बोलें। आपने जो दिया है हूबहू वैसे ही पढ़ें।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि इनको इसी भाषा में पढ़ने दीजिये।

श्री श्रीनारायण––

उनको पुलिस जेल भेज देहिलिस।

श्री उपाध्यक्ष––

आप फिर वही करने लगे। आपको मैं इजाजत नहीं दूंगा यदि आपने अक्षरशः इसको नहीं पढ़ा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, यह तो बोली है, इसको इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस भाषा में वह पढ़ रहे हैं उसमें लिखकर देते तो मैं इजाजत देता इसलिये जिसमें लिखकर दिया है, उसी में पढ़ें।

*श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, देवरिया जिले के नेंबुआ नौरंगिया थाने के निवासी श्री अलगू पुत्र श्री छट्ठू हरिजन एम० ए० पास किया है तथा जनता युवा का महामंत्री है। उसने थानाध्यक्ष, श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी के भ्रष्टाचार का इजहार सार्वजनिक रूप से किया, जिससे रुष्ट होकर थानाध्यक्ष ने उसे अनेक उलझनों में उलझा दिया, जिसके लिये उसने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सर्किल आफिसर, परगनाधिकारी आदि अधिकारियों को अपनी सुरक्षा के लिये आवेदन पत्र दिया और सबों ने थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा, परन्तु उन्होंने सब रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अन्ततोगत्वा अलगू हरिजन को उसके भाई और बाप सहित कत्ल का मुल्जिम बनाकर जेल भेज दिया। उसका घर उजाड़ दिया तथा खेती बारी लूट लिया गया। उसकी औरत तथा मां को घर से भगा दिया गया। उसकी मां अंधी होकर भीख मांग मांगकर दर दर की ठीकरें खा रही है। जमानत पर छूटकर आने के बाद भी उसके बाप को गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। थानाध्यक्ष के इस दुष्कर्म से क्षेत्र की हरिजन जनता में भीषण रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं और मांग करता हूं कि उक्त थानाध्यक्ष को तत्काल लाइन हाजिर करके सतर्कता विभाग द्वारा जांच करा दें, ताकि न्याय हो सके।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले में बनने वाली कतिपय सड़कों पर अधूरा काम होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा चलायी जा रही काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनायी जाने वाली मथुरा जिले की अधिकांश सड़कें जसे बरसाना से राकौली, नन्द गांव से गिर्डाय, कोटजन से लालपुर, कोसी से शाहपुर, कोंसी से कामर आदि अधूरी पड़ी हुई हैं। जो कार्य हुआ है यदि बरसात के पूर्व पूर्ण कार्य न कराया गया तो वह भी बरबाद हो जायेगा। सड़कों पर पुलिया भी नहीं बनायी गयी है। इस प्रकार जनता का जो पैसा लगा हुआ है, वह बेकार चला जायगा। इससे जनता में काफी असंतोष व्याप्त है। अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और पैसे का गोल-माल भी कर रहे हैं?

अतः सरकार तत्काल अधूरे कार्य को पूरा कराने के आदेश देने की कृपा करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरों का अभाव के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मन्त्री का ध्यान उक्त एक लोक महत्व व अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रदेश के कृषकों की खाद्य विभाग की निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता के कारण लगभग ७५ करोड़ की हानि होने जा रही है। साधारणतयः विभाग द्वारा कलकत्ता फर्म को बोरों के लिए गेहूं को भरने के लिए बोरों का आदेश (आर्डर) माह अक्तूबर में ही दिया जाता है, जैसा कि देश के अन्य प्रदेशों हरियाणा, पंजाब आदि ने किया है। लेकिन प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि प्रदेश के खाद्य विभाग के आयुक्त ने बोरियों का आर्डर निर्धारित समय से २ महीने के बाद यानी दिसम्बर माह में दिया। प्रदेश के आगरा मन्डल में कुल ५० लाख बोरों की आवश्यकता थी, जिसमें से ३० लाख बोरे खाद्य विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराना था और जिसमें से ५ मई तक कम से कम १५ लाख बोरे उपलब्ध करा देना चाहिए था। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अधिक खरीद अवश्य हो रही है, लेकिन उसके कारण है--अच्छी पैदावार, गत वर्ष की भांति फसल कटने के पूर्व इस वर्ष वर्षा न होना व इस वर्ष मई के माह में भारी सहालग निकल आना, लेकिन शासन की दोषपूर्ण नीति कृषकों को हानि पहुंचा रही है।

अब तक इन संस्थाओं को केवल १ लाख १७ हजार बोरे यानी ४ प्रतिशत ही उपलब्ध कराये गये हैं, जिनमें से ९० हजार बोरे मैनपुरी जिले के लिए दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ६ लाख बोरों का प्रबन्ध प्रदेशीय सहकारी संघ द्वारा किया जाने वाला था, जिनका उपयोग आगरा मन्डल के लिये अलीगढ़, आगरा व मथुरा के लिये खाद्य केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ होते ही सभी बोरों को लिया गया और जिसके कारण वहां क्रय कार्यक्रम रुक गया है। उक्त ३ जिलों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों के कृषकों की शोचनीय दशा हो रही है और केन्द्रों पर बोरे उपलब्ध न होने के कारण कृषकों को व्यापारियों के चंगुल का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके कारण गेहूं एक सौ पन्द्रह रुपये (११५ रुपये) के बजाय ९० रुपये प्रति क्वि० बेचा जा रहा है। सरकार की तरफ से खरीद अब केवल ३४ दिन और चलने वाली है और बोरों का अभाव स्पष्ट है ही। आंकड़ों के अनुसार मैनपुरी में १ करोड़ ६० लाख, मन्डल के ५ जिलों के कृषकों को लगभग १० करोड़ की हानि व प्रदेश के स्तर पर लगभग ७५ करोड़ रु० की हानि सहन करनी पड़ेगी।

अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप खाद्य मन्त्री को निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें, दोषी अधिकारियों को दन्डित करें और इस गम्भीर समस्या का हल तुरन्त निकालने की कृपा करें।

बजट की गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें एक कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल···।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें आरोप लगाया है कि बजट की गोपनीयता भंग हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आपका मिल गया है । हमने निर्णय ले लिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अमृत प्रभात और नार्दन इन्डिया पत्रिका में मुख्य पृष्ठ पर सभी बातें प्रकाशित हो गई हैं । बड़ा गम्भीर मामला है । इसकी अवश्य जांच होनी चाहिये और विशेषाधिकार समिति को भेज दें । आखिर कौन से तत्व हैं, जिन्होंने बजट के उन प्राविधानों की लीकेज की । समाचार-पत्रों में साफ लिखा है कि देशी और विदेशी शराब भी कर के लिये शामिल है । उसमें दिया गया है कि किन-किन पर कर लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसे भेज दिया है। इस पर विचार करके हम निर्णय दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी की बात सुन लें, क्योंकि वह आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुझे मिल गया है । मैं इसकी जानकारी कराऊंगा और माननीय वित्त मन्त्री जी से उसके बारे में पूछूंगा और अपना निर्णय दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । मैंने कौल और शकधर की पुस्तक देखने की कोशिश की है और उसमें ६७० पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि ३ मार्च, १९६५ को लोक सभा में इस प्रकार का मामला उठाया गया और इस पर १२ मार्च को प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट घोषणा की कि इसकी जांच करायेंगे और कई व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये । मान्यवर, यह एक विशिष्ट मर्यादा का सवाल है । इसको विशेषाधिकार समिति को जरूर भेजें । यह भी इसमें कहा गया कि बजट के बातों का रहस्योद्घाटन ....।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आपने अन्त में जो लिखा है, उसे नहीं पढ़ा वह यह है, इसलिए इस रहस्योद्घाटन के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता है। इसको विशेषाधिकार समिति ने नहीं माना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह भी पता लगाया जा सकता है कि किन परिस्थितियों में रहस्योद्घाटन हुआ । इसलिये मामला बहुत महत्वपूर्ण है । इस सदन को पर्याप्त शक्ति है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस मामले की जांच की जाये कि किस तरह से हमारे टैक्स प्रपो ल समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गये ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं माननीय सदस्य, सीतापुर को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। श्रीमन्, बजट लीकेज बड़ा गम्भीर विषय है और अगर जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने कोटेशन में किया है कि समाचार-पत्रों में यह बात छपी, तो अगर वास्तव में यह बात छापी है तो यह वास्तव में बजट लीकेज है। इसके लिये अखबार दोषी नहीं होता। अखबार के जो करेस्पोन्डेन्ट्स हैं, उनको अगर कोई स्कूप मिल जाता है तो वह जरूर छापेंगे। बजट लीकेज की जिम्मेदारी विशेष रूप से वित्त मन्त्री की होती है। बजट लीकेज का जो प्रश्न है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी देखें कि यह क्या मामला है ? वे स्वयं कभी नहीं चाहेंगे कि बजट लीकेज हो।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

यह सूचना वित्त मन्त्री जी को भेजी जा चुकी है और इस सम्बन्ध में पता लगाया जायेगा कि वस्तुस्थिति क्या है।

दैनिक 'आज' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा ने ५ मई, १९७९ को कानपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक 'आज' के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है, जिसमें उन्होंनें कहा है कि ३ मई, १९७९ को माननीय श्रम मन्त्री ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहना चाहा था कि उन पर सन् ७६ में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने श्री संजय गांधी के कहने पर आरोप लगाया था। उनके द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर माननीय उपाध्यक्ष ने विधान सभा में व्यवस्था दी थी कि श्री संजय गांधी का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। इसके बावजूद कानपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक 'आज' में ४ मई, १९७९ को माननीय श्रम मन्त्री द्वारा श्री संजय गांधी पर लगाये गये आरोपों को छापा गया है। माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां का कहना है कि इस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष की व्यवस्था के बाद इस प्रकार का समाचार छापना सदन का अवमान है। अतः दैनिक 'आज' के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां ने अपनी सूचना के साथ समाचार-पत्र की २ कतरनें संलग्न की हैं, जिनसे यह प्रतीत नहीं होता कि वे किस समाचार-पत्र की हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ में यह उपलब्ध है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख है तो मूल लेख या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्था का संकलन (१९५२-६७) के पृष्ठ ५३८ पर निर्णय संख्या १२७ में यह कहा गया था कि विशेषाधिकार का जब प्रश्न उठाया जाय तो इस प्रकार की कटिंग नहीं भेजनी चाहिये। यह अनियमित है। पूरा अखबार भेजना चाहिए, ताकि विश्वास हो जाय कि इस अखबार में छपा है। ऐसी ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष---]

एक व्यवस्था १२ मई, १९७८ को भी इस सदन में दी गई थी। श्री आरिफ मोहम्मद खां को दैनिक 'आज' समाचार-पत्र के ४ मई, १९७९ के अंक की पूरी प्रतिलिपि या कम से कम वे पूरे पृष्ठ अपनी सूचना के साथ संलग्न करने चाहिए थे, जिनमें विवादित समाचार छपा है। अतः मैंने श्री आरिफ मोहम्मद खां की सूचना नियमानुसार न होने के कारण अग्राह्य कर दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

इसको जब आरिफ साहब सदन में आ जायं तब लिया जाए, उनको जेल से बुला लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैंने इस पर अपना निर्णय दे दिया है।

ग्राम्य विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने वर्ष १९७८ के प्रथम सत्र में उनके एक अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की समस्त जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है और जून, १९७८ के बाद सारे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी अपने पदों से हटा दिए जायेंगे। माननीय श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी का कहना है कि लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त अधिकारी कार्यरत हैं, अतः माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री सदन में गलत बयानी करने के कारण सदन के अवमान के दोषी हैं। माननीय सदस्य ने निवेदन किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

यह सूचना माननीय श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा वर्ष १९७८ के प्रथम सत्र में पूछे गये किसी अल्पसूचित प्रश्न पर आधारित है। अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अनुसार उक्त प्रश्नोत्तर की प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिये थी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना की एक प्रति में यह अंकित भी किया है कि वे सूचना के साथ लेख्य ....।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

मेरी बात सुन तो लें। प्रतियां ....।

श्री उपाध्यक्ष---

संलग्न कर रहे हैं, किन्तु सूचना के साथ न कोई लेख्य संलग्न है और न सूचना की दूसरी प्रतिलिपि में यह कथन ही विद्यमान है। सूचना का विषय भी ऐसा है, जिसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और वह विलम्बित भी है। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं ऐसा समझता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न गम्भीर एवं महत्वपूर्ण हैं। इनको माननीय सदस्यों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का माध्यम बनाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रश्न जो माननीय श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी जी द्वारा उठाया गया है, इसे वह प्रश्न द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते थे।

जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ तथा ज्येष्ठ पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय देव बहादुर सिंह ने जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ तथा ज्येष्ठ पुलिस निरीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ६ मई, १९७९ को रात्रि के ११ बजकर २० मिनट पर श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय श्री देव बहादुर सिंह का कहना है कि श्री आरिफ मोहम्मद खां को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया गया और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के उनके विशेषाधिकार में बाधा डाली गयी। जिलाधिकारी, लखनऊ ने सूचित किया है कि उन्हें आज १२–१५ बजे पूर्वाह्न में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ....।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक मिनट सुन तो लें। मान्यवर, यह बात सच है कि जो विधायक है वह कानून के ऊपर नहीं है, लेकिन मान्यवर, निषेधाज्ञा लगी हो, कानून तोड़ा हो, यदि उसमें गिरफ्तारी हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन निषेधाज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ, कानून नहीं तोड़ा। सभी विधायक इस समय लखनऊ में इसलिये हैं कि विधान सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें उनकी गिरफ्तारी कहीं पर की जाती है तो निश्चित रूप से जो विधायी कार्य है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैंने यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है। आपसे निवेदन है कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

१०७, ११६, १५१ में गिरफ्तार किया गया हो तो उसमें अदालत में जा सकते हैं ....।

१०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। फौजदारी आरोप पर ....।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर ....।

श्री उपाध्यक्ष—

गिरफ्तारी के मामले में कोई विशेषाधिकार नहीं बनता है। अतः श्री देव बहादुर सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इस विषय की दूसरी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री आरिफ मोहम्मद खां लखनऊ में गिरफ्तार किये गये हैं, किसी भी शासकीय आदेश के अनुसार, कोई बैन, कोई पाबन्दी लगी हो, प्रिवेन्टिव मेजर में उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनको रेजिडेन्स से गिरफ्तार किया गया हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

सारे माननीय सदस्य आजकल लखनऊ में हैं । जहां कहीं उनके रेजिडेन्सेज हैं, वे आपके डायरेक्ट परव्यू में आते हैं । तो इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ····।

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा का जितना परिसर है, यह उसमें आता है । इसमें यदि गिरफ्तारी ····।

श्री रियासत हुसैन---

प्रिविलिज की बात नहीं कर रहा हूं । माननीय सदस्य लखनऊ में रहते हैं और उनका भी ताल्लुक और वास्ता डाइरेक्टली आपसे है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर आप विचार कर लें । जो माननीय सदस्य लखनऊ में थे और हाउस चल रहा है, उसमें भाग लेने के लिये लखनऊ में स्टे कर रहे हैं । अगर कानून तोड़े तो वह गलत है, लेकिन प्रिवेन्टिव मेजर में गिरफ्तारी ····।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल ने इस पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भी दिया है ····।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, जब आप व्यवस्था दे चुके हैं और आपके निश्चयों में है कि यदि कोई विधायक एक नागरिक की हैसियत से पकड़ा जाय तो कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर इसे आप कैसे ले रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैं यह सूचना माननीय मुख्य मन्त्री जी को और माननीय सदन को देना चाहता हूं कि माननीय आरिफ मोहम्मद खां को बिना किसी वायोलेशन या बिना किसी जलूस के जब कि वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठ हुये थे, पकड़ लिया गया ····।

एक सदस्य--

आपको कैसे पता ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं भी वहां बैठा हुआ था । मुझे नहीं पकड़ा उनको पकड़ लिया गया । डी० एम० ने खुद लिखा है कि १२-१५ बजे उसको पकड़ लिया गया । श्रीमन्, इसमें यह नहीं लिखा है कि कहां पकड़ा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

इस पर निर्णय हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

डी० एम० ने जो सूचना दी है वह यह है कि मुझे आपको यह सूचना देना है कि यह है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१९६/१५१ सी०आर०पी० सी० के अन्तर्गत

अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री आरिफ मोहम्मद खां (कांग्रेस आई०) को बन्दी कर लिया जाय ।

तदनुसार श्री आरिफ मोहम्मद खां को आज दिनांक ७-५-७९ को लगभग ०·१५ बजे बन्दी बना लिया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह लखनऊ में बन्दी किया गया है या कहीं और किया है····।

श्री देव बहादुर सिंह--

स्थान के बारे में पता होना चाहिए····।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कोर्ट में चैलेन्ज करने की बात है । जो सूचना उन्होंने दी, वह मैंने बतायी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह प्रश्न सन् १९५४ में पन्त जी जब मुख्य मन्त्री थे, उस समय मेरी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उठा था । यह प्रश्न उस समय विशेषाधिकार समिति के सामने गया था और पन्त जी ने भी इसको माना था । माननीय मुख्य मन्त्री जी भी उस समय सरकार के सदस्य थे, उनको मालूम होगा कि उस समय भी सदन ने इस मामले को बिना किसी पार्टी का ध्यान किए विशेषाधिकार की अवहेलना मानी थी । इसके अलावा जो सूचना श्रीमन्, आपको दी गई है, वह किसी फार्म पर नहीं है····।

श्री उपाध्यक्ष--

फार्म पर है । उन्होंने लिखा है कि अधिनियम की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझता हूं····।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, आप अपनी रूलिंग रिजर्व रखें । इसमें जगह का नाम नहीं दिया है कि कहां गिरफ्तारी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो फार्म नियमावली में दिया हुआ है, उसमें कोई स्थान का जिक्र नहीं है । आप देख लीजिए पृष्ठ ९३ सूची एक । नियम ८०, ८१ पढ़ लीजि ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्थान का नाम होना आवश्यक है जिस नोटिस में स्थान का पता नहीं वह नोटिस क्या है । कहां गिरफ्तारी हुई यह तो होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो नियमावली में संशोधन लायेंगे तभी होगा और नियम समिति उस पर विचार करेगी । लेकिन इस समय नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

आप सूची देखें, ऊपर स्थान लिखा है फिर तिथि है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह उन्होंने लखनऊ लिख दिया है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

लखनऊ के किस सब-डिविजन में गिरफ्तारी हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप जल्दी में निर्णय न लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

स्थान उसमें लिखा हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय मुख्य मन्त्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की गलतियां हों ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि नेता विरोधी दल एक ऐसा प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं जो विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता है । यदि १०७, ११६ में माननीय आरिफ की गिरफ्तारी गलत हुई है तो यहां वह नहीं आता । यहां इसमें जो सूचना जिलाधिकारी ने भेजी है उसमें स्वयं निहित है कि लखनऊ में गिरफ्तारी हुई है । मैं सूचित कर रहा हूं कि कल १२ बजे के बाद हुई । यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यंत दुखद कर्तव्य है कि मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी जी से मदद चाही, श्री गुलाब सेहरा से मदद चाही ...।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अभी तो केवल गिरफ्तारी के संबंध में है आरिफ साहब की । दूसरा काम रोको प्रस्ताव पर आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस पर निर्णय दे चुका हूं ।

श्री बनारसी दास---

माननीय देव बहादुर सिंह स्वयं मान चुके हैं कि कोई भी सदस्य कानून से ऊपर नहीं है यदि वह कानून का उलंघन करता है ....

श्री देव बहादुर सिंह---

यदि उल्लंघन करे तब ।

श्री बनारसी दास--

१०७ में अगर शा..न को इस ब त का समाधान हो जाय चाहे वह कोई भी सदस्य हो नियम का उल्लंघन करने वाला है तो गिरफ्तार किया जायेगा । यह नहीं है कि १०७, ११६ में कोई निर्वाचित सदस्य गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । कानून में कोई अपवाद नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उन्हें हाउस में बुला लिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, विशेषाधिकार के मामले पर आपने निर्णय दे दिया और दुबारा उस पर आप पुनर्विचार करें या न करें यह देख लीजिए लेकिन एक गंभीर प्रश्न अपनी जगह में हैं ...

कारागार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है जब आप निर्णय दे चुके हैं तो फिर बहस किस बात की है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रश्न यह है कि १०७ और ११६ में आप माननीय सदस्यों को गिरफ्तार करते हैं जब अंग्रेजों का शासन था तो तमाम राष्ट्रीय आंदोलन की मांग थी कि इसके अधीन राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार न किया जाय । यहां पर लोहिया जी के चेले माननीय उप मुख्य मंत्री जी और माननीय कौशिक जी बैठे हैं । १०७ और ११६ में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये । इसमें जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है ।

श्री रामाशंकर कौशिक--

माननीय उपाध्यक्ष जो खड़े हैं, आप बैठें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह निर्णय आप नहीं दे सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय आरिफ साहब का एक प्रार्थना पत्र मेरे पास जेल से आया है पहले उनका मेरे पास ८ बजे टेलीफोन आ गया और टेलीफून के जरिए यह सूचना दी कि मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहता हूं, आप मुझ इजाजत दें सदन में उपस्थित होने की और आप डी० एम० से बात कर लें और वहां मुझे बुलवा लें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मुझे इसमें पहले सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष —

मैं आपको अभी नहीं सुनूंगा । तो मेरे पास टेलीफून से सूचना आई और फिर लिखित सूचना भी भेज दी । इस संबंध में नेता विरोधी दल का भी कहना है कि माननीय अध्यक्ष जो पहले थे, उन्होंने इस बारे में अपने कुछ निर्देश दिय थे, उन सब को मैं देख रहा हूं । अब अभी मैं इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेता हूं, जब उस पर विचार कर लूंगा और यह भी देख लूंगा कि लोक सभा और राज्य सभा में क्या प्रक्रिया है तथा किस प्रकार से वहां पर एक सदस्य को इजाजत दी गई और माननीय अध्यक्ष न किस प्रकार यह निर्देश यहां पर दिया, उसके बाद में कोई निर्णय इस पर लूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी जब अध्यक्ष थे, तो उनके मन में यह बात थी कि जब कोई जेल में जाए तो उसे अवसर मिलना चाहिए कि वह सदन में भाग ले सकें । यह जरूरी नहीं है कि विरोधी पक्ष के लोग ही जेल जायें, कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी जा सकते हैं, तो यह परम्परा सभी के लिए लागू होनी चाहिये । हम चाहते हैं कि यह एक अच्छी परम्परा हर एक के लिए बने ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो इसके ऊपर भी मैं विचार कर लूंगा ओर उसके बाद ही कोई निर्णय दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब मैं एटा जेल में झण्डा सत्याग्रह के संबंध में बन्द था, तो उस समय यह प्रश्न यहां उठा था, तो उस समय हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि यदि नारायण दत्त तिवारी एटा जेल से आना चाहते हैं, तो कहें मैं बुलवा सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सूचना देना चाहता हूं, आज दिनांक ७ मई, १९७९ . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

अब क्या आपत्ति है उनको, उन्हें जेल से बुलाने में ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं एक सूचना देने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ उसका अंश कह भी चुका हूं, तो आप जैसे वरिष्ठ और योग्य सदस्य को शोभा नहीं देता है कि आप बीच में मुझे टोकें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

तिवारी जी तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं । उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाया, हालांकि वह बना सकते थे ।

कांग्रेस (आई०) के प्रादेशिक कार्यालय, लखनऊ में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक ७ मई, १९७९ के उपवेशन में नियम ५६ के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव को केवल एक सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है "५ मई, १९७९ की रात में १०, माल एवेन्यु में स्थित कांग्रेस (आई०) के प्रादेशिक कार्यालय के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। यह साधारण प्रशासन से सम्बन्धित है और इसको कार्य स्थगन...

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह साधारण नहीं असाधारण है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आपको मौका मिलेगा, बजट की सामान्य चर्चा के समय। इसको मैंने अस्वीकृत किया है।

***श्री नारायण दत्त तिवारी—**

कल एक हजार पी० ए० सी० और पुलिस ने आधी रात्रि के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई०) के दफ्तर को घेर लिया। उस समय वहां पर एक मीटिंग चल रही थी और उसमें शासन को यह आश्वासन दिया जा रहा था कि हमारी रैली शान्तिपूर्वक रहेगी। मुझे यह कहा गया था कि मैं मुख्य मन्त्री जी से कह दूं कि रैली-जुलूस बिल्कुल शान्तिपूर्वक रहेगा। युवक कांग्रेस की वह मीटिंग बन्द कमरे-हाल में चल रही थी, इतने में पुलिस द्वारा सारे कार्यालय को घेर लिया गया और उसमें लोगों से कहा गया कि आप दफा १०७, ११७ तोड़ रहे हैं। इस पर हम लोगों ने उन्हें अपनी-अपनी गिरफ्तारी दे दी संजय गांधी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह तथा सर्वशक्ति सिंह व पान्डेय जी तथा ३७ जिलों के संयोजक को-कुल ४०० लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें कोई हिंसा का प्रश्न नहीं है, वह सबको रिहा करें और शान्तिपूर्वक जुलूस को निकलने दें। आज हजारों लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं रायबरेली, हरदोई में स्टेशनों पर हजारों पी० ए० सी० और पुलिस लगी हुई है, न जाने कितने युवक कांग्रेस के लोग, स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर रोक-रोक कर गिरफ्तार किये जा रहे हैं। अब तक पांच छः हजार लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहूंगा यह जो असाधारण स्थिति है, जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन के लिए इजाजत दी है। माननीय मुख्य मन्त्री ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि मैं बात करके बताऊंगा। कल ही मीटिंग बन्द कमरे हाल में हो रही थी, जिसमें गिरफ्तारियां हुईं।

श्री उपाध्यक्ष—

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शान्तिपूर्वक जुलूस निकलने वाला था। पांच छः हजार गिरफ्तारियां हुईं। दफ्तर को घेरा गया यह निन्दनीय कार्य है। माननीय मुख्य [मन्त्री जी इस पर खेद प्रकाश भी करें।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि काम रोको प्रस्ताव आपने अस्वीकृत कर दिया है, लेकिन मैं आपकी अनुमति से जो भ्रान्ति माननीय नेता विरोधी दल पैदा करना चाहते हैं उसका निवारण करना चाहता हूं। सरकार का कोई इरादा भाषण की स्वतन्त्रता या प्रदर्शन पर रोक लगाने का न था न है। लेकिन यह भी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने को आश्वस्त करे कि जन जीवन अस्तव्यस्त न हो और शान्तिमय नागरिकों के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। श्रीमन्, युवा कांग्रेस के श्री अशोक बाजपेई ....

श्री श्यामधर मिश्र—

कांग्रेस (आई०)।

श्री बनारसी दास—

कांग्रेस (आई०) के, उन्होंने १८-४-७९ को एक परिपत्र जारी किया। मैं उससे सम्बन्धित भाग पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें दस्तखत किसके हैं ? किसी के दस्तखत नहीं हैं।

श्री बनारसी दास—

अशोक बाजपेई के वह हैं। उसने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधान सभा का घेराव करेंगे। तो अशोक बाजपेई कहते हैं कि घेराव करेंगे। और फिर पूर्व भूमिका हम देखेंगे कि कांग्रेस (आई०) के युवक लोग क्या कर सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

अशोक बाजपेई न कहिये। अशोक कुमार कहिये।

श्री बनारसी दास—

पहली मई को दिल्ली में जुलूस निकला और वहां के सभी स्थानीय समाचार पत्रों ने रिपोर्ट दी कि हिंसा का बड़ा भारी कांड हुआ। चार सौ आदमी मय संजय के गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस (आई०) के जवानों ने दूकानों पर हमला किया शीशे तोड़ दिये। यह फोटो है, जिसमें लिखा है, श्री जगदीश राव भाटिया हैं उनके पट्टी बंध रही है उनका सिर तोड़ दिया। इसी प्रकार का टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ। संजय और २५२ गिरफ्तार पुलिस के साथ घमासान लड़ाई हुई। मैंने नेता विरोधी दल से मदद चाही। मैंने कहा, यदि आप इस बात की जिम्मेदारी लें कि यह जुलूस शान्तिपूर्ण होगा..

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने कहा कि कल शाम तक बताऊंगा। गिरफ्तारियां पहले हो गयीं।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, माननीय ने ा विरोधी दल ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। उप नेता श्री गुलाब सेहरा से मैंने परामर्श किया। श्री गुलाब सेहरा से मैंने कहा कि हमको हजरतमहल पार्क में मीटिंग की इजाजत देने में कोई रुकावट नहीं है और न हम जुलूस पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। आप हमें आश्वस्त कीजिए कि दुकानें नहीं लूटी जायेंगी, दिल्ली की तरह से हिन्सा नहीं होगी। तो श्री गुलाब सेहरा ने कहा कि इन लड़कों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। हमको इस बात की रिपोर्ट थी और हमारी इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट थी कि जुलूस निकलेगा और अवज्ञा होगी और जगह-जगह पर हिन्सा हो सकती है और शान्ति बनाये रखने के लिए सरकार को विवस होकर शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ सकता है और अत्यन्त दुखद घटना हो सकती है इसीलिए इसको बचाने के लिए यह दुखद फैसला करना पड़ा। श्री नारायण दत्त तिवारी जी जब भी जुलूस निकालना चाहें पूरी तरह से जिम्मेदारी लें।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

अभी तक आपने किसी और से इस तरह से कहा, या आप केवल कांग्रेस (आई०) के लोगों से ऐसा कह रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

(शोर के मध्य) यह लोग हिन्सा पर उतारू हैं। इसलिए इजाजत नहीं है। रात को १११ गिरफ्तार किए गये।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल—

कहां पर।

श्री बनारसीदास—

१०·१५ बजे हजरतगंज में १० व्यक्ति, १०·२० बजे नगर महापालिका के पास २० व्यक्ति, १०.२५ पर हनुमान सेतु पर ६ व्यक्ति, बेगम हजरतमहल पार्क में १७ व्यक्ति, सचिवालय के गेट नं० ३ पर १०.४५ बजे ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। तो यह केवल सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया।

श्री नारायण दत तिवारी—

जिलों में जो रोक दिया गया है।

(बाबा राम अधार यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

[× × × ×]

नोट :—[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमने उनको सहयोग नहीं दिया । उसी सम्बन्ध में मीटिंग कर रहा था कि किसी प्रकार से बाहरी तत्व जुलूस में न आ सकें और अशांति न पैदा कर सकें और जुलूस शान्तिपूर्ण हो । युवक संगठन से बात करूंगा मैंने यह कहा था और मीटिंग हो रही थी । मुख्य मन्त्री जी से जो बात हुई थी उसी सिलसिले में मीटिंग की थी। कोई असुरक्षा का प्रश्न नहीं था । दिल्ली से कोई यहां का सम्बन्ध नहीं है । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने आज जिस तरह से काम किया है वह अप्रजातांत्रिक है, उनसे इस तरह की आशा नहीं थी, इसके विरोध में हम आज सदन का बहिष्कार करते हैं ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस (आई०) दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।]

एक सदस्य—

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं मुझे समय दिया जाये...

(शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

१९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री उपाध्यक्ष—

अब १९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी होगी ।

विभिन्न दलों के नेता लोगों व मन्त्रीगण को २५ मिनट, वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मन्त्री के लिए समय निश्चित नहीं रहेगा ।। माननीय सदस्यों को १० मिनट का समय निश्चित करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आपने कहा कि नेता विरोधी दल और मुख्य मन्त्री के लिए समय निश्चत नहीं रहेगा या पाबन्दी नहीं रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल तथा नेता सदन व वित्त मन्त्री के लिए कोई पाबन्दी नहीं रहेगी ।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आज १९७९-८० के बजट पर जिसे माननीय वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है, सामान्य चर्चा में आरम्भ कर रहा हूं । श्रीमन्, जनता पार्टी ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपनी उपलब्धियां इस देश के अन्दर अगर दिखलायी हैं तो पहली तो यह कि उसने सभी अप्रजातांत्रिक अधिकारियों को पुन: रेस्टोर किया है, जिसकी मिसाल आज हम देख रहे हैं जब कि पूरे देश में एक मिनी इमरजेन्सी लगी हुई है। आज हर जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि वे अपने यहां जेलों में ३०० आदमियों का इन्तजाम रखें। जब मकान में बैठ कर बात हो रही थी तो १४४ तोड़ने का खतरा कहां था, कहां अमन चैन का खतरा था, मगर घर के अन्दर बैठे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब इमरजेन्सी नहीं है तो क्या है ? ३ बातें मुख्य हैं जो यहां हुई हैं। जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने रेकार्ड कायम किया है। ३ रेकार्ड कायम किये हैं इस सरकार ने। यह पहला मौका था जब कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक दिन में दो-दो बार ओथ हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक दिन में दोबार ओथ हुई हो। पहली बार मार्निंग में, फिर उसी दिन शाम को। दूसरे आज तक कभी दो-दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए। हो सकता है, बात चल रही है, मुमकिन है ३-४ और हो जायें। तीसरे, सन् ६२ से मैं भी असेम्बली का मेम्बर हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि २७ कैबिनेट मिनिस्टर हों। ५२-५३ की तादाद भी रही है, पर उसमें इतने कैबिनेट मंत्री नहीं रहे। जो यह बजट है हमारे वित्त मन्त्री जी का वह इतना बल्की है, पौने दो घंटे में उन्होंने उसको पढ़ा, शायद उन्होंने इसी ध्यान से बनाया है कि जो नेता सदन हैं, पिछले साल के जो नेता सदन थे, उनके और अब के नेता सदन के दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर को मिला कर इतना बल्की बजट बना दिया है और उनके जो नाबालिग सहयोगी हैं, उनके जो नाबालिग मेम्बर हैं, उन सब की सहायता करने के लिए इस बजट को इस तरीके से रखा है कि हर मर्ज का इलाज सबसे अलग दे दिया है ताकि किसी भी नाबालिग मेम्बर को कोई भाषण देने की जरूरत न पड़े और वह इसी को लेकर पढ़ दे।

आज माननीय गुप्ता जी ने बजट के लीकेज का जिक्र किया, जो ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में है, १४ जून कहा कि १४ जून को चुनाव होगा। यह सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों का सबूत है कि गैर जिम्मेदार लोगों और नाबालिग लोगों की राय इसमें ली गई है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी तशरीफ ले आये हैं। हर आदमी को श्रीमन् अपनी तारीफ की बात अच्छी लगती है। मैं पहले माननीय वित्त मंत्री जी की तारीफ किये देता हूं, जो उन्होंने दो-चार अच्छे काम किये हैं इस बजट के अन्दर। जो इस सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है, ८५ करोड़ का जो डेफिसिट रह गया है, उसके लिए कहां से धन आयेगा। एक बात की मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि यह पहला मौका है कि माननीय मंत्री जी ने बजट में यह रखा है कि हर जिले के अन्दर प्लानिंग हो। आज तक इस प्रदेश के अन्दर प्लानिंग चूंकि दिल्ली और लखनऊ के अन्दर तैयार हुई, यदि यह प्लानिंग ग्राम स्तर और जिला स्तर पर तय होती कि कहां किस चीज की जरूरत है, तो ज्यादा बेहतर होता। इस बात के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट में इस बात को कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर प्लानिंग हो।

सड़कों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितनी सड़कें ग्रामीण अंचल में बनाने का इस बजट में जिक्र किया गया है, उसके लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं। तीसरी बात जो सैलाब के बारे में है, वह तारीफ की बात है कि चाहे वह केन्द्रीय सरकार का आया हुआ रुपया हो, चाहे वह यहां की सरकार ने अपनी तरफ से रुपया दिया हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि बाढ़ के सम्बन्ध में जो

[श्री रियासत हुसैन--]

कार्य किये गये हैं वह सराहनीय हैं । इसके अलावा जो टोल टैक्स का अबालीशन किया है, बेरियर्स को हटाया है, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी और जो गवर्नमेन्ट इम्प्लाइज को कुछ दिया है, हलांकि उससे वे पूरा सैटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी उससे अगर कुछ देने की उम्मीद भी बताकर तसल्ली दिया है । इतने भारी बजट में जो अच्छी बात है, वह यह है और जो कड़ुवी बातें होंगी, वह इसके बाद में कहूंगा ।

श्रीमन्, इस प्रदेश की क्या हालत है । जनता पार्टी राज्य के २ वर्ष पूरे हो गये । लेकिन मजदूर, किसान, विद्यार्थियों, सभ वर्गों की हालत इस समय क्या है ? किसान के पास पैसा जहां से आने वाला है, गन्ने का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ । उनकी हालत बद से बदतर हो गई । २० २५ रुपये क्विंटल आलू बिक नहीं रहा है । आलू गोदामों में जगह नहीं है । पर्चेजिंग सेन्टर खोले गये । वीरेन्द्र पति यादव ने ध्यान आकृष्ट किया कि इसका इन्तजाम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उसका इन्तजाम नहीं हो सका है । श्रीमन्, ९ अप्रैल को कलकत्ते से बोरे चले हैं, लेकिन इस जनता राज्य में जब मेल ट्रेन्स १०-१० घण्टे लेट आ रही हैं तो गुड्स ट्रेन की क्या हालत होगी, वह अभी तक किसी भी जिले में नहीं पहुंचे हैं । गेहूं के क्रय केन्द्र सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं ।

रुपया नहीं, कपड़ा नहीं, किसान को पैसे की जरूरत है तो १००, ९८, ८५ रुपये में गेहूं बिक रहा है । गन्ने में, आलू में, गेहूं में किसान बरबाद हो रहा है । कपड़े के भाव २० रुपये और सोने का १००० रुपया है, डालडा वगैरह-वगैरह जो किसानों के इस्तेमाल की चीजें हैं, का सही नक्शा सामने आता है कि इन २ साल में जनता सरकार कामयाब रही है या नाकामयाब । बाहर जनता आपके इस शासन के बारे में क्या राय रखती है, आप कह सकते हैं कि घटकों की आपस की लड़ाई बहुत बड़ी है जैसा कि 'आज' में छपा है दोनों पापुलेटेड प्रदेश, यू० पी० और बिहार में किसी भी समय मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं । कभी कोई कुछ कहता है कभी कोई कुछ । १५ तारीख के लिए मामला हट गया और आगे क्या तय होगा, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता । इसका फायदा कौन उठा रहे हैं, इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी । अभी पिछले दिनों इस पर माननीय देव बहादुर सिंह के संकल्प पर विचार हो चुका है और बहुत सी बातें ब्यूरोक्रेसी के सम्बन्ध में आ चुकी हैं इसलिए मैं उनको दोहराना जरूरी नहीं समझता ।

अब मैं ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अखबार में छपा है फर्रुखाबाद में ३ लोगों का एक साथ कत्ल । श्रीमन्, बनारस में हमारे उप मुख्य मंत्री जी गये थे, मालूम हुआ है कि उनका वहां स्वागत हो गया । न मालूम क्या हालत हुयी होगी ।

श्रीमन्, इसके अलावा लखनऊ के अन्दर जिस तरह से घटनायें हो रही हैं, बैंकों के अन्दर डकैतियां पड़ी हैं, दिल्ली के अन्दर सवाल किया गया था उसमें बताया गया कि १९७८ में ११ राबरीज बैंकों के अन्दर हुई हैं । मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये तो उनकी वहां अच्छी खासी दावत हुई । श्रीमन्, मेरे मुरादाबाद में स्टेशन के सामने जो नेशनल हाइवे नं० २४ है उसी के पास, वेटिंग रूम के पास, २० मिनट तक लड़कों की आपस में खुली फायरिंग हुई । तो अभी डिमार्केशन नहीं हुआ कि जो० आर० पी० के अन्डर में वह आता है या सिविल पुलिस के अन्डर में वह जगह आती है । दो दिनों तक यह बात निश्चित नहीं हो सकी कि

जी० आर० पी० इसकी इन्क्वायरी करेगी या सिविल पुलिस । तो यह ला एंड आर्डर की हालत है जो बिगड़ती चली जा रही है । आज कोई आदमी सफर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे सिनेमा के अन्दर हो या स्टेशन पर हो वह अपने को महफूज नहीं समझता है । लेकिन हमारे प्रशासन ने ४६ पुलिस मस को एवार्ड दिये हैं । एक इनामात तकसीम हो रहे हैं । एक तरफ यह हालत है और इनामात तकसीम होंगे तो फिर क्या होने वाला है वह खुदा ही बेहतर जानता है । वित्त मंत्री ने सूबे के अन्दर अलग–अलग ईश्यूज के बारे में हर विभाग के मदों के बारे में इस बजट में दिया है । २–३ मामलों के सम्बन्ध में मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं । तन्ख्वाहों के सिलसिले म खर्च बहुत बढ़ गया है ।

आज अखबारों में हमने पढ़ा कि कोई जूनियर इंजीनियर्स का सेमिनार हुआ था उसके अन्दर बताया गया कि एक इंजीनियर साहब जिनकी तनख्वाह एक हजार है । उनका टी०ए० और डी०ए० साढ़े ५ हजार रुपया का है । माननीय वित्त मंत्री जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे । सोचने की बात है सन् ६२ में बजट जो था वह कुछ थोड़े अरबों में था लेकिन अब वह खरबों में पहुंच गया देश और प्रदेश में जो कांस्ट्रक्शन के काम हैं, चाहे वह पी० डब्लू० डी० के हों या इर्रीगेशन के हों, या प्लानिंग के हों, जितने भी कांस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं उनके अधिकारियों में अपने ट्रान्सफर और पोस्टिंग का सिर्फ मूल आधार यह है कि बड़ा काम कहां है । ताकि उससे बड़ा घपला करने का उनको मौका मिल सके । श्रीमन्, मैंने यहां सिंचाई के के सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि प्रदेश में १३५४ जूनियर इंजीनियर इर्रीगेशन में रखे गये हैं १९७८ में तो उनमें क्या कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जिनके पास डिप्लोमा नहीं थे । इस पर राज्य मंत्री, सिंचाई, श्री रावत जी ने उत्तर दिया था कि १३ जूनियर इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा नहीं थे । डिप्लोमा के बिना ही वह क्यों नियुक्त हो गये । तो इस पर जवाब दिया था कि इसको हम देखेंगे और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे । इसलिए अब मैं जानना चाहता हूं कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है । यदि नहीं, तो क्यों ? लेकिन डिटेल में जब इर्रीगशन का बजट आयेगा तो फिर इस पर कहूंगा । इसलिए यह जो अंधाधुंधी विभागों में हो रही है उसको आप रोकेंगे कि नहीं या बजट रखकर ही मंजूरी देने के आप मालिक हो गये । पी० डब्लू० डी० या और विभागों में जो भ्रष्टाचार हैं उसको रोकने की प्रगति किया है कि नहीं । इसको आप बतायें ।

मान्यवर, हरिजन सोशल वेलफेयर विभाग नेगलेक्टेड है । पाठा जल योजना बनी जिसमें ४ करोड़ रुपया खर्च करके बांदा, इलाहाबाद में गांव–गांव में पानी की टंकियां बना दिया । लेकिन गांव में पहुंचे तो वहां पानी ही नहीं है । इस योजना का मेन्टीनेन्स जल संस्थान को सौंपा गया है । मालूम करने पर उन्होंने बताया कि हमने तीन बार शासन को लिखा कि हमें ४५ लाख रुपये मेन्टीनेन्स के लिए चाहिए तभी हम पाठा योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं । उनको इसमें कभी २ लाख रुपये कभी तीन लाख रुपये ही मिलता है जिससे कोई फायदा नहीं होता है । इसलिए इस योजना पर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, इसी प्रकार पहाड़ों में भोटिया जनजाति का सारा व्यापार चाइना आक्रमण के बाद बन्द हो गया । वह ६ महीने ऊपर रहते हैं और ६ महीने नीचे । लेकिन उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वह लोग ८०० क्विंटल ऊन पैदा करते हैं लेकिन वहां कोई प्रासिसिंग यूनिट न होने के कारण उनके श्रम का उचित उपयोग नहीं हो पाता है । इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनको विश्वास हो सके कि किस तरीके से वह बौर्डर में रहें ।

[श्री रियासत हुसेन---]

अब मान्यवर, मैं एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में कहना चाहता हूं। मुरादाबाद में एक गन्ना सोसाइटी है। वह ६१.८३ लाख रुपये की सोसाइटी है। उसमें ४० लाख रुपया ऐसा है जो एक साल से ज्यादा का हो गया है। इसमें किसान से सारा रुपया वसूल कराया गया है। लेकिन खाद का रुपया जमा नहीं हुआ है। इसलिए मैं बार-बार कह चुका हूं कि इसको समाप्त करके आप अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं। अभी कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के बारे २-३ दिन पहले माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कह दिया है। इसकी तारीफ क्या करना। पता नहीं उसने क्या लिया लेकिन दिखाते हैं उसके बारे में हजारों का बकाया। माननीय मंत्री जी ने उसमें कुछ नहीं किया। स्थिति वैसी की वैसी है। मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा जो बजट प्रस्तु किया है इसके अन्दर अगर कुछ अच्छी बातें होती, कुछ कन्स्ट्रक्टिव बातें होतीं तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस सिलसिले में कुछ है ही नहीं, तो उसमें कहें क्या ? तारीफ की तो बात जो पहले करनी थी, कर दीं। आगे तो घोटाले ही घोटाले हैं। २-३ बातें केवल अच्छी की हैं। लेकिन बाजार को जो टेक-ओवर किया है, उसके सम्बन्ध में जरा जल्दी आर्डर निकाल दें तो ठीक होगा ताकि आमदनी बढ़ सके। माननीय मंत्री जी डा० लोहिया के पुजारी हैं। मैं उम्मीद करता था कि बजट के अन्दर आप ३ १/८ एकड़ तक जो लगान माफ किया है उसको बढ़ाकर सवा छः एकड़ कर दिया जायेगा। यह उम्मीद थी। लेकिन सवा छः एकड़ तक अगर माफ नहीं कर सके तो कम से कम ३ १/८ और ६ १/४ एकड़ की परिधि में जो आते हैं, उनका लगान आधा कर दें और ३ १/८ एकड़ का लगान डायरेक्ट गांव सभाओं को दे दें---वसूली आप कर। अगर यह कर देते तो अच्छा होता।

(लाल बत्ती जलने पर)

आपने मान्यवर, बत्ती दिखा दी। ग्रान्ट वाइज बात फिर कहूंगा। माननीयके वित्त मंत्री जी डाक्टर राम मनोहर लोहिया के दोस्त कहिये या चेले कहिये (जोकिये मेरे भी दोस्त हैं) उनके सामने मैंने ये बातें रख दीं। आशा है, उन पर गौर करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पूरी तरह से सुना। मुझे इस बात का सन्तोष है कि भाषण और आगे जो कुछ किया जायेगा, बहुत ही आकर्षक है। मान्यवर, कुछ समय तक मैंने भी सहयोगी के रूप में इस सरकार में काम किया है। जो कुछ भी बजट भाषण में सुना, उनके बारे में वर्तमान सरकार का ध्यान आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और वह यह है कि निचले स्तर पर काम करने की कड़ाई की जायेगी। निचले स्तर पर जो तन्त्र है, उसको ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा। वैसे बहुत से काम हुए हैं। लेकिन आलोचनायें बहुत होती हैं न होने की शिकायतें बहुत आती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस काम की ओर ध्यान दिया गया होता और आगे भी ध्यान दिया जायेगा तो शिकायतों का पक्ष कमजोर हो जायेगा 'न' की संख्या कम हो जायेगी और 'हां' की तादाद सामने प्रकट हो जायेगी। इस सम्बन्ध में आपका सूचना विभाग है लेकिन मैं नहीं समझता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे काम शासन में किये गये हैं कि अगर उनको उजागर किया जा सके तो मेरा विश्वास है कि यह कमी दूर हो जाएगी। लेकिन खेद का विषय है कि जो कुछ हो रहा है, वह पीछे रह जाता है और जो कुछ नहीं हो रहा है, वही उजागर होकर सामने आ रहा है। जो कुछ हुआ है उसका

प्रचार अगर एक है तो जो कुछ नहीं हुआ है, उसका प्रचार १० है। तो किस हालत में जनता में आपकी सराहना होगी।

तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, उसके प्रचार कराने की बहुत आवश्यकता है। आपका उत्पादन इतना बढ़ गया। गेहूं ९० लाख टन की जगह, इस साल एक लाख टन पर पहुंच जायेगा।

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

३५ लाख टन जो आलू पैदा हुआ था, वह ४५ लाख टन चला गया। ६ करोड़ टन चीनी गोदाम में पड़ी थी, उसके बाद उतना ही गन्ना खेतों में और खड़ा हो गया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि खेती के उत्पादन में असंतुलन पैदा हो गया है, किसानों की हालत खराब हो रही है, इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यदि ११५ रु० क्विंटल के गेहूं के दाम केन्द्रीय सरकार न घोषित किये होते तो गेहूं का दाम बाजार में ६० रु० क्विंटल चला जाता। किसान इसके लिये केन्द्र सरकार का ऋणी रहेगा। आज उत्पादन बढ़ता जा रहा है, गन्ने का गेहूं का, चीनी का, आलू का, लेकिन उसका भाव गिरता जा रहा है, इससे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अगर इस बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो भी मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे और कृषि क्षेत्र में जो असंतुलन पैदा हो गया है, उसे मिटायेंगे। किसान को मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि अगर १० एकड़ खेती तुम्हारे पास है तो कितने में गेहूं, कितने में गन्ना, कितने में धान और कितने में आलू बोये। जिससे हर चीज का उत्पादन संतुलित रूप से हो सके। इसके लिये नियोजित कृषि योजना चालू करने के लिये शासन कदम उठायेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।

माननीय रियासत हुसेन ने कहा कि सड़क बनी हैं। मेरा निवेदन है कि अगर सड़कों के प्रश्न पर चुनाव लड़ लिया जाए तो इससे ज्यादा समर्थन के साथ हम आ सकते हैं। लेकिन दुख है कि जिस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क बन गई है, लेकिन वर्कमैनशिप की क्या हालत है? मैं अभी आवास विकास परिषद् द्वारा बने महल में गया हूं लेकिन अब मैं लेटता हूं तो मुझे डर लगता है कि पंखा मेरे सिर पर न गिर पड़े। जब मैं खड़ा होता हूं तो चिन्ता होती है कि दीवार मुझे लेकर नीचे न चली जाए, कील ठोकते हैं तो दूसरी ओर पूरा चिथड़ा निकल आता है। जहां हम लोग रहते हैं, वहां यह हालत है तो जो सड़कें बनाई गई हैं उनके लिये तो हमें जनता से गालियां खानी पड़ सकती हैं। पुलियां नहीं बनी हैं, लोग चलते हैं तो परेशान होते हैं। काम अधूरा पड़ा है। वर्षा आएगी और पानी के साथ-साथ सारी मेहनत भी बह जाएगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हालत बिगड़ने न पाये और आलोचना से बचने के लिये इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अन्त्योदय एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी तुलना संसार में कहीं नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस सरकार ने भी गरीबों के कल्याण की योजनायें चलायी थीं लेकिन उसमें भी उन्होंने जाति-पाति का हिसाब रखा था लेकिन जनता सरकार ने यह अन्त्योदय का काम शुरू किया और यह नहीं देखा कि जाति क्या है, स्त्री पुरुष नहीं देखा, यह बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन हम लोगों ने एक बात कही कि बेनीफिशियरी को स्वयं अपनी पसन्द

[श्री हरिश्चन्द्र---]

के अनुसार चीज लेने की सुविधा दी जाये लेकिन सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई कि बेनीफिशियरी को कहा गया कि तुम बैठे रहो, सरकारी कर्मचारी तुम्हारा सब काम कर देगा। इससे मैं समझ गया कि इस प्रकार सारा मामला गड़बड़ होने वाला है। सरकारी कर्मचारी मिलकर सब खा गये। इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है, तभी बीच का भ्रष्टाचार नियंत्रण में आ सकता है। मैं बस्ती जिले में घूम रहा था, मेरे पास शिकायत आई कि अंत्योदय प्रोग्राम में पशु पर 'अ' लिखाये जाने की व्यवस्था की गई थी जिससे कि गरीब आदमी का जानवर कोई दूसरा न उठा ले जाए, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया गया है। अगर इसमें उचित व्यवस्था की जाये तो दुनियां में लोग इसका नाम लेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जिन लोगों की ३०-३०, २०-२० साल की सेवायें थीं और वे टेम्परेरी चल रहे थे, श्री राम नरेश यादव की सरकार में यह निर्णय लिया गया कि जिन लोगों की सेवायें ३ साल की हो गई हैं, उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। किस दफ्तर में इस निर्णय को लागू किया गया है ? आज भी हजारों आदमी ऐसे टेम्परेरी पड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि बजट सेशन पूरा होने के पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा और अधर में लटके हुए कर्मचारी स्थायी हो जायेंगे।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, मैं स्वयं भी खाद्य मंत्री रह चुका हूं। आज जो सीमेंट की बोरियां कारखानों से दुकान पर आती हैं तो किसी बोरी में तो ५० की जगह ४०-४२ किलो ही सीमेंट रह जाती है और किसी में ५२-५४ किलो हो जाती है, ५२-५४ किलो वाली तो दुकानदार लोग ठीक कर लेते हैं लेकिन ४२-४४ किलो वाली उपभोक्ताओं को मिलती हैं। बोरे में सीमेंट भरने की मशीन के लिवर पर धूल चढ़ जाती है जिससे बोरों में बराबर सीमेंट नहीं भरता है। इसके बाद वह बोरी बेल्ट के द्वारा बाहर आती है, वहां पर एक यंत्र लगा दिया जाए जैसा कि हवाई अड्डे पर तौलने का यंत्र होता है। उसमें बोरी तौली जाती है और अगर सीमेंट कम होता है तो सुई एक ओर चली जाती है और अगर सीमेंट ज्यादा होता है तो दूसरी ओर चली जाती है। यह तौल की मशीन ही इसमें सुधार कर सकती है।

बाढ़ पर बहुत काम किया गया। बाढ़ पर जितना उत्तर प्रदेश सरकार ने और केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया, ५२ करोड़ रुपये की सहायता आई। लेकिन इस बार के लिये मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस वर्ष वर्षा विगत वर्ष से ज्यादा होगी, आप तापमान देख लें। विगत वर्ष जो अप्रैल में तापमान था, इस साल उससे डेढ से तीन डिग्री तक तापमान ज्यादा है। वर्षा ज्यादा होगी और बाढ़ भी ज्यादा आएगी। दो महीने वर्षा को रह गये हैं, बाढ़ नियंत्रण की सारी योजनायें ठप पड़ी हैं। मैंने गोरखपुर में सुना कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने बाढ़ से बचाव के लिए एक जी० ओ० सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि उस जी० ओ० पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले साल राम नरेश यादव की सरकार ने तीन करोड़ मांगा था लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। इस साल प्रबन्ध नहीं किया जायगा तो ५ करोड़ रुपया मांगना पड़ सकता है। इसलिए मैंने गोरखपुर में यह कहा था कि एक सेन्ट्रल फ्लड बोर्ड की शाखा खोली जायगी जिससे बहराइच से ले कर बलिया तक के सरजू राप्ती के बीच के जिलों को बचाने का प्रबन्ध गोरखपुर से होगा, कुछ नहीं हो पाया है। मैंने कहा था कि नदी, नालों को गहरा कर दिया जायगा जिससे पानी को रोका जा सके, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। इस तरह की बहुत सी योजनायें

सोची गयी थी सब की सब जहां की तहां पड़ी हैं । डेढ़ महीना शेष रह गया है, युद्ध स्तर पर इन योजनाओं को लीजिए और बाढ़ से प्रदेश को बचाइये ।

मान्यवर, समय समाप्त हो चुका है इसलिए इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के काम बहुत अच्छे हैं, सब लोग उसकी सराहना करते हैं लेकिन जो न्यूनतायें रह गयी हैं उनकी ओर भी समय-समय पर ध्यान दीजिए । उनके बिना हम सफल नहीं हो पायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, जो आय-व्ययक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है....।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

सराहना का मामला चल रहा है चलने दीजिए....।

श्री श्याम धर मिश्र--

जो सराहना की बात होगी, अवश्य की जायगी, श्रीमन् । कुछ अवश्य है लेकिन जिस हद तक नहीं हैं तो विपरीत भी की जायगी ।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस आय-व्ययक के बहस पर जब बातें होती हैं तो ये दूसरी बार कही गयी इस विधान सभा के कार्य काल में । दूसरी बार हम लोग बोल रहे हैं । श्रीमन्, दुर्भाग्य की बात है तीनों वर्षों में लेखानुदान के रूप में आना पड़ा । यह सरकार आई । पहली की सरकारें भी कई वर्षों तक लेखानुदान के रूप में आई । क्या परिणाम हो रहा है इसका, श्रीमन् । उसका परिणाम यह हो रहा है आप देखें कि यह स्वीकृति जो जून के अंत तक होगी वह कार्यान्वित होगी अक्तूबर-नवम्बर में क्योंकि जुलाई अगस्त में तो तैयारी ही होगी । सात वाल्यूम बजट पढ़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन जितना पढ़ा जा सकता था, हमने पढ़ा ।

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि स्वीकृति दी जा रही है लेकिन जहां तक आर्थिक स्वीकृति का सवाल है इसकी पुन जांच की जायगी । इसके माने यह हुये कि हम लोगों की स्वीकृति के बाद कड़ाई से एक आर्थिक स्वीकृति, जो पहले ही हो जाती है, फिर दी जायगी, जिसमें समय लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितम्बर । सितम्बर तक राजाज्ञा होगी । केवल ६ महीने इस साल कार्य करने के लिए मिलेंगे अक्तूबर से लेकर मार्च तक । साल भर का आप का व्यय है । वैसे तो सारे व्यय हो जाते हैं लेकिन नई मदों में जो व्यय है वह केवल ६ महीनों के लिए है । ऐसी सूरत में हम लोग जो सुझाव देते हैं, हम लोगों को कहने में तकलीफ होती है, उन सुझावों को विभाग कार्यान्वित नहीं करते हैं । सेन्टर में यह होता है, मैं जानता हूं, कि तमाम सदस्यगण जो कुछ बजट में या अन्य भाषणों में कहते हैं उसकी जांच हो करके उस पर विभाग की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में सदस्यों को लिख दिया जाता है ।

यह दूसरा वर्ष है मेरे पास अपने भाषणों के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई । एक तो यह दुर्भाग्य है । दूसरा दुर्भाग्य यह है कि प्रेस हमारा कोई रचनात्मक सुझाव छापने को तैयार नहीं है और विध्वंसात्मक बात कह दें तो टाप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

प्रायरिटी पर छप जायगी । विकास में योगदान देने के लिये हम भी नहीं खड़े हैं, पत्रकार भी हैं । हमको उन्हें सहयोग देना चाहिये । इस पुस्तिका में दिया हुआ है सूचना विभाग जिलों में ही नहीं, ५ साल में मंडलीय स्तर तथा तहसील स्तर पर भी काम करने लगेगा लेकिन सूचना विभाग के जरिये कई बातें सामने नहीं आती हैं बजट की । स्वीकृतियां बहुत विलम्ब से होती हैं । साल भर का काम ६ महीने में होता है । ५० करोड़ का घाटा इस तरह होने वाला नहीं है । होगा यह कि साल भर का काम ६ महीने में खत्म हो जायगा । नतीजा यह होगा कि बचत हो जायगी जैसे कि पिछले साल हो गयी थी । ऐसी स्थिति से आप बचें मैं माननीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ रहा था और सुन भी रहा था । इसमें लिखा है कि इस वर्ष १९०० कुछ करोड़ में से ३१३ करोड़ का पूंजीगत व्यय होगा । पिछले साल की पुस्तिका देखें । २०० करोड़ अधिक है । लेकिन २०० करोड़ में जहां लिखा है ५० करोड़ पूंजीगत व्यय इस साल अधिक कर रहे हैं तो वह संख्या नहीं मिली । पिछले साल ३०९ करोड़ पूंजीगत व्यय दिखलाया गया था और इस साल ३१३ करोड़ पूंजीगत व्यय दिखाया गया है । १९१३ करोड़ में ३१३ करोड़ रुपया अगर पूंजीगत व्यय हो तो आप फीसदी निकाल लें २० फीसदी के लगभग हुआ ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---

कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

१ व २ के बीच में परम्परा यही है कि कोरम का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष यही व्यवस्था पहले दे चुके हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र---

इस तरह ८० फीसदी राजस्व व्यय है । राजस्व व्यय में लगभग आधा व्यय कर्मचारियों का वेतन है । इसके माने यह हुए कि प्रदेश में १०० रुपये में लगभग ४५ रुपये केवल तनख्वाहों पर व्यय होगा । ३०, ३५ रुपया मेनटिनेन्स पर । इस तरह ८० रुपया हो गया । केवल १०, २० प्रतिशत नई पूंजी लगायी जाती है । उसमें नये तथा पुराने ढंग में भ्रष्टाचार होता है । इस पर आप जरा सोचें । यह नहीं होना चाहिये कि प्लानिंग कमीशन कह रहा है इसलिये टैक्स बढ़ा कर आप आमदनी बढ़ायें । राजस्व व्यय में अधिकारियों पर जो व्यय हो रहा है उसमें कम से कम १०, २५ फीसदी व्यय कम करें और कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि आपका अनुभव होगा और माननीय मंत्री जी को मेरे से ज्यादा अनुभव है । एक-एक जिले में चले जायं तो मैं चुनौती देता हूं कि योग्यतम व्यक्तियों को जो कि जानकार समझे जाते हैं, २४ घन्टे में बिना उनसे पूछे हर विभाग का नाम लिख दें, उनको विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम ही मालूम नहीं है । पूरे विभाग का नाम ही नहीं बता सकते हैं । उन्हें यह मालूम नहीं है कि विभाग में क्या काम हो रहा है । बांया हाथ नहीं जानता कि दांया हाथ क्या काम कर रहा है । बनारस में क्या हो रहा, इलाहाबाद वाला नहीं जानता । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि राजस्व व्यय इस प्रदेश में बहुत अधिक है । फाइनेन्स कमीशन के बारे में कहा जाता है । पहले भी गल्तियां हुई हैं और अभी भी वही गल्ती हो रही है । रख-रखाव पर खर्चा होता है । इस साल फाइनेन्स कमीशन ने आपको रुपया दिया

है । जितना दिया है वह तो ठीक है क्योंकि इस समय कुछ ज्यादा दिया है लेकिन आपका रख-रखाव भी हर साल बढ़ रहा है जिसे अप कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, वह भी बढ़ रहा है । जनता पार्टी की सरकार भी इसे कर रही है । इसके क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि आपकी ३० हजार मील की पक्की सड़कें हैं और वे कच्ची रेती जाती हैं क्योंकि उसका मेंटीनेन्स नहीं होता है । मेंटीनेन्स के लिये फाइनेन्स कमीशन पैसा नहीं देता, आप अपना पैसा लगा नहीं सकते, राजस्व से आप पैसा लगा नहीं सकते और इस प्रकार आप एक चक्कर में फंस जाते हैं और तब आप हम लोगों के सामने आते हैं....।

श्री मधुकर दिघे--

फाइनेन्स कमीशन ने इसके लिये रुपया दिया है....।

श्री श्यामधर मिश्र--

७वें फाइनेन्स कमीशन ने रुपया आपको दिया है लेकिन जिन शर्तों के साथ आपको यह रुपया मिला है उनको आप पूरा करते हैं ? जहां २ हजार करोड़ का काम हो रहा है और ५० करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मुनाफा जोड़ दिया जाय तो क्या पांच वर्ष में इस तरह से आप लाभान्वित हो सकेंगे, कदापि नहीं हो सकते । ये ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना होगा । ७वें आयोग की बात करते हैं, ६ठीं पंच वर्षीय योजना की बात करते हैं किन्तु उसका प्रारूप हमारे सामने नहीं लाते । इसका क्या कारण है जब कि उसका प्रारूप मानकर आप बजट की स्वीकृति ले रहे हैं । तब मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि उसे आप हमारे सामने प्रस्तुत न करें । श्रीमन्, प्रान्त बहुत बड़ा हो गया है और यह मोह-माया इस प्रान्त में हो गयी है । चाहे मुख्य मंत्री हों, या उप मुख्य मंत्री हों इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं और मैं यह तर्क योग्य राय देना चाहता हूं । वह यह है कि अब कोई उपाय नहीं है अगर इस प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में लाना है तो जो राम कृष्ण की भूमि का मोह है, यमुना गंगा का मोह है उसे छोड़े, जो पूर्व और पश्चिम का मोह है उसे छोड़ें यह एक देश है इसका बंटवारा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से करना आवश्यक है । हम सब एक हैं और एक रहेंगे गुजरात के लोग एक हैं इसमें कोई दो राय नहीं है । यह मैं अपनी बात कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस वालों से आप चिढ़ते हैं, यह मेरी निजी राय है । आज के जो मुख्य मंत्री हैं जब वह हमारे साथ थे उस समय से इसमें मतभेद थे मैं उस समय भी चाहता था । आज भी मतभेद रखता हूं । मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि अपनी राय व्यक्तिगत रूप से कह दूं पता नहीं और लोगों की क्या राय है ।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से वह यह कि आप एसेसमेंट करायें जितने भी आप काम कर रहे हैं, हर साल जितनी पूंजी लगा रहे हैं या जो २५, ३० वर्ष में लगाई है उसका एसेसमेंट करके बता दीजिये इस साल नहीं तो अगले साल के लिए कमिट कर दीजिये कि इस प्रदेश में आपने जितनी पूंजी लगाई है उसका एसेसमेंट आ जाय कि यह स्थिति है तो बड़ा अच्छा होगा । उसे उस प्रोग्रेस में बताइये जिसमें इनवेस्टमेंट हुआ था एक कोई मीन ले लीजिये ६०-६१ की प्राईस में ले लीजिये । आपने तीन सौ करोड़ की पूंजी लगाई या दो सौ करोड़ की लगाई उसका पता नहीं चल रहा है कि क्रियेशन

[श्री श्यामधर मिश्र---]

क्या है। शासन केवल ला एन्ड आर्डर के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए भी है।

श्रीमन्, हमारे यहां ऐसे विभाग हैं, मैं ले आया हूं पंचायती राज समिति जो अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में बनी थी उसकी रिपोर्ट मैंने अक्षरश: पढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि पुराने समय से अब तक विकेन्द्रीकरण की बात सब कहते हैं, जबानी विकेन्द्रीकरण की सौगंध भी खाते हैं लेकिन जब विकेन्द्रीकरण की बात आती है तो अपने तक विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। कलेक्टर चाहता है कि सब अधिकार मुझे मिल जायं, ए० डी० एम० चाहता है कि कुल अधिकार मुझे मिल जायं, मंत्री चाहता है कि कुल अधिकार मुझे मिल जायं। कोई भी आदमी हो वह चाहता है कि अधिकार मुझे मिल जायं और मेरे जो अधिकार हैं वह देने न पड़े। अगर इस रिपोर्ट को देखा जाय तो किस तरह से प्रदेश का विकास करने के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए..।

आय-व्ययक के विवाद के अवसर पर अधिकारियों की सदन में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है और शायद तिवारी जी वाक आउट न किए होते तो विरोध पक्ष के नेता का महत्वपूर्ण भाषण होता है और उसमें सुझाव आते हैं और लोगों के भी सुझाव यहां पर आते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य यहां बैठे हैं वह नोट भी तैयार करते रहेंगे लेकिन अधिकतर नोट जो हैं वह हमारे जो अधिकारी बैठते हैं वह तैयार करते हैं और वह विभागों को निर्देश देते हैं। अभी तक की परम्परा रही है कि विभाग के जो हेड हैं वह यहां मौजूद रहें और हमारे और आपके जो सुझाव आयें उनको वह नोट करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहां पर कोई अधिकारी दो एक विभागों को छोड़कर नहीं हैं। उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

इस सदन में एक बार यही व्यवस्था का प्रश्न उठा था, तो उस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि बजट पर सामान्य चर्चा के समय वित्त सचिव, गृह सचिव तथा अन्य तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को यहां पर रहना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप उस पीठ से ऐसे निर्देश दें कि जिससे नौकरशाही का दिमाग भी ठिकाने आ सके।

श्री अधिष्ठाता---

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री श्यामधर मिश्र--

अगर सही मायने में पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक हालत को ठीक किया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात आदि अन्य प्रगतिशील प्रदेशों की तरह इस प्रदेश का भी समुचित विकास हो सकता है। मेरे जिले में ४ वर्ष पहले स्वायल कंजरवेशन के नाम पर ६ छोटे-छोटे बांध बनाए गए थे और उसको कागज पर प्रख्यापित किया गया, ६५-७० लाख रुपया लगाकर वह लोग चले गए और अब उन्होंने कहा कि अब इसका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका मेन्टीनेन्स दूसरा कोई विभाग करेगा। बाद में वह सब काम रह गया, क्योंकि उसका रख-रखाव करने वाला कोई नहीं था। तो असेट्स या तो आप क्रिएट न करें और यदि बनाते हैं तो उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या विभाग पर पूरी तरह डालें। यह काम वहां की संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए।

अब मैं व्यक्तिगत अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ बतलाना चाहता हूं, आप देखें कि क्या वह रुपया सम्बन्धित लोगों को सही रूप से दिया जा रहा है या उसका सदुपयोग हो रहा है। नहीं हो रहा है, किन्तु यदि कोई उसके सम्बन्ध में इंक्वायरी की मांग करे तो उस पर ही अधिकारी लोग उल्टे आरोप लगा देते हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए और जो रुपया छोटी-छोटी राशि के रूप में व्यक्तियों को मिलता है, उसको बन्द करके, उसे यदि पंचायतीराज संस्थाओं के जरिए दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा, जैसा कि अशोक मेहता कमेटी ने भी कहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप समय का ख्याल रखें।

श्री श्यामधर मिश्र--

वह मेरे ख्याल में है। सरकार ने टैक्स लगाए हैं। इन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगाया है। उनके बारे में यह कहना कि यह तो बहुत कम है, उचित नहीं है। आपने शिक्षा उप कर लगा दिया। एक्साइज टैक्स पर आप लोग सोचिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

और किससे कह सकता हूं, माननीय मधुकर दिघे को सुना रहा हूं, माननीय उपमुख्य मंत्री को सुना रहा हूं, जो बैठे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को प्रायारिटीज फिक्स करती हैं कि कौन सा रूप लाना है। हम लोग बनारस से आते हैं लखनऊ के लिए। काशी विश्वनाथ से आते हैं। तो लोग यहां से जाते हैं रायबरेली पीने के लिए। दूसरी गाड़ी से रायबरेली से चढ़कर लौटते रहते हैं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में १०-१०, १५-१५ आदमी बैठ जाते हैं। कैसे आप कंट्रोल करेंगे, यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक दो बात और कहूंगा। वह सड़क के सम्बन्ध में है। सचमुच बड़ी दुर्व्यवस्था है। १८-२० प्रकार की सड़कें इस प्रदेश में बन रही हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें, जिला परिषद् की सड़कें, इसकी सड़कें, उसकी सड़कें। इस किताब में लिखा हुआ है, बीस प्रकार की सड़कें ह। हमें बहुत खुशी होगी कि २० से ५० हो जाय। नतीजा क्या हो रहा है। योजनाओं में जो सड़कें बन रही हैं उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था

[श्री श्यामधर मिश्र---]

नहीं है । एक ओर सड़कें बनती जाती हैं, दूसरी ओर सड़कें कच्ची होती जा रही हैं । समय आया है कि इस पर आप पुनर्विचार करें । इसी किताब में लिखा हुआ है । ६६ से, ६७ से, ६८ से सड़कें शुरू हुई हैं, अब तक बन रही हैं । आज दस बारह साल हो गए ।

एक प्राविधान होना चाहिए ।

(व्यवधान)

वह अगर गलती न करते तो माननीय नारायणदत्त तिवारी आज वाक आउट न किए होते, वह नेता विरोधी दल न होते । आप उनको क्या कहते हैं । यह तो संजय के साथी गलती करने वाले पुराने आदमी हैं । अब भी गलती करते चले गए । उसको क्यों दोहरवाते हैं ?

(व्यवधान)

मैं साथी नहीं था इसलिए अलग हो गया । आप जानते हैं मैं उनके साथ नहीं था । इसीलिए अलग हो गया । यह सब चीजें ऐसी हैं सड़कों के सम्बन्ध में, आप देखें टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं । हमारा निवेदन है, इन सड़कों के प्रकार कम किए जायं । जितनी टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज में सड़कें हैं चार गुना चौड़ी सड़कें कर दी जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

नतीजा यह हो रहा है कि ऐसा न करने से वहां एनक्रोचमेन्ट हो रहा है ।

यहां के विषय में, पिछले साल भी मैंने कहा था, विधान सभा में, जैसा सेंट्रल हाल केन्द्र में है वैसा सुन्दर सेंट्रल हाल विधान सभा में वहां की तरह, पूरी तरह से बनाया जाय । पूरा काल आपको मिला है । तो इसका उपयोग करें । पांडेय जी नहीं हैं । पांडेय जी से एक निवेदन करके बैठ जाता हूं । वह आए थे, चले गए । उनकी नई दोस्ती हो गई है तिवारी जी से ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

उनकी दोस्ती आर०एस०एस० और तिवारी जी से हो गई है और आरोप लगा देते हैं कि हम लोगों की जनता पार्टी से हो गई है । सदन में आरोप लगाते हैं । इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छी चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन बहुत सी चीजें करनी हैं ।

बाबा राम अधार यादव--

सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें । कोरम नहीं है ।

एक सदस्य--

कोरम पूरा रखने को तो आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी जिम्मेदारी नहीं है । नेता सदन और नेता विरोधी दल की है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

*श्री विक्रमा राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया है । पहला बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया था वह एक प्रकार से पहले से ही बनाया हुआ था, उसमें केवल कुछ संशोधन करके उन्होंने प्रस्तुत किया था । दूसरा बजट आया तो उन्होंने गांव की ओर चलो का नारा दिया और यह तीसरा बजट है जिसमें उनका असली रूप सामने आया है और जिसमें किसान, मजदूर और कर्मचारी सभी की ओर ध्यान देने की कोशिश की गई है लेकिन विचारों से समाजवादी होते हुए भी नौकरशाही के जाल में फंसकर जो टैक्सों का प्रस्ताव दिया है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वह उस पर पुनः विचार करें । वह गांव परस्त बजट बनाने की कोशिश करें । इसमें उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया है और उसी कारण विरोधी पक्ष के लोग जब बजट पर भाषण करने खड़े होते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं । यह हमारे वित्त मंत्री जी की काबलियत का द्योतक है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अधिकारियों का दिमाग अधिक लगा है इसीलिए उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई है । माननीय वित्त मंत्री जी मजबूरीवश अपने विचारों का सही प्रदर्शन नहीं कर पाए । जो वर्ग जनता पार्टी पर हावी था, इस बार उसका प्रभाव कुछ कम हुआ है और इस बार यह बजट किसान, मजदूर उन्मुख दिखाई दे रहा है, किन्तु पिछले दो वर्षों के अनुभव के आधार पर जो लाभ उठाना चाहिए था वह वित्त मंत्री जी ने नहीं उठाया है । यह बजट साल भर का दिग्दर्शन होता है । प्रदेश की नौकरशाही ने आपकी मंशाओं को पूरा नहीं होने दिया । मिसाल के लिये पिछले बजट में आपने गांव की ओर चलने का नारा दिया था, बजट का बहुत बड़ा भाग गांव के विकास के लिए खर्च करने का नारा दिया था, लेकिन उन नारों के अनुसार खर्च नहीं किया गया । आपने जो गांव की ओर चलने का नारा दिया था वह सही माने में आपकी नौकरशाही के कारण चरितार्थ नहीं हो पाया । इसके लिए गांव के विकास के लिए जो खर्च करने की आपने नीयत बनाई थी, वह पैसा आधा भी उस ओर खर्च नहीं हो पाया ।

जहां तक अन्त्योदय योजना तथा अन्य ग्राम विकास योजनाओं का सम्बन्ध है उससे भी लाभ नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विक्रमा राय—]

अन्त्योदय के माध्यम से जनता को जिस प्रकार से आप सेवा करना चाहते थे वह नहीं कर पाए। आप चाहे सिंचाई को ले लें, चाहे सड़कों को ले लें, चाहे बिजली को ले लें, हर मदों का पिछले सालों से तुलनात्मक अध्ययन से पता चलेगा कि आपने जनता के हितों को ध्यान में रखकर हर मद में खर्च बढ़ाने का प्रयास किया है। हर मद में एक से तीन करोड़ तक ज्यादा खर्च करने का इरादा बनाया है। इससे लगता है कि सरकार का इरादा सही माने में प्रदेश के अन्दर विकास करने का है। लेकिन आज विचारों के अन्दर जो द्वन्द्व है, उससे, जनता पार्टी के ही अन्दर, अलग—अलग विचारों के प्रतिनिधि सरकार पर दबाव डालकर जनता पार्टी के लक्ष्य को ही धूमिल करने पर तुले हैं। म कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से, जिस निष्ठा से, जिस विश्वास से आपने यह बजट प्रस्तुत किया है, आप अगर सही माने में इस बजट को कार्यान्वित करने में साकार हो पायें, तभी जाकर आप जनता पार्टी की छाप इस प्रदेश के अन्दर सही माने में डाल पायेंगे। जहां तक मैंने कहा कि तीसरा बजट यह प्रस्तुत हुआ है, आप देखें कि सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, तब हमारे वित्तमंत्री जी का ध्यान सबसे नीचे रहने वाले जो गांव के चौकीदार थे, उनकी तरफ गया है। यह तीसरा बजट जब आया है, इस बार पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंचे हैं। चौकीदार पहले, उसके बाद सिपाही, तब इंस्पेक्टर की तरफ ध्यान पहुंचा है ताकि उनके अन्दर आत्मविश्वास पैदा हो सके। जो असुरक्षा की भावना हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर छाई हुई है, जो पुलिस के छोटे कर्मचारी महसूस कर रहे थे कि हमारी सुविधायें कम हैं, हमारी सारी सुविधायें बड़े अधिकारी खा जाते हैं और वह केवल बड़े दफ्तरों में बैठे रहते हैं, रात भर दौड़ना हमको पड़ता है। तो इस पर जनता पार्टी की सरकार ने जो सुविधा पहुंचाई है, इस पर उनका मनोबल और बढ़ेगा और वह अपना कर्तव्य का पालन करने में सफल हो सकेंगे।

जहां तक जेल का सवाल है, जनता पार्टी के जो नेता हैं, जेल से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। जेल के अन्दर खाने वगैरह में कुछ शिकायतें आती हैं, उनमें सुधार की बात की तरफ ध्यान इस सरकार ने दिया है। मान्यवर, चूंकि आपने लाल बत्ती जला दी है, इसलिए मैं अब इस बात पर ज्यादा न कह कर मैं अपने जनपद की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले बजट में मंत्री जी ने भूमि सेना की बात कही थी जिसकी डा० लोहिया ने स्थापना की थी। लेकिन वह कहीं चरितार्थ नहीं हो पाई। पूरे प्रदेश के समुचित विकास के लिए चौखम्बों में प्रदेश के बटवारे की बात करके जितने पिछड़े प्रदेश के हिस्से हैं। चाहे वह पूर्वांचल हो, चाहे वह पहाड़ी अंचल हो, चाहे वह बुन्देलखंड का अंचल हो लेकिन इस बार उधर ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक पूर्वांचल की बात है, अभी हमारे श्याम धर जी उधर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। वह कहते थे कि पूर्वांचल प्रदेश बाढ़ से, सूखे से हमेशा परेशान रहा करता है। शायद इस साल पारसाल से भी अधिक बाढ़ की सम्भावना है। उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाढ़ की रुकावट के ऊपर जो सरकार का पैसा (खर्चा) बढ़ता जा रहा है, यदि वह पूरा का पूरा उपयोग में लाया जाता तो यह स्थिति न आती। लेकिन दूसरी तरफ नदियों की बाढ़ की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। आपको उसका सर्वेक्षण करके पता लगाना चाहिए कि क्या सरकार का जो पैसा नदियों के कटाव तथा बाढ़ पर खर्च करने के लिए दिया जाता है वह वहां तक खर्च हो रहा या वह चीफ इंजीनियर आफिस पर या उनके कमरे सजाने पर खर्च हो रहा है।

नदियों के कटाव पर जितना सरकार का पैसा खर्च हुआ है अगर सही माने में वह कटाव पर खर्च किया गया होता तो आज वह कटाव न हुआ होता। आजमगढ़ जनपद एक बुनकरों का मुख्य जनपद है। बुनकरों की समस्याओं की तरफ पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। इस बार कुछ सुविधा देखने को मिल रही है। आपसे मुझे कहना है कि अगर आप ईमानदारी से उन गरीब बुनकरों को कुछ सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, तो पूर्वांचल के अन्दर जो सबसे बड़ा आजमगढ़ बुनकरों का केन्द्र है, वहां पर एक कोई सूती मिल लगाने की कृपा करेंगे। पारसाल से दो बार इस सदन में मुख्य मंत्री दो बार घोषणा कर चुके हैं कि यह जो शारदा सहायक निकल रही है, मैं चाहता हूं कि दिघे साहब उसपर ध्यान दें। अभी तक यह योजना तमाम जिलों में रुकी पड़ी है इसलिए यह आन्दोलन का रूप ले लें इसलिए उसे पूरा कराय ताकि आपका जो सिंचाई का लक्ष्य है, पूरा हो सके।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

(माननीय सदस्य ने अपना भाषण भोजपुरी भाषा में दिया)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ई जोन बजट पेश भइल बा, बहुत अच्छा बजट बा। बहुत काम करइल बा। लेकिन इसमें एक किसम की समस्या बा। काम तो भइल लेकिन ठीक से नहीं। ठीक से पैसा नहीं पहुंचा जिससे लोक की प्रगति नहीं हुई। हमारे यहां दिहात में एक हैजा रोग है। उसके होने से पेट फूल जाता है, पैर फूल जाता है। अगर वहां पैसा समय से पहुंच जाय तो लोग प्रेम से रह सकें। बजट इस तरह का है कि ठीक ढंग से ठीक समय पर जितने साधन हैं, लोगों के पास पहुंच जाये। इससे लोक में हरियाली आ जायेगी, खुशहाली हो जायेगी। ३० साल के भ्रष्ट शासन में जो प्रवृत्ति है वह अकेली धन चाही काम नहीं चाही। इसी तरह की प्रवृत्ति कुछ हम लोगों में भी है उसका भी सुधार करना पड़ेगा। जब तक देश के प्रति, प्रदेश के प्रति सद्भावना नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की प्रगति नहीं होगी। लोग अपने पेट के लिए, अपने बाल-बच्चों के लिए काम करते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं। जितना पैसा उतना काम। धन और चाही, सुविधा और चाही, नहीं पैसा नहीं काम।

जो समस्या किसान, खेतिहर मजदूर, हरिजनों की है उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। ८०% खेतिहर मजदूर हैं लेकिन उनका कोई संगठन कोई आवाज, कोई अनशन या कोई प्रदर्शन नहीं है। इसलिए उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। उसका काम खेती करना, बैल को खिलाना है। रेलवे में हड़ताल कर दें, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि बाद में उनको तनख्वाह मिल जायेगी। लेकिन किसान की न तो हड़ताल है न प्रदर्शन, न आवाज। वही किसान के वोट पर हम लोग आये हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। मैं वह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही लिखी जा रही है?

श्री अधिष्ठाता--

लिखी तो जा रही है लेकिन कठिनाई होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं भोजपुरी भाषा का समर्थक हूं लेकिन जब हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के ही सदस्य हिन्दी में न बोलें तो कर्नाटक और तामिलनाडु के लोग हिन्दी कैसे बोल सकते हैं क्योंकि जो व्यवस्था भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष, श्री बनारसी दास जी ने दी है वह है, हिन्दी में ही अपने विचार प्रकट करने के सम्बन्ध में ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर माननीय सदस्य हिन्दी जानते हों तो वे हिन्दी में विचार प्रकट करें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

जानने का प्रश्न ही नहीं है, वे हिन्दी जानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप नियम ३०१ में बड़ी शुद्ध हिन्दी लिखकर देते हैं । आप पढ़े लिखे हैं, हिन्दी में बोलिये ।

श्री श्रीनारायण—

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं वहां २८ गांव में एक स्कूल है ।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से कोई पहाड़ी में बोलेगा, कोई किसी भाषा में ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

श्रीमन, हमारे भी अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए । नियमावली में...

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी राय से सहमत हूं । आप हिन्दी में बोल सकते हैं, तो बोलिये । आप प्रयत्न करें, हिन्दी में बोलें ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

मैं हिन्दी नहीं जानता हूं तो क्या मैं चुपचाप रहूं । जो वह कहते हैं, वह आप कहने दें ।

श्री श्रीनारायण—

हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ल बा कि २८ गांवन के पीछे एक प्राइमरी स्कूल बा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोल रहे हैं अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो नहीं लिखा जायगा तो लिखने वाले की जिम्मेदारी नहीं होगी। आप हिन्दी में बोलने की कोशिश करें ।

श्री श्रीनारायण—

हमारे यहां लोग कहते हैं कि यही बोली बोलल । खड़ी बोली को ओ लोग अंगरेजी कहल बा । लोगन...के लिये जब पढ़ल की व्यवस्था हो जाइल बा अऊर जब वा लोग या बोली समझल बा तब हम खड़ी बोली बोलत बा ।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें कोई समझौता नहीं होगा । मैं भी भोजपुरी भाषा का समर्थक हूं लेकिन जहां तक नियमावली का प्रश्न है, राष्ट्र भाषा के गौरव का सवाल है, मैं एक फीसदी भी समझौता नहीं करता हूं । मैं चाहता हूं कि आप नियमों के मुताबिक व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कह दिया है कि हिन्दी में बोलें ।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश--

तो फिर वह दूसरी भाषा कैसे बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं ।

आप बोलें । आपके दो मिनट रह गये हैं, आप हिन्दी में बोलें ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, यह जो भोजपुरी बा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । आप हिन्दी में बोलें ।

श्री श्रीनारायण--

हमारे यहां खेतिहर मजदूर की समस्या बा । खेतिहर मजदूर ७० फीसदी बा । ओकर...

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस तरह नहीं चलेगा । यह फिर बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सन् १९७९-८० के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, वित्त मंत्री को मैं इस बजट को बनाने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं समझता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के लिये यह पहला बजट है जिसमें जनहित का अत्यन्त ध्यान रक्खा गया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बनाने के लिये इस प्रकार का बजट अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया । मान्यवर, मैंने इस बजट के प्रत्येक हिस्से का अध्ययन किया है । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिंचाई, कृषि, सहकारिता जेल, यातायात आदि सभी विषयों पर जो हमारी राज्य सरकार के अधीन हैं के ऊपर इस बजट में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक धन व्यय करने के लिये दिया गया है । यह सौभाग्य की बात है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने गांवों की तरफ

[श्री बदन सिंह—]

अपना ध्यान दिया और जो गांवों की समस्यायें हैं उनका निराकरण करने के लिये समुचित धन खर्च करने की व्यवस्था की है । मैं यह कह सकता हूं कि अब तक ३२ वर्षों के शासन में इतनी सड़कें नहीं बनी जितनी सड़कें हमारे जनता पार्टी के दो वर्ष के शासन में बनी है । आगे के लिये भी ध्यान दिया गया है । इस पंचवर्षीय योजना में साढ़े ४९ हजार कि० मी० सड़कें हमारा शासन बनवायेगा, जबकि चतुर्थ योजना के अन्त तक ३६ हजार किलोमीटर ही सड़कें बनायी गयी थीं ।

इस विषय में हमको गर्व है कि हमारी सरकार ने जैसी घोषणा की थी उसी तरह का सरकार बजट बना रही है । साथ ही साथ यह बात उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार जिस बात की तरफ उदासीन रही है मैं आशा करूंगा कि उस उदासीनता की तरफ भी वह ध्यान दे और इस बजट को जो स्वीकार किया है वह देखे कि यह पैसा उन मदों पर ही ठीक प्रकार से खर्च हो रहा है कि नहीं । मैंने देखा है कि सिंचाई और निर्माण विभाग में जो पैसा रखा जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है । इसका कारण यह है कि जो योजनायें सिंचाई विभाग के लिये बनायी जाती हैं वह पर्याप्त समय लेकर नहीं बनायी जाती हैं, कम समय में बनायी जाती हैं, इसलिये वह पैसा जल्दी-जल्दी खर्च किया जाता है जिससे वह सही काम पर नहीं खर्च होता है । इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । इसके अलावा अधिकारी मौके पर काम का निरीक्षण नहीं करते हैं क्योंकि उनका अधिकतर समय आफीसेज में कागजी कार्यवाही पूरा करने में चला जाता है । इस कारण अधिकारी घटिया किस्म की सामग्री सड़कों के निर्माण या अन्य निर्माणों में लगाते हैं जिससे मैंने देखा है कि २ महीने पहले जो सड़क बनी है वह अब उखड़ गयी है और उनमें रेत दिखाई देता है । इसलिये वित्त मन्त्री जी से आशा करूंगा कि जो पैसा खर्च के लिये स्वीकार किया गया है वह ठीक प्रकार से खर्च हो रहा है कि नहीं इसको देखने की व्यवस्था करेंगे ।

मान्यवर, दूसरा घटियापन का कारण यह भी होता है कि जब तक इन अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठ-गांठ बनी रहेगी तब तक काम अच्छा नहीं होगा क्योंकि जब तक इन ठेकेदारों से कमीशन निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक कोई काम नहीं करवाया जाता है इसलिये बहुत सा पैसा हमारा लैप्स भी हो जाता है । अतः मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि २८ प्रतिशत पैसा गलत तरीके से ठेकेदारों एवं अधिकारियों की जेब में चला जाता है और जो योजनायें पूरी होने को हैं वह पूरी नहीं होती हैं । इसलिये मन्त्री जी को यह देखना चाहिये कि हमारे पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है कि नहीं ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो प्रशासन को सुधारने के लिये ध्यान दिया गया है वह प्रशंसनीय है । बजट में प्राविधान किया गया है कि प्रदेश में ४ एस० पी०, ३ डी० एस० पी०, ३० इंस्पेक्टर, ७४३ सब-इंस्पेक्टर और ५३३ हेड कांस्टेबिल तथा ४३८५ कांस्टेबिलों के पदों का सृजन किया गया है । साथ ही वित्त मन्त्री जी ने ध्यान दिया है कि अभी तक शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिये जो पुलिस का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिये थाने तथा चौकियां और कायम की जायेंगी कांस्टेबिलों को साइकिल की व्यवस्था के लिये १५० रुपये का अनुदान दिया है और जिनके पास अपनी निजी साइकिलें हैं उनको ४ रुपये प्रति माह देना मंजूर किया है । इससे विदित होता है कि हमारा शासन इस तरफ ध्यान दे रहा है कि हम अपनी शांति व्यवस्था को कायम रखने में सफल हों । लेकिन साथ ही साथ यह कहना भी ज्यादा उपयुक्त मालूम होता

है कि ये जो पद सृजित किये गये हैं, इससे ही केवल हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती ।

मैं उदाहरण देकर इस विधान सभा में कह सकता हूं कि पुलिस का रवैया ऐसा हो गया है कि वह अपने सही कर्त्तव्य का पालन नहीं करती, बल्कि लोगों को सताने, परेशान करने और झूठे इल्जामों में फंसाने में ज्यादा काम करती ह । सही कर्त्तव्य की तरफ ध्यान नहीं जाता । इसलिये इतने पद, चौकियों और थाने बढ़ा देने से प्रदेश की सेवा नहीं होगी । प्रदेश की सेवा जभी होगी, जब इन अधिकारियों के काम को देखा जाय कि वास्तव में जिस काम के लिये वे हैं, उसका सही अंजाम देते हैं कि नहीं । हम इन सभी बातों को देखते हुये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अच्छी भावना को लेकर प्रदेश की उन्नति करने के लिये सोचते हैं और उसी प्रकार से हम पैसा भी खर्च करना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है और यह पिछले शासन में भी रहा है और भी देखने को मिलता ह कि जिन कर्मचारियों का जनता और किसानों से निकट का सम्पर्क है, जसे लेखपाल, पटरौल, बी० एल० डब्लू और सचिव, ये पूरी तरह से जनता को लूट रहे हैं उसके पैसे का १/४ के रूप में अपने जेब में भर रहे हैं । तो मैं समझता हूं कि यदि हमारा शासन और विशेष रूप से हमारे मंत्री लोग इन अधिकारियों के काम को देखें और यदि उन पर नियंत्रण रखा जाय, तो जो पैसा प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिये मन्जूर किया है, उस पैसे का सही लाभ प्रदेश को मिल सकता ह अन्यथा पैसा देते जायेंगे और प्रदेश का कल्याण नहीं होगा जब तक कि इन अधिकारियों की मनोवृत्ति नहीं बदली जायेगी और उन पर नियंत्रण नहीं रखा जायेगा । मैं तो चाहूंगा कि माननीय विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो इसी काम की देखभाल करे और यह देखा कि जो पैसा मन्जूर किया गया है, वह सही ढंग से व्यय किया गया है कि नहीं ।

यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जनता सपकार को कुछ इस प्रकार के कामों में सफलता मिली भी है । जिनमें पहले नहीं मिली मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि अब तक कांग्रेस शासन में यही आख्या देते रहे कि हमारे यहां राजकीय नलकूप सचल नहीं हो पाते लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने मेरे क्षेत्र में इस प्रकार के ट्यूबवेल लगा दिये हैं कि जो बिना बिजली और यन्त्र के चल सकते हैं और पानी फेंक रहे हैं । अब सरकार से यह भी निवेदन है कि वह इस बात को देख ले कि किस प्रकार से उन ट्यूबवेल के लिये जल्द से जल्द नालियां बन जांय ताकि लोगों को सिचाई के लिये जल्द से जल्द पानी प्राप्त हो सके और किसान उसका लाभ उठा सकें ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में बाढ़ और गर्की की समस्या रही है । मैं देखता हूं कि बहुत कुछ रुपया इस बाढ़ और गर्की को दूर करने के लिये इस सरकार द्वारा खर्च किया गया है । लेकिन अफसरों में आपसी सहयोग न होने के कारण वहां यह देखा जा रहा है कि पैसा खर्च करने पर भी वह समस्याएं जहां की तहां पड़ी है । इंजीनियरों का एक दूसरे से रोजाना झगड़ा होता है, एक दूसरे के काम का विरोध करने से मेरे क्षेत्र का विकास और उसकी उन्नति में बाधा पहुंच रही है । मंत्रीगणों में केवल शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं । मैं चाहूंगा कि वह मेरी इस आवाज को पहुंचा दें कि जब तक अफसरों में यह असहयोग की भावना नष्ट नहीं होगी तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा । मेरे क्षेत्र की बाढ़ और वर्षा की समस्या जहां की तहां इस आपसी लड़ाई झगड़े के कारण पड़ी हुई है । मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी अधिकारी इस प्रकार से लड़ रहे हैं उन सबको हमारे क्षेत्र से हटा दिया जाय और उनकी सिफारिश करने वाले

[श्री बदन सिंह—]

जो ठेकेदार और उनके चट्टे बट्टे आते हैं उनकी कोई भी सुनवाई न की जाय और स्वतन्त्र रूप से शासन उनके स्थान पर दूसरे आदमी भेज दे जो हमारे क्षेत्र के विकास और उन्नति का काम नये सिरे से करायें ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः बजट का बड़ा स्वागत करता हूं और शासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मन्त्री को यहां पर हमारे सामने रखा है कि जिन्होंने इतना सुन्दर बजट बनाया । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठिये । कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नौटियाल साहब आप कोरम कराने का प्रबन्ध करें नहीं तो मैं सदन बन्द कर दूंगा । आपकी जिम्मेदारी है ।

एक सदस्य—

२७ मंत्री हैं यदि वही आ जायं तो कोरम पूरा हो जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र—

दिलचस्पी नहीं है श्रीमन, स्थगित किया जाय ।

एक सदस्य—

मान्यवर, अपने निवास स्थान पर गये होंगे । सूचित कर दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र—

नियमों में नहीं है कि निवास पर जायं ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबे वाला आज बजट का पहला दिन है और वाकई हैरानी की बात है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार के सदस्यों को इतनी भी दिलचस्पी नहीं है कि पहले दिन बजट की बहस में शामिल हों । मुझे याद है कि पहले ५, ६ दिन बजट की बहस के लिये मिलते थे और पहले दिन हाउस पूरा होता था और हर एक चाहता था कि वह बोले । फरवरी के महीने में जब अतिरिक्त बजट पेश हुआ था उसमें ५८ करोड़ की कमी थी और अब ९५ करोड़ का डेफिसिट है । यह कमी कहां से पूरा होगी ? उत्तर प्रदेश की जनता पर नये टैक्सेज लगाये जायेंगे ताकि सरकार का काम चल सके । लेकिन देखना यह है कि एक तरफ गरीब जनता इतने टैक्सेज अदा करे और दूसरी तरफ उसे कोई सहूलियत भी न मिल सके । रुपये की कीमत भी बहुत कम हो गया है । सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट के स्टेट मिनिस्टर फार फायनेन्स श्री अग्रवाल ने लोक सभा में हाल ही में बतलाया था कि ७८–७९ के पहले १० महीने में रुपये की कीमत २५.७७ पैसे थी जबकि ७६–७७ में २८.४१ पैसे, ६१–६२ में ८१.९७ थी । इससे अन्दाजा हो सकता है कि रुपये की कीमत

चार आने है, वह भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब कि असलियत में जिन्हें घर चलाने का वास्ता पड़ता है उनको मालूम होगा कि रुपये की कीमत उससे भी अधिक गिर गयी है।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए गरीब आदमियों पर टैक्स लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है। जनता सरकार ने जो वायदे अपने मेनिफेस्टो में किये थे उन सब को गवर्नर महोदय ने अपने एड्रेस में लिखे और बजट भाषण में भी उन सबको पूरा करने के लिये कहा गया है। जो भी शीर्ष हो सकते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी के उन सबको बेहतर बनाने के लिये इसमें वादा किया गया है लेकिन देखना यह है कि जो रुपया खर्चा हो रहा है वह सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। देखने में यह आता है कि अफसरान तथा छोटे कर्मचारी बड़ी बेदर्दी से उस रुपये को खर्च करते हैं और गांव की गरीब जनता जिसकी आबादी ८५ प्रतिशत है उसे कोई राहत नहीं मिल पाती है। इधर के तथा उधर के माननीय सदस्य यह जानते हैं गांव से जिनका तालुक है वहां वे यह रोना सुनते हैं कि गरीब आदमी को हर तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भूमि विकास तथा कोपरेटिव बैंक से जो उसे रुपया मिलता है यह खबर ही नहीं हो पाती कि क्या उसे मिला है? आधा रुपया बीच में ही खा लिया जाता है और फिर जब सूद लगता है तो वह रुपया दुगना और तिगुना हो जाता है। हमारी जनता सरकार ने इन्सानी हकूक को बहाल करने के लिये जो कदम उठाये हैं वह बड़ी अच्छी चीज है। साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए थे, उनको हमें वापस दिया गया। लेकिन पेट खाली है, सिर पर झोपड़ी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है तो यह इन्सानी हकूक से क्या मतलब। जो पैदायशी हक हमारे हैं वे हमें मिलने ही चाहिए। वे ही हमें न मिलें तो फिर क्या फायदा।

सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारे सामने समस्या है वह है ला एन्ड आर्डर की। इस वक्त जो करेप्शन हमारे सूबे में है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वह बहुत बढ़ गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं सीतापुर गई थी तो वहां लोगों ने मुझे बताया कि आपका लखनऊ इस मामले में क्यों इतना बदनाम हो गया है कि वहां लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है लड़कियों को गायब किया जाता है। पुलिस क्या करती रहती है। वह किसलिये रखी गई है। आज पुलिस का विभाग बढ़ता चला जा रहा है और उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया मुहैया किया जा रहा है। एक जमाना था कि हमारे थाना संडीला में चार सिपाही होते थे जो कि सारी तहसील को देखते थे। अब वहां पर १०-१० थाने खोल दिये गये हैं और तब भी कोई काम नहीं हो रहा है और करेप्शन बढ़ता जा रहा है, कत्ल और डकैतियां हो रही है और काम कुछ नहीं होता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि इस तरफ सरकार को गौर करना चाहिए।

इसके अलावा मैं सरकार से आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहती हूं कि किसानों को राहत देने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहती हूं कि आज होता यह है कि ट्यूबवेल और बिजली के कनेक्शन काट दिये जाते हैं जिससे गरीब किसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जब कुछ अर्से के बाद वह किसान कनेक्शन नहीं लेता है तो जब वह जोड़ा जाता है तो पिछली तारीख से १५ रुपये माहवार के हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है। यह बहुत गलत बात है कि जितने दिन कनेक्शन नहीं रहता है उसका भी चार्ज किया जाता है। यह सोचने की बात है। थोड़ी सी फीस के तौर पर तो कोई बात नहीं है लेकिन पूरा बकाया देना किसान के लिये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात

[श्रीमती कुदसिया बेगम—]

यह है कि गेहूं खरीद के लिये आपने नये हुक्म दिये हैं कि नगरपालिका के हद से वह बाहर रखा जाय । इस गर्मी में शामियाने में वे कैसे रह सकते हैं । इस ओर भी खाद्य मंत्री का ध्यान जाना चाहिए था । मैंने मंत्री जी से कहा भी था कि इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जहां अच्छी बिल्डिंग हैं वहां किसान अपना गल्ला ला कर दे सकता है । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर बाहर गल्ला रखने से चोरी की शंका है किसानों को तकलीफ होगी तथा सहकारी समितियों को भी परेशानी होगी इसलिये जहां पुख्ता सहकारी संघ की इमारत हो वहां गल्ला लाने की अनुमति दी जाय । अन्त में इतना ही कहना चाहती हूं कि संडीला तहसील में ५९ में चकबन्दी शुरू हुई थी और ७७ में वह खत्म हुई जो कि एक एक्सपेरीमेंट बेसिस पर की गई थी । चूंकि यह एक्सपेरीमेंट बेसिस पर की गई थी इसलिये उसमें कई कमियां और खामियां रह गई थी जिससे वहां के गरीबों को नुकसान पहुंच रहा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहती हूं कि संडीला तहसील के लिये जरूर आप चकबन्दी के लिये आर्डर दे दें । जनाबेवाला मैं दो तीन मिनट में खतम करती हूं ।

हमारे वित्त मंत्री ने अंत्योदय के सिलसिले में फरमाया है कि ६० परसेंट जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम हैं वह अंत्योदय में होगा । लाखों रुपया हमारे जिलों में इससिलसिले में जा रहा है मगर वह किस तरह से गरीबों तक पहुंच रहा है यह देखने की बात है । क्योंकि सरकारी अधिकारियों से जो कर्ज मिलता था उसको लेने में लोगों को परेशानियां होती थी इसलिये लोग अब अंत्योदय प्रोग्राम को भी लेने के लिए तैयार नहीं है कि बाद में मालूम नहीं उस पर क्या मुसीबत आवे । मैं अपने संडीला की मिसाल बताती हूं वहां पर ५ आदमियों को खड़े-खड़े दिये गये जो कि एग्रोइंडस्ट्रीज कारपोरेशन के मारफत दिये जाते हैं तो एग्रो इंडस्ट्री वालों का खड़खड़े से क्या मतलब है । वह किसी को ठेका देकर ही बनवाते हैं । इस समय संडीला में ११५० रु० का एक खड़खड़ा पड़ रहा है जो कि अगर एक आदमी खुद बनाता है तो ५ सौ रु० में बन जाता है । इसलिए उसको कोई लेने को तैयार नहीं है । इस चीज की हिदायत आप अपने अधिकारियों को दीजिये । सरकार रुपया तो मुहय्या कर रही है लेकिन यह देखने की चीज है कि उसका उपयोग ठीक हो रहा है या नहीं ।

जनाबेवाला, अब मैं थोड़ा फेमिली वेलफेयर के बारे में अर्ज करना चाहती हूं और उसके बाद खतम कर दूंगी । हमारे यहां इस चीज की बहुत जरूरत है । यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट जानती है कि फेमिली वेलफेयर करना जरूरी है लेकिन और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये । इसे समझाबुझा कर करना चाहिये । इसके लिए सरकार को इंसेंटिव देना चाहिये । अभी कुछ दिन हुए मध्यप्रदेश सरकार ने ७० रु० से बढ़ाकर सवा सौ रुपये इंसेंटिव कर दिया है वह औरत और मर्द को जो आपरेशन कराता है और लाने वाले की भी फीस मुकर्रर की है । मैं जानना चाहती हूं कि हमारी सरकार इस मामले में क्या कर रही है । केन्द्र ने ४ करोड़ रुपया पिछले साल दिया था और भी देने को वह तैयार है आप स्कीम को किस तरह चला रहे हैं । लेकिन जो मुझे मालूम हुआ कि बहुत गड़बड़ियां इसमें हो रही हैं और डाक्टर लोग भी आपरेशन के लिये पिछले तजुर्बे के आधार पर तैयार नहीं होते इसलिये उनके लिये भी कोई फीस मुकर्रर कर दी जाय ताकि वे काम खुशी से करें । आप इस चीज का ख्याल कीजिये यह बहुत जरूरी है नहीं तो आबादी बेइंतहा बढ़ती जा रही है इसका ख्याल करना होगा । (लाल बत्ती पुनः जलने पर)

आप कई दफा लाल बत्ती दिखा चुके हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपने उर्दू के लिए जो प्रोवीजन किया है वह बहुत अच्छा है। मगर पहले की सरकारें भी जब चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और गुप्ता जी अपोजीशन के लीडर थे उस वक्त यह बात आई थी हमारे मुख्य मंत्री जो भी मिनिस्टर थे उस वक्त डा० फरीदी के सवाल पर कहा था कि ८वीं क्लास तक उर्दू की पढ़ाई जारी कर देंगे गुप्ता जी ने पूछा भी था कि ८वीं तक क्यों नहीं इंतजाम करते हैं और ८वीं जमात तक उर्दू पढ़ाने का जरूर इंतजाम करिये। कहा जाता है कि टीचर्स नहीं मिलते जब ३० साल से कुछ नहीं किया गया तो टीचर्स कहां से मिलेंगे क्योंकि एक जनरेशन गुजर गई जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

मैं आपका शुक्रिया करती हूं कि एक स्पिनिंग मिल संडीला में सरकार ने लगाई है उसके बारे में कहना चाहती हूं। चूंकि यह इस ख्याल से लगाई गई है कि इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा उन्हीं लोगों को लगाया जायं बाहर के लोग उसमें न रखे जांय। आपने जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज का प्रतिबंध लगाया है वह आप जानते हैं कि उसमें कितना करप्शन है एक आदमी को अपना नाम निकालने के लिए दो ढाई सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आप करोड़ों रुपया भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं मगर उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है यह ख्याल करने की बात है। जनावेवाला इतना कह कर मैं अपनी बात खतम करती हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका ग्रेटफुल हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज यहां बड़े अफसोस के साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं सन् ५२ से इस हाउस का मेम्बर हूं, लेकिन इस तरह की बात आज तक मैंने नहीं सुनी मैं समझता हूं कि ऐसे लोग चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हो जाए। भोजपुरी में कोई कुछ कहना चाहता है, तो उसको रोका जाता है और इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं हिन्दी नहीं बोलता हूं, हिन्दुस्तानी बोलता हूं तो क्या मुझे हिन्दुस्तान में रहने का हक नहीं है। इस तरह की बात करेंगे तो हिन्दुस्तान का डिस्एन्टीग्रेशन हो जाएगा। यह कहां तक ठीक है कि वह हिन्दी नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें इस तरह की बात कही जाए, कुछ लोग कल कहेंगे कि यह संस्कृत नहीं बोल रहे हैं। यह कोई कहने की बात है, इस नियत की बात है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, जो हम हिन्दुस्तान के बंटवारे की बात कर रहे हैं। मुझे और भी बड़ा अफसोस यह होता है कि आप इस तरह की बात सुन लेते हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आइन्दा हाउस में ऐसी कोई बात न हो।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब बजट पर बोलें।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं सैनिक बोर्ड का मेम्बर हूं। मैंने लास्ट ईयर दिघे साहब से कहा था, डेलीगेशन भी ले गये थे। यह ४८ वर्ष की एज में रिटायर होने वाले करीब ५०

[श्री ए० सी० ग्राइस—]

हजार सोल्जर्स हर बार रिटायर हो जाते हैं। जब वह रिइम्पलायड होते हैं तो उनकी तनख्वाह से पेंशन कट जाती है। मिलेट्री में ड्राईवर को डेढ़ सौ मिलता है और रिटायरमेंट के बाद उसे २५ रुपये पेंशन मिलती है, यदि कोई रिइम्पलायड हो जाए तो उसकी पूरी पेंशन कट जाती है। मैंने इस बारे में मंत्री जी से कहा था और उम्मीद की थी कि शायद इसका प्राविजन वह बजट में कर दें, लेकिन मालूम पड़ता है कि यह चीज उनके ख्याल से उतर गई है। मंत्री जो इसका ख्याल करें, पेंशन शुड नाट बी टेकेन इन्टू एकाउन्ट, उनकी सेलरी फिक्स करने में।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जिसे मैंने अखबारों में पढ़ा है, क्योंकि मैं बजट पेश होने वाले दिन यहां नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि एजूकेशन सेसन का मतलब क्या है, उसे कौन देगा और कहां खर्च होगा, कहां और कैसे आएगा, यह कुछ स्पष्ट नहीं है। यह लैण्ड रेवेन्यू से आयेगा या खाली इन्कम टैक्स वाले इसे देंगे? मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इसे अपने भाषण के समय स्पष्ट करने की कृपा करें।

एक चीज मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। उस पर बहुत काफी रुपया खर्च हो रहा है, फिर भी वह लोगों को मिल नहीं रही है। मैं हाई स्कूल बोर्ड का मेम्बर हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी वहां रिफार्म उसमें करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं, क्योंकि वहां पर इतना अधिक भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर जगह, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मुझे यह बुराई दिखाई पड़ती है। यह बीच में या आगे पीछे नहीं है। एजूकेशन इज दि बेस आफ सिटीजन। जब तक एजूकेशन नहीं रहेगी, उसका दिमाग चल नहीं पाएगा। अनडेवलप्ड माइंड रहेगा, तो वह कुत्ता, बिल्ली की तरह बना रहेगा। उसको कहते हैं कि यह करो, वह करेगा। डाइंट हैज टु बी डेवलप्ड। डेवलप तभी होगा जब शिक्षा दी जाय। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिवा कंबाल टाउन्स में, और दूसरे सिटीज में जहां शिक्षा हो रही है, विलेजेज में कतई शिक्षा नहीं हो रही है। क्रिश्चियन स्कूल शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वहां आप लोग हमें ग्रांट नहीं देते हैं। पांच स्कूल हमारे वाराणसी जिले में हैं। वह पांच छः साल से शिक्षा कर रहे हैं। रेकागनाइज हो गये हैं लेकिन आप ग्रांट नहीं दे रहे हैं। पूरी सैलरी दे रहे हैं रूल्स के हिसाब से और डेढ़ दो लाख रुपया अपनी तरफ हम लोग दे रहे हैं। स्कूल चलाते हैं सरकार ग्रांट नहीं दे रही है। क्रिश्चियन स्कूल, बल्कि माइनारिटीज स्कूल्स को एक रुपया गांड। क्यों ऐसा होता है? मुझे कहने में बुरा लगता है। जहां १० रुपया या १०० रुपया दे दिया वहां ग्रांट पूरी हो जाती है। लेकिन वाकई में जो ईमानदार लोग हैं, और वह रुपया नहीं देता है तो उसकी ग्रांट घट जाती है। हमारा एक स्कूल सीतापुर में है, नेशनल गर्ल्स स्कूल। पिछले साल से एक रुपया मिल रहा है उनको। क्रिश्चियन मिशन के स्कूल हैं। एक रुपया दे दिया जाता है। खाली हमारे में नहीं मुसलमान स्कूल वाले भी मेरे पास आ चुके हैं। उनके लिए यही हो रहा है। दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है नहीं, लेकिन माइनारिटीज वाले आकर अलबत्ता कहते हैं, हम लोगों के साथ यह हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि कहने को प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी है। लेकिन शहर में जितनी छोटी-छोटी बस्तियां हैं, उनमें जाकर देखें शिक्षा क्या हो रही है। वहां के बच्चे जो म्यूनिसिपल स्कूल्स, फ्री एजूकेशन में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? वहां पर शिक्षा नहीं पढ़ायी जाती। ७०-७५

बच्चे एक क्लास में हैं टीचार नाम तक नहीं जानता, पढ़ायेगा क्या ? दूसरे स्कूलो में क्लास में ४०-४५ बच्चे रहते हैं वहां ग्रांट नहीं मिलती । यह जो सेस लगा रहे हैं यह शहरों में और दूसरी जगह शिक्षा में खर्च करें । नेशनलाइजेशन के डर से दूसरे लोग स्कूल चालू नहीं कर रहे हैं । क्रिश्चियन स्कूलस बहुत स्कूल चालू कर देते हैं । उनकी इतनी जुर्रत है । पापुलेशन बढ़ रही ह । सरकार ने बीस साल में जितने स्कूल खोले ह ? डबल शिफ्ट चलाना चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकता । स्कूल नहीं खोल रहे हैं । टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं । टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ? प्राइवेट ट्यूशन चल रहा है । एक-एक घर में स्कूल चल रहा है । उन्हीं क्लासेज के ऊपर चिल्ड्रन का प्रोमोशन हो रहा है । यह बिलकुल गलत बात है । जैसा पुलिस फोर्स होता है, एजूकेशन फोर्स होना चाहिए, टु एन-फोर्स एडूकेशन इन दि राइट सेंस । इतना कह कर खत्म करता हूं । थैंक्यू ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह तीसरा बजट है उत्तर प्रदेश के लिए, जो जनता की सरकार ने पिछले दो वर्षों में बजट तैयार किया था उन कमियों को देखते हुए उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट के आधार पर भी तरक्की होगी और मुख्य रूप से पिछले दोनों बजटों से हमारा यह बजट कुछ विशेष महत्व रखता है । मुझे हर प्रकार से विश्वास है कि हमारा यह बजट इस प्रान्त को प्रगति के पथ पर ले जाने में सक्षम होगा ।

मान्यवर, हमने जनता को विश्वास दिया था कि हम लोगों को नीचे से ऊपर उठायेंगे । यह सरकार सबसे पहले गांव की तरक्की का ख्याल करेगी । हमने केवल किताबों में अपनी नीति नहीं रक्खी बल्कि उसको कार्य रूप में परिणत किया है । हम अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने में सक्षम है । गांव का आदमी जो अनपढ़ था और बेरोजगार था, सबसे पहले हमारी सरकार ने अन्त्योदय के द्वारा उनको उठाने का प्रयास किया । उससे केवल इतना ही नहीं हुआ कि कुछ लाख लोगों को रोजी मिल गयी बल्कि जो ३० साल से निराश अपनी तरक्की के लिए घड़ियां गिन रहे थे, उनको भी एहसास हुआ कि हमको भी उठने का मौका मिला । गांव में बैठे निराश लोगों के मन में इस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है । जहां तक गांवों में खेती का सवाल है, हमारा प्रान्त खेती का प्रान्त है और खेती की तरक्की के लिए पिछले २ वर्षों में हमारी सरकार ने जो कुछ किया है वह हमसे छिपा नहीं है । कोई विरोधी दल में रहने के कारण भले ही इन्कार करें लेकिन उनके द्वारा इस बात के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि खेती की तरक्की के लिए जनता सरकार ने जो कुछ किया है उससे किसानों के मन में इस सरकार के प्रति आस्था बढ़ी है ।

पिछले ३० सालों में भी बीज गरीबों को तब बटता था जब गेहूं काटने का समय आता था । हमारी सरकार ने उनको समय पर खाद और बीज दिया जिसके लिए यह सरकार बनी थी । मान्यवर, जहां तक छोटे किसानों को सिंचाई का साधन देने का सवाल था, उसमें भी हमारी सरकार ने जो कुछ किया है उससे छोटे किसानों को लाभ हुआ है । गांव में जिनको रोजी का सहारा नहीं था, जिनकी हैसियत कम थी उनको अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें दी गयीं और उनके लिए अच्छे चारे की व्यवस्था की गयी । इससे उनका स्तर ऊंचा होगा और लोग लाभान्वित होंगे ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है । भूमि सुधार यहां का मुख्य विषय है । हमारे यहां चकबन्दी का १९५१ से लेकर १९५६-५७ तक हुई है और

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय—]

उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई थीं। हमारे यहां ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनके पास १५-१५ चक हैं। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वहां चकबन्दी पुनः करायी जायेगी। उस आश्वासन से किसानों ने कुछ राहत की सांस ली थी। मगर वहां चकबन्दी पुनः कराने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बस्ती जिले की डुमरियागंज ऐसी तहसील है जहां सन १९५२ से १९५६ के बीच चकबन्दी हुई थी, वहां दोबारा चकबन्दी की अत्यन्त आवश्यकता है।

माननीय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जिक्र आया था कि सार्वजनिक स्थानों की भूमि जो पट्टे पर उठाई जा चुकी है उन पर कब्जा दिलाया जायगा। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वह जमीनें जो सार्वजनिक हैं पट्टे पर उठी हैं, और इमरजेन्सी के जमाने में नसबन्दी के समय काफी लोगों को ऐसी भूमि पट्टे पर दे दी गयी थी। माननीय, इस तरह की जो विवादित जमीन के पट्टे हुए हैं उनकी पुनः जांच कराकर उनको कैन्सिल किया जाये। ऐसी भूमि को सार्वजनिक हित के लिए बरकरार रखी जाये।

गांव-गांव की सड़कों से जोड़ने का जो कार्य आरम्भ किया गया है उससे इस सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा है। इससे यह सरकार जनप्रिय हुई है। किन्तु जहां सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां पुलियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके कारण वे सड़कें बेकार पड़ी हैं। मेरा निवेदन है कि सड़कों के साथ-साथ पुलियों के बनाने की भी व्यवस्था की जाए।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि बजट हमारा कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब तक सरकार को कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई योजना सफल होने वाली नहीं है। आज आपके कर्मचारियों के असहयोग और उनकी अकर्मण्यता के कारण कोई योजना सफल नहीं हो पाती है। हमारे बस्ती जिले के लिए बांसी, इटवा रोड के लिए, बड़े आग्रह के बाद, कई लाख रुपए का आवंटन हुआ। लेकिन चूंकि उसी बीच में मिट्टी का काम कराने के लिए, बाढ़ से क्षति हुए स्थानों को ठीक कराने के लिए रुपया केन्द्र से काफी आ गया। हमारे बस्ती जिले के इंजीनियरों ने मिट्टी का काम कराया लेकिन जो पक्का काम उस सड़क पर होना था, वह रुपया लैप्स हो गया। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजना बने, जो रुपया निर्धारित किया जाय, वह रुपया उस सड़क पर, उस काम के लिए खर्च हुआ या नहीं, इसका हिसाब वर्ष के अन्त में होना चाहिए। जो भी उसके उत्तरदायी हों, चाहे छोटे कर्मचारी हों या बड़े अधिकारी हों, सबको उसका दन्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जब योजना बन जाती है, योजना गांवों में जाती है, तो गांव और सम्बन्धित लोग उससे खुशहाल होते हैं और जब बाद में काम पूरा नहीं होता, तो कोसे हम जाते हैं।

अन्त में केवल पुलिस के बारे में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुलिस को जो सुविधायें दी गयी हैं, जो इस बजट भाषण पढ़ने से मुझे मिला है, वाहन का इन्तजाम और उस वाहनों पर वायरलेस सेट का इन्तजाम यह सब होना चाहिए। लेकिन माननीय, ऐसे अनेक थाने हैं, जो पक्की सड़क से १०-१० किलो मीटर तक की दूरी पर हैं। वहां पर बरसात के दिनों में कोई नहीं पहुंच सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो देहात के अन्दर जो थाने हैं, उन थानों से पक्की सड़कों को जोड़ने का इंतजाम

किया जाय । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में प्रस्तावित बजट का मैं समर्थन करता हूं । इस उम्मीद के साथ की इस बजट के द्वारा हमारे प्रान्त की तरक्की होगी । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

माननीन अधिष्ठाता महोदय, इस दिवालिया सरकार के दिवालिए घाटे के बजट का मैं विरोध करता हूं । सरकार का कहना है कि हम गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि गांव का विकास नहीं हुआ । इसको हमारे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में रहने वाले किसान और खेतिहर मजदूर की हालत में कितना सुधार हो रहा है । हमारे माननीय सदस्य जो सदन में मौजूद हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते है, लेकिन मान्यवर, जो हमारे मंत्री जी ने बजट पेश किया है, इसमें उनके विकास की बातें क्या-क्या हैं, और इनका बजट यह सिद्ध करता है कि जो ५० करोड़ का इनका घाटा है, उसको ये किनके द्वारा पूरा करेंगे । मान्यवर, निर्माण कार्य की बात है, इस पैसे को ये ले जाकर निर्माण कार्य में खर्च करेंगे, गांव के अन्दर निर्माण कार्य उनके कौन-कौन से हैं । पिछली सरकार ने भी गरीबों के लिए कुछ मकान बनवाने का काम किया, कुछ स्कूल बनवाये गए, कुछ सड़कें बनवाई गयीं । मान्यवर, इन मकानों की क्या हालत हैं, जो हरिजनों के लिए बनाए गए थे, हमारे ये सदस्य देखते होंगे कि वे गरीब उस मकान में नहीं जा पाते और मकान के ईंटें नीचे आ गए कुछ इनके स्कूल बनाए जाते हैं, पता नहीं वह किस विभाग से बनवाते हैं, मान्यवर, मैं उसका नाम नहीं बतला सकता, छोटे-छोटे ये स्कूल बनवा रहे है, दो वर्षों के अन्दर ही कई स्कूलो की छतें नीचे आ गयीं, हरिजनों के लिए पिछली सरकार ने और हमारी जनता सरकार उनके लिए पाखाने बनवा रही हैं ।

मान्यवर, मकान का पता नहीं है, जो उनके बसने के लिए, मकान बनवाने के लिए जमीन है, उसमें कब्जा वे नहीं पा सके, लेकिन उनके लिए पाखाने बनकर तयार हो गए । उसकी ईंटें लड़कों ने उजाड़ कर फेंक दिया है । सड़कों की जो दशा है वह सभी जानते हैं । बचपन काल में मैं देख चुका हूं कि सड़को के ऊपर जो कंकर पड़ता था उसकी तीन बार छटाई होती थी और जब बालू और मिट्टी नहीं रह जाती थी तो उसकी सड़क के ऊपर पिटाई होती थी । मंत्री लोग खूब दौरा करते हैं, उनको कार जाती है, देखते होंगे । आज ५० प्रतिशत मिट्टी और ५० प्रतिशत कंकड़ मिलाया जाता है और उसको बराबर करके मिट्टी डालकर पिच बना दिया जाता है । पैसे का दुरुपयोग ३० वर्षों से कांग्रेस सरकार ने किया और समग्र क्रांति की पौध जनता पार्टी की सरकार दो वर्षों से कर रही है । पैसे की कमी है, सब लोग गरीब घरों से आए हैं । हम लोगों को काम एक हजार रुपये में नहीं चल पाता । १५ रुपए प्रतिदिन जो मिलते हैं बहुत से माननीय सदस्य लिखकर दिए हैं और कहते हैं कि इससे काम नहीं चलता है । असेम्बली में आप उपस्थिति देख लीखिए ।

अब सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों से हम काम लेंगे । इनकी नैतिकता देखिए । एयर कन्डीशन्ड में बजट के ऊपर सुनने और सुनवाने के लिए बैठ नहीं सकते हैं, जिस देश के हमारे विधायक, विधान के विधाता, अगर उनकी रुचि इस तरीके से इस बजट के ऊपर सुनानें के काम में रहेगी तो प्रान्त का मान्यवर, क्या होगा । अभी मैं आगरा जिले में गया था वहां जगनेर क्षेत्र में तहगावां गांव है । वहां पर सरकार द्वारा बांध बनाकर किसान के खेतों में पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जय राम]--

को रोका जाता है । उनके खेत में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तक बरसात का पानी रोका जाता है । अक्तूबर में जब उस पानी को काटा जाता है और किसान उस पानी को लेते हैं तो उनसे १४ रुपए एकड़ के हिसाब से कर लिया जाता है । बरसात में नदी में पानी किसान बांध लेते हैं और जब पानी लेते हैं तो उनसे कर लिया जाता है । एक भी ट्यूबवल उधर नहीं है, बिजली का नामोनिशान नहीं है । हमारे माननीय सदस्य गांवों की तरफ जाने की बात करते हैं ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की सड़कों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष इस बात को मैंने सदन में रखा था । हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी जो इस समय उप मुख्य मंत्री हैं उनका जिला मेरे जिले से सटा हुआ है । मेरा जिला गाजीपुर है । जब कोई आदमी उनके जिले से बार्डर क्रास करके हमारे जिले में जाता है तो यह पता चल जाता है कि वह गाजीपुर जिले में आ गया । सड़कों की बड़ी दुर्दशा है । पिछले कृषि मंत्री जी से मैंने बड़ी अनुनय विनय की कि हमारे जिले में किसानों का मेला लग रहा है आप चलें । उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया कि वह तो कम्युनिस्ट एरिया में मेला लग रहा है, कम्युनिस्ट आपको ले जा रहा है, आप मत जाइए । मैं दिखलाना चाहता था कि उस क्षेत्र में सड़कों की क्या दशा है । सन १९७१ से जो सड़क बनायी जा रही है आज सन १९७९ में वह सड़क नहीं बन सकी है । हमारे भूतपूर्व खाद्य मंत्री जी को खाद्य विभाग में अब कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ी है । तो अजीब हालत है कि कुर्सी ज्यों ही [×××] नीचे से खिसकती है तभी बुद्धि ठीक होती है । लेकिन पहले वह हालत नहीं दिखाई पड़ती है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि [×××] शब्द क्या संसदीय है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

कुर्सी तो [×××] के ही नीचे रहती है ।

श्री जय राम--

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने अन्तोदय कार्यक्रम के बारे में कहा कि यह अविश्वसनीय प्रोग्राम है । मैं भी इसमें जो कमेटी बनी है उसका एक सदस्य हूं । तो कमेटी में मैंने सुझाव दिया था कि यदि सचमुच में उत्तर प्रदेश के गरीबों का भला आप करना चाहते हैं तो आप अपने दिलों पर हाथ रखकर उन योजनाओं के बारे में सोचें । मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय प्रोग्राम गरीबों को धोखा देने वाला प्रोग्राम है । यदि आप चाहते हैं कि गरीबों का भला हो तो मैं सदन में सुझाव देता हूं कि बेवकूफ बनाना बन्द करें, नारायण दत्त तिवारी की सरकार ३० वर्ष गरीबों को बेवकूफ बनाती रही । जाति पाति के झगड़ों ने बराबर लोगों का बंटवारा किया । यदि वही काम आप भी करेंगे तो दो वर्ष के बाद पता नहीं आपका क्या हाल होगा । यदि यह सरकार कल गिर गई तो शायद दूसरे दिन ही आपको मैदान में जाना पड़ेगा और तब पता चलेगा ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैंने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश के गरीबों का विकास करना है तो जो पैसा खर्च कर रहे हैं और थोड़ा बैंकों से लोन ले लें और उससे कुछ जिलों में कारखाने खोल दें उससे अन्त्योदय परिवार के लोगों को काम देने की गारन्टी कर दें और उसमें वह काम करेंगे इससे उनको जो वेतन देंगे उससे उनका विकास होगा। लेकिन जो कर रहे हैं उससे एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो ५ हजार रुपए लेकर अपने विकास का कार्यक्रम चला सके। क्योंकि रुपए लेगा तो उसके दूसरे दिन से उसकी कटौती शुरू हो जायगी। जो ५० प्रतिशत छूट देते हैं उसी में से वह अन्त्योदय परिवार बिक जायेगा क्योंकि उसको ४ प्रतिशत सूद देगा और वह आपका रुपया नहीं दे पायेगा। और फिर आप कुर्सी से हट जायेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा प्रोग्राम ठीक नहीं रहा। ३० वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश को लूटा और २०–२५ वर्षों तक कांग्रेस में रहने वाले लोग निर्लज्जतापूर्वक आज फिर कहते हैं कि ३० वर्ष में कांग्रेस ने इस देश और प्रदेश को बरबाद कर दिया, तो जब आज विधायकों की यह नैतिकता हो गयी है तो इस देश और प्रान्त का क्या होगा। इसके साथ ही मैं इस दिवालिया बजट का विरोध करता हूं।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, कोरम तो है नहीं। इसलिए सुझाव है कि पूरे बजट सेशन के लिए कोरम वाला नियम निलम्बित कर दें, तो ठीक रहेगा।

श्री अधिष्ठाता––

वह तो विधान सभा ही कर सकती है, मैं कैसे कर दूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मान्यवर, कोरम तो है नहीं? कोरम की घंटी तो बजवाइये?

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी)।

श्री राम कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं उनके सहयोगी मंत्रियों को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जनहित में पहले से अच्छा बजट पेश किया। मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि जो पहले बजट पेश किया गया था और उसमें जो वर्णित कार्य थे, उनको बाखूबी कार्यान्वित किया है।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी के पास दो चीजें हैं––एक शकल और दूसरी अकल, शकल तो, मान्यवर, रोज उनकी देखने को मिलती है, लेकिन अकल साल में केवल एक बार देखने को मिलती है और या तब जब कि वह अपना बजट भाषण देते हैं। तो जो मौजूदा बजट भाषण है, उसमें मा० वित्त मंत्री जी शकल और अकल पूरी तरह से प्रतिबम्बित हो रही है, क्योंकि उन्होंने बजट का जो उद्देश्य होता है। विकास कार्यों को बढ़ावा देना, उत्पादक कार्यक्रम जैसे सहकारिता, यातायात, ग्राम्योद्योग, बिजली और अन्त्योदय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, इन चीजों को रखा है।

मान्यवर, नए वर्ष में कृषि और सिंचाई के लिए ३८ प्रतिशत रखा है और विद्युत के लिए ३२ प्रतिशत धन रखा गया है। रोजगार के कार्यक्रमों में उन्होंने ६०

[श्री राज कुमार शर्मा--]

प्रतिशत अन्त्योदय कार्यक्रम में रखा है। पिछले ३० सालों में जो देश और प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं, उसमें उन वर्गों को अछूता छोड़ दिया गया है, जो गांव में सबसे गरीब लोग हैं। जनता सरकार ने ढूंढ़-ढूंढ़ कर, छांट-छांट कर गरीब लोगों को उठाया है और प्रयास किया है और पिछले साल सवा ९ करोड़ से भी ज्यादा रुपया लगभग ४० हजार परिवारों (लगभग २ लाख लोगों) को दिया है जिससे उनको रोजगार मिले हैं।

इसी तरह से खाद्यानों में पिछले वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यह उस वक्त के अधिकारियों और मंत्रियों की विशेषता प्रदर्शित करता है। नये वर्ष में २ लाख १९ हजार ३१ रोजगार सृजित किए गए हैं। इस वर्ष में २० करोड़ रुपया गरीब लोगों को ऋण देने का प्राविधान किया गया है जोकि पिछले कई वर्षों में पहली चीज सामने आती है। नये वर्ष में एक अरब, ३५ करोड़ ८ लाख सिंचाई पर खर्च किया जायेगा जो पिछले साल से १६ करोड़ रुपए अधिक है और पिछले ३० वर्षों में से किसी भी वर्ष से सबसे बड़ी रकम है। पिछले साल, पिछले मंत्रिमंडल में १४ नयी सिंचाई योजनायें आरम्भ की गयी हैं। इससे अगले २/३ सालों में जो हमारे प्रदेश में सिंचाई का अभाव दिखाई देता था, वह दूर हो सकेगा नलकूप भी बढ़े हैं। पिछले ५/६ वर्षों में कांग्रेस शासन ने जितने नलकूप लगाए पिछले एक साल में ३,००० नलकूल बढ़े हैं और इस साल एक हजार राजकीय नलकूपों की और वृद्धि की जायेगी।

पिछले साल लगभग १० हजार जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खोले गये हैं जो पिछले ३० वर्षों में किसी भी एक साल में खोले गये नये स्कूलों की सबसे बड़ी तादाद हैं। शिक्षणेतर कर्मचारियों और शैक्षिक कर्मचारियों को भी गत वर्ष नई-नई सुविधायें दी गई हैं और इस वर्ष भी नई सुविधाओं के लिए प्राविधान रखा गया है। पिछले साल ५००३ गांवों में जल पहुंचाया गया है। हमारे यहां रावली गांव में जहां लोगों को एक-एक बाल्टी पानी के लिए दो-दो किलोमीटर जाना पड़ता था, जनता सरकार ने मेरे अनुरोध पर यहां नलकूप लगाने की व्यवस्था की है। नये साल में भी २०५० गांवों में पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था इंगित की गई है। प्रशासनिक व्यय में भी १२ करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है जो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। ५००० किलोमीटर सड़क बनाने का प्राविधान है। जैसा हमने नारा दिया था कि गांवों की ओर चलो।

हमने पिछले साल भी कहा था कि हम गांवों की ओर तभी जा सकते हैं जबकि वहां बिजली और सड़कों, पानी की व्यवस्था हो। लघु उद्योग में भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। १९७८ में ४०१२४ इकाइयां हमारे प्रदेश में हुई हैं यानी ३००० इकाइयां पिछले साल में नई स्थापित हुई हैं और इससे ४४७२६६ नये लोगों को काम मिला है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जो पिछले साल के शासन ने हमारे प्रदेश को दी है। इसके साथ ही मैं दो बातें खासतौर से कहना चाहूंगा। एक तो हमारी पार्टी का भी और जनतंत्र का भी उद्देश्य है विकेन्द्रीकरण का। सरकार विकेन्द्रीकरण की तरफ शायद उस द्रुतगति से नहीं बढ़ रही है जिस द्रुतगति से बढ़ना चाहिए। बिजली को विकेन्द्रीकरण से हटाकर केन्द्रीकरण कर दिया है। प्राइमरी एजूकेशन का केन्द्रीकरण कर दिया गया है।

हमारे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन गांव की न्याय पंचायत चलायेगी। वह कब चलायेगी, यह तो अभी सामने नहीं आया है। इसी प्रकार जल व्यवस्था का भी जल निगम के नाम से केन्द्रीकरण कर दिया गया

है । यह जो केन्द्रीकरण किया जा रहा है, इससे कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं । जहां तक बेसिक शिक्षा की दुर्दशा का सवाल है, पिछले वर्षों जब जिला परिषदों के हाथ में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में गिरावट आई है । टाट पट्टी नहीं है, भवनों की मरम्मत की व्यवस्था नहीं है । कोई भवन नगरपालिका का है और कोई प्राइवेट लोगों का किराये पर है । हमारे हरिद्वार में ऋषिकुल आश्रम में एक दो कमरों का स्कूल है, उसके एक कमरे की छत गिर गई है । मैंने उसके लिये कई बार कहा भी लेकिन सुनवाई नहीं हुई और छत गिरने से वहां एक–एक फुट की घास जम गई है और वहां ८०–९० बच्चे पढ़ रहे हैं । इसी प्रकार हमारे यहां ज्वालापुर में एक राजकीय कन्या बेसिक विद्यालय है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सम्पत्ति है, १२५ रु० महीने किराये पर ली हुई है और वह सौ साल पुरानी सम्पत्ति है । उसकी मरम्मत की आवश्यकता है लेकिन बहुत पत्र–व्यवहार करने के बावजूद नकारात्मक उत्तर मिलते हैं । मैंने विधान सभा में भी प्रश्न किया है । जब हमने किसी बेटे को गोद लिया है, उसे वैधक पुत्र बनाया है तो हमें उसके सब संस्कार भी करने पड़ेंगे । उसे एजूकेशन भी देनी होगी, बीमारी में दवा करनी होगी । लेकिन हमारी सरकार ने बेसिक शिक्षा रूपी बेटे को गोद तो लिया है लेकिन उसकी स्थिति सुधारने की ओर उचित कदम नहीं उठाया है ।

हमारे यहां एक तरफ गंगा नदी है और एक तरफ बानगंगा है . . . । दोनों के बीच में खादर का इलाका है । ६८ गांव इस इलाके में हैं । लगभग एक लाख की आबादी वहां पर है । हजारों वर्षों से वहां पर पुल नहीं है । ६–७ महीने वहां के लोगों का जन–जीवन कटा रहता है । सारा जन–जीवन इस पार से होता है रेल, बस, परिवहन, यातायात, एजूकेशन आदि । मैं एक साल से प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार वहां एक पुल बनवा दे । इस साल २८ नये पुल बनवाये जा रहे हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक पुल बानगंगा पर भी बनाये ।

दूसरी शिकायत मेरी यह है कि दफ्तर का प्रोसीजर हमारा बड़ा जटिल है हमारे हरिद्वार में एक महात्मा है । उन्होंने दस लाख रुपये की लागत की एक बिल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के लिए बनायी है पांच एकड़ जमीन साथ है । और उसे वह सरकार को दे रहे हैं लेकिन हमारी सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती । उनके पत्र का उत्तर अभी तक नहीं मिला है । लोग ऋषिकेश, देहरादून, पढ़ने जाते हैं परन्तु हमारी लड़कियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज या तो स्वयं खोले या महात्मा जी जो १०–१५ लाख की बिल्डिंग इसके लिए देने वाले हैं उन्हें अनुमति प्रदान करें । ।

इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में सात गांव गैर रेवेन्यू के हैं । १९५४ में मुजफ्फरनगर से आकर लोग सहारनपुर में बस गये थे । इन सात गांवों में लोगों ने फूलगढ़, गोविन्द गढ़, दुर्गा गढ़, शिव गढ़ आदि बना रखे हैं । मैं साल भर से बार–बार सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन गांवों को रेवेन्यू में लिया जाय, उनको रेवेन्यू के अधिकार दिये जायं लेकिन इस सरकार के बहरे कानों में आवाज नहीं जाती । गांवों में ८० फीसदी पिछड़ी जाति, हरिजन लोग रहते हैं । मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इन गांवों को रेवेन्यू में ला कर उनको रेवेन्यू के अधिकार प्रदान करें ।

एक हमारी सड़क रुड़की से बहादराबाद १९७४ में बनी थी । यह सड़क बरसात में नष्ट हो जाती है और मोटर तथा बस यातायात के लिए खतरनाक बन जाती है । सरकार उस तरफ भी तवज्जह दे । पुरानी सड़क दिल्ली रोड पर सोलानी पर पुल को इंजीनियरों ने खतरनाक घोषित कर दिया है । दो वर्ष हो गये लेकिन उस

[श्री राज कुमार शर्मा—]

पुल का विकल्प तैयार नहीं किया जा सका है। वहां पर हमारे मुसलमान भाईयों का पीरान कलियर मेला लगता है और देश-विदेश से लोग वहां पर आते हैं। इसी सड़क से वहां पर आवागमन होता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलानी के पुल को ठीक करवाया जाय।

हमारे क्षेत्र में पथरीरौ नाला है जिसमें पानी भर जाता है और आस-पास के गाँवों में चला जाया करता है। गांवों की जमीन बिल्कुल खत्म हो गई है। मैंने जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया था; लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मैं इस हाउस के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पथरीरौ का गहरा किया जाय, तट बन्ध बनाये जायं ताकि उसका पानी आस-पास के गांवों में न फैले।

अन्त में एक बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। संस्कृत के अध्यापकों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, डेढ़ सौ वर्ष से कहते आये हैं कि संस्कृत में संस्कृति छिपी है। विदेशों में जब यह पूछा जाता है कि भारत की संस्कृति क्या है तो हम संस्कृत के ग्रन्थों के आधार पर बतलाते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार अन्य स्कूलों के मुकाबले संस्कृत के अध्यापकों और विद्यार्थियों को सुविधा नहीं दे रही है। उनको सुविधा प्रदान की जाय।

इसी प्रकार बाढ़ के कारण भूमि कट रही है उसका विकल्प सरकार को ढूंढना चाहिए। उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिये। इतना कह कर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने मौका दिया। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं यह कहना गलत है कि जनता सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही है। ईमानदारी से देखा जाय तो तीस साल की तुलना में दो साल कम एक महीना की अवधि में शहर, गांव तथा पूरे प्रदेश में जो कार्य इस सरकार ने किये हैं वे सराहनीय है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है। रात दिन काम जारी है। यह अवश्य है कि बहुत दिनों से जिन्होंने खून पिया है उनका रवैया आज भी वही है। कुछ दिन अवश्य वह आगे जायेंगे, फिर उनका सफाया हो जायगा। किसी पर कलंक लगा देना, सही काम करने पर भी कलंकित करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमको सोच समझ कर बात करना चाहिये। इस सरकार ने जो कुछ किया वह हमारे और आपके सामने है।

एक बात मुझे कहनी है। अन्तयोदय की स्कीम हमारी सरकार ने चलाई है। यह बजट हमारा बहुत क्रान्तिकारी है। इस बजट में हर चीज की व्यवस्था की गयी है लेकिन एक चीज की जरूर कमी रह गयी है। हरिजनों के नाम पर बड़ा हल्ला होता है, कहा जाता है कि उनके साथ बड़ा अन्याय होता है, उनको बड़ी दिक्कतें हैं। हरिजनों में कई जातियां हैं जिसमें एक धोबी जाति भी है। उनके लिये कोई ठिकाना नहीं। मोचियों के लिये चमड़े की व्यवस्था होती है। कुछ हरिजनों के लिये मुर्गा तथा सुअर की व्यवस्था होती है लेकिन जो धोबी है और संसार भर की गंदगी को धोता है, सफाई करते हैं उसके लिये इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । उनके लिये भी साबुन तथा सोडे की व्यवस्था होनी चाहिये थी और जो रेह होती थी, उससे बहुत बड़ा काम होता था; किन्तु वह भी समाप्त हो गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हर प्रकार के अनुदान हरिजनों के लिये मिले हैं उसी तरह से धोबियों को भी गधों और खच्चरों को खरीदने के लिये अनुदान दिया जाय । वह भी उसके लिये एक हथियार है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले के हाटा क्षेत्र से जहां से मैं आया हूं वहां एक नदी है मोहन-नाला जिसके ऊपर ३-४ पुल बनकर तैयार हैं । सड़कों का जाल बिछा रहे हैं । यह सब काम हो रहे हैं । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां का कार्यकर्ता या एम० एल० ए० सक्रिय होता है वहां का काम जल्दी हो जाता है और जहां का सक्रिय नहीं होता वहां देर से होता है क्योंकि वह एम० एल० ए० दूसरे कामों में उलझ जाता है । इस देश में ३० साल से कांग्रेस का शासन रहा है और कांग्रेस के लोग वोट के लिये ही गांव में जाते थे तब भी काम नहीं होता जब कि जनता पार्टी की सरकार के मंत्री लोग हमेशा दौड़ा करते रहते हैं और इसमें दो राय नहीं हैं कि बहुत तेजी से काम हो रहा है । जो अंत्योदय का काम हमारी सरकार ने किया है, गांव-गांव में रिक्शा, मशीन सिलाई की, भैंस, ट्रेक्टर आदि का वितरण किया है । अन्य उद्योग-धन्धे लगाये हैं, काम जोरों पर है । यह सब बहुत अच्छी चीज है । लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी देखरेख में ही हम लोग कांग्रेस की तरह से मतवाले न हो जायं । तब काम गड़बड़ हो जायेगा । इसलिये हमें सजग रहने की आवश्यकता है । इसमें केवल सरकार के लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं । सीमा पर जवान लड़ता है, गांव में किसान लड़ता है खेत में मजदूर लड़ता है, हर जगह लड़ाई जोरों पर है । हमें हर प्रकार से आगे बढ़ना है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है । संघर्ष का यह मतलब नहीं है कि हम खजाने को लूटें । यह काम हमारा नहीं है । हमारा काम डाक्टर लोहिया और गांधी के बताये हुये नारों की तरह आगे चलना है और अन्याय को शांतिप्रिय ढंग से सुलझाने का है । इन शब्दों के साथ जो हमारा क्रांतिकारी बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जो बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं फतेहपुर जिले की कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां जब एम० पी० का और विधान सभा मेम्बर का पिछले दिनों चुनाव हुआ था तो कोई मंत्री प्रधान मंत्री और जगजीवन राम को छोड़कर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वहां न गया हो । मान्यवर, हमारा यह क्षेत्र गंगा और गंडक के बीच में पड़ता है और इलाहाबाद, कानपुर, बांदा, रायबरेली के बीच में है । वहां पर किसनपुर टाउन एरिया है वहां से ऊंचाहार से होते हुये रास्ता लखनऊ को जाता है । सरकारी लोग वहां जाते हैं और कई विषयों में आदेश जारी करके आते हैं । होता कुछ नहीं है । सरकार जाकर सारी चीजों के बारे में वायदा कर आती है लेकिन बाद में कुछ काम होता नहीं है । हमारे भूत पूर्व मुख्य मंत्री जो थे वह भी वायदा कर आये थे हमारे फतेहपुर में ।

एक और निवेदन करना चाहता हूं ऐसी बात नहीं है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है हमारी सरकार काफी काम कर रही है जो पिछले ३० सालों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जागेश्वर---]

नहीं हुए वह काम कर रही है लेकिन यह बात देखन की है कि जनता हमारे कामों से नाखुश है यह बात समझ में नहीं आती है। बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं, ट्यूब वेल लग रहे हैं और भी तरह-तरह के काम हो रहे हैं अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं लेकिन हमसे जनता नाखुश है। मुझे मालूम है कि कांग्रेस सरकार के जमाने में सड़कें कागजों पर बनती थीं और मौके पर नहीं बनती थी भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था, मैं खुद कांग्रेस में रहा इसलिए सारी जानकारी है। जनता पार्टी ने गलत काम नहीं किया है। कुछ प्रशासन में कड़ाई नहीं है अधिकारी खिल्ली उड़ाते हैं हमारे एक-एक काबिल मिनिस्टर बैठे हैं वह इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि रामायण में कहा है कि शासन शाम, दाम दंड और भेद से होता है जो कि राजा लोग किया करते थे और तब काम ठीक होता था। जनता पार्टी काफी काम कर रही है लेकिन उसके लिए कड़ाई की भी आवश्यकता है। कांग्रेस के जमाने में जिन हरिजनों व गरीबों को भमि पट्टे पर मिली थी उनके केस हाई कोर्ट में लटके पड़े हैं। गरीब और हरिजन वकील रख नहीं सकता है इसलिए गरीबों का काम नहीं होता है। सरकार को ऐसे वकील रखने चाहिये जो हरिजनों का ही काम करें तभी उनको न्याय मिलता है। आपने हरिजन अधिकारी जिलों में रखे हैं लेकिन उनको कोई पावर नहीं है और न ही जीपें मिली हैं। आप उनको मैजिस्ट्रेट की पावर दीजिये और जो मुकदमें हरिजनों के दायर किये जाते हैं उनका फैसला वह करें तब जाकर उनकी समस्या हल हो सकती है। हर एक अधिकारी के लिए एक जीप का प्रबन्ध होना चाहिये।

अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। लोग लूटे जा रहे हैं और परेशान हैं लेकिन पुलिस वाले कड़ाई नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हम कड़ाई करते हैं तो दूसरे दिन मुअत्तिल हो जाते हैं। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था एक बुड्ढा आदमी अपनी लड़की के साथ बैठा हुआ था रास्ते में दो चार गुंडे आये उसके पास बैठ गये और परेशान करने लगे। तो पुलिस वालों से कहा कि उनकी रक्षा करो तो वह कहने लगे कि हम कैसे करें। अगर हम पकड़ते हैं तो २०, २५ गुंडे आकर हमें परेशान करेंगे और अगर हमने पकड़ कर गिरफ्तार कर दिया तो किसी नेता का टेलीफून आ जायेगा उल्टा हमारी लाइन हाजिरी हो जायेगी। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम मिलना चाहिये। यदि कोई बुरा काम करता है तो उसको दंड मिलना चाहिये। ताकि उसको मालूम हो कि अगर गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा। कुर्सी का लालच छोड़ कर हमें इस तरह का काम करना चाहिये। कुर्सी का लालच नहीं करना चाहिये। कुर्सी लिपटाने से नहीं बचती है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको कुर्सी अपने आप मिलेगी। आज जनता पार्टी के राज्य में अच्छा काम हो रहा है। अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि भ्रष्टाचार को खतम करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम के लिए मैं गोरखपुर और इलाहाबाद कई जगहों में गया और मैंने कई केसेज भ्रष्टाचार के पकड़े। इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिये। भाइया मेरा निवेदन है कि आप को डर छोड़ कर काम करना चाहिये। इसमें चाहे हमारे बाबू जगजीवन राम हों, चाहे प्रधान मंत्री हों या यहां हमारे बनारसी दास जो हों सब मेहनत से काम कर रहे हैं। जनता पार्टी ने अच्छे काम किये हैं हमारे जिले में जितने भी जमीन के पट्टे खेतों व मकानों के लिए किये गये हैं, आज तक उन पर लोगों का कब्जा नहीं मिला है। आप क्यों नहीं उनकी सुनते हैं, उन्होंने आपको वोट देकर यहां भेजा है। फतेहपुर जिला बिलकुल सूखा पड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए आप हमारे जिले की ओर पूरा ध्यान दीजिए।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

श्रीमन्, वित्त मंत्री के ७९-८० के बजट भाषण को मैंने सुना और पढ़ा भी । उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, किन्तु जो क्षेत्रीय असन्तुलन है, उसको दूर करने का उसमें कोई प्रविधान नहीं किया गया है । मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से बिलकुल मिला हुआ है तथा वह जमुना और चम्बल घाटी का बीहड़ इलाका है, जो डकैतों के लिए मशहूर है ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

यह आगरा का नाम क्यों नहीं लेते हैं । इन लोगों के लिए तो निवास स्थल की सरकार ने व्यवस्था की है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलें । (व्यवधान)

श्री हुक्म सिंह परिहार--

स्वतन्त्रता के बाद वहां की जनता को आशा थी कि उस क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान जाएगा और लोगों के संकट दूर होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ । भारत सरकार ने एक योजना स्वीकार की थी, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस पर कोई काम नहीं हुआ । उसका सारा का सारा धन मध्य प्रदेश में चला गया, राजस्थान को चला गया, जो डाकू समस्या को हल करने के लिए था । उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया । मंत्री और मुख्य मंत्री दिन रात केवल अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहे । प्रदेश में पन्त जी के बाद कोई भी ऐसा मुख्य मंत्री नहीं रहा, जो वहां टिक सका हो, इसी में प्रदेश पीछे होता चला गया । इसका एक कारण यह है कि यहां पर राजनैतिक तौर पर अस्थिरता रही है, दूसरा कारण प्रदेश का बृहदाकार और भारी जनसंख्या रही है । इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश दुनियां में कोई नहीं रहा है । बंगला देश, अरब के देश या दूसरे यूरोप के देश भी इससे छोटे हैं । इतनी बड़ी इकाई संसार में नहीं है । बार-बार कहा गया इस प्रदेश का विभाजन करो । जो इसका विरोध करते हैं उसका एक कारण है, राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक अज्ञानता । उसके आधार पर विरोध करते हैं । कोई मुख्य मंत्री इतने बड़े प्रदेश का विकास नहीं कर सकता । विकास की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से इस प्रदेश का विभाजन आवश्यक है । पहले भी और इस बजट में भी उल्लेख है, यह बताया गया कि प्रदेश पीछे जा रहा है । लेकिन यह रुकेगा कैसे ? इसका बजट में कोई प्राविधान नहीं है । रात दिन मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कहते रहते हैं कि प्रदेश के लिए धन नहीं मिल रहा है । जहां एक इकाई का सवाल है वहां इकाई के आधार पर धन का आबंटन होगा । जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का आबंटन नहीं हुआ और न होगा । वैसे भी यहां जो लोग हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों में लिप्त हैं । खाद्यान्न श्रम योजना का इसमें उल्लेख किया गया । खाद्यान्न योजना में बहुत काम किया गया । लेकिन इस बजट में उसका उल्लेख नहीं है । आगे इस योजना में प्राविधान नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

[श्री हुक्म सिंह परिहार]

एक प्लानिंग कमेटी है, जिसका मैं मेम्बर हूं । मैंने बार-बार माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री से कहा कि प्लानिंग कमेटी, जो इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है, उसकी एक बैठक होनी चाहिए । लेकिन मान्यवर, फरवरी में उसकी बैठक बुलायी गयी । उससे पहले कोई बैठक नहीं हुई । पिछला साल चला गया लेकिन प्लानिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई । सरकार का सब प्लानिंग बेकार हो गया । उन्होंने अपने मन से प्लान बना कर रख दिया । उस पर चलेंगे और किसी की बात सुनना नहीं चाहते ।

क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए खाद्यान्न योजना पिछड़े क्षेत्रों को ज्यादा देना पड़ेगा जिनसे अब तक काम नहीं हुआ है । यहां हालत यह है कि जो मंत्री बन गया या जिसके हाथ में सत्ता आ गयी उसने अपने क्षेत्र की योजना बना ली । वही ले भागा । कोई न्याय नहीं है । पूरे प्रदेश की प्लानिंग नहीं होती । पूरे पूर्वी प्रदेश में इतना ज्यादा खर्चा हुआ पिछले दो सालों में । (लाल बत्ती जलने पर) आपने बत्ती जला दिया । मेरा समय इतना नष्ट कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट और है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । इसका जिक्र तो किया गया लेकिन जो धन मिल सकता था वह भी उसके लिए नहीं लिया गया । मेरा क्षेत्र, फतेहाबाद जो इतना पिछड़ा है, जो डाकू ग्रस्त क्षेत्र है । मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए धन मिल सकता है, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया । मेरा निवेदन है कि उनको पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाये और उनको इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये । सिंचाई के बारे में भी मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं । मथुरा और मैनपुरी में नलकूप लगे हैं लेकिन अधिशासी अभियन्ता २ जिलों के बीच में एक है जिससे नलकूपों का कार्य सुचारूरूप से नहीं चल पा रहा है । एस० डी० ओ० कार्यालय भी वहां पर नहीं है । इस सरकार को इस बात का समावेश अपने बजट में करना चाहिए । इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का समय दिया । मान्यवर, हम और हमारी पार्टी जनता पार्टी की सरकार की समर्थक है और आगे रहेगी, वह तो जनता पार्टी के ऊपर आधारित है । मान्यवर, इस बजट से हमारी निराशा होती है । इस बजट के अन्दर सारी बातें लम्बी-चौड़ी बातें प्रदेश के विकास के लिए की गयी हैं । मैं दुहराना चाहता हूं कि इस सरकार का बजट कांग्रेस सरकार के बराबर या उससे बेकार का बजट रहा है । मान्यवर, इससे निराशा बढ़ी है । इस बजट में एक ओर गांव की ओर जाने की बात कही गयी है वहीं पर आप देखें कि यह वैसा बजट है नहीं । आप इसकी गहराई में जायें । मैंने इसको २-३ बार गहराई से देखा है । गांव की सारी बातें कही गयी हैं लेकिन किसान, मजदूर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और गरीब की प्रगति के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । अन्त्योदय की बात कही गयी है ।

मान्यवर, इसमें दिया गया है कि ३८४ ब्लाकों में उद्योग के आधार पर सहायता दी जायेगी और कुछ में अन्त्योदय के आधार पर दी जायेगी । मान्यवर, क्या मजाक है । हमारे दूसरे सदस्यों को गांव की जानकारी भले न हो लेकिन मेरी गांव से पूरी जानकारी है बहुत से सदस्य आसमान से टपक पड़े हैं या कांग्रेस के कुशासन के कारण आ गये हैं । लेकिन मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव की सारी समस्याओं को जानता हूं । अन्त्योदय प्रोग्राम बिल्कुल बोगस है । मैं अपने पूर्व मुख्य मन्त्री से सहमत रहा हूं, उनकी भावना दुरुस्त रही है । मैं उनकी हमेशा तारीफ करता रहा हूं लेकिन कोई पहाड़ पर से कोई ऋषि या मुनि भी लाकर बैठा दिया जाये तो वह भी या तो पागल हो जायेगा या इस प्रदेश को चौपट कर डालेगा । इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है । पूर्व मुख्य मंत्री निहायत आला आदमी थे । पिछली एक बात मैं बताऊं कि मैं गेदा सिंह जी के साथ था और जब मैं उनसे मिलने आया, वह समाजवादी विचारधारा के एक अनोखे व्यक्ति थे । समाजवादी उनकी विचारधारा थी । उन्होंने एक बार सूखा पड़ने पर गांव में कच्चा कुंवा खुदवाया, करोड़ों रुपया खर्च किया, आज हमारे चौधरी साहब गांव की ओर कम्पोस्ड खाद बनाने की ओर चले गये । मैं यह जानता हूं कि हमारे मंत्री जी निहायत ईमानदार हैं, मगर वे करें क्या । हमारे आजमगढ़-फैजाबाद में जितनी सिलाई की मशीनें आयीं सब डुप्लीकेट । साढ़े ३ सौ की मेज के दो हजार रुपये दिये गये । हमने वहां के एस० डी० एम० और विकास अधिकारी को लिखा, वे कहते हैं हमारे ऊपर दबाव है सरकार का कि इतने पैसे खर्च करा दो । तो खर्च हो जाता है, लाभ जनता को नहीं मिल पाता ।

हम आपसे सहमत हैं कि गांव में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मगर इस ओर कांग्रेस के जमाने में जो स्थिति थी वही आज है, आपने एक प्वाइन्ट भी इस ओर प्रगति नहीं की है । आपने एक भी किसान मजदूर को जमीन देकर हित नहीं किया है । हमने जो त्रिपुरा में किया है उसको आप देखिए । हमने वहां एक विधेयक पास किया और यह किया कि जो भी हरिजन किसान हैं, जो भी जमीन को जोतता है, बोता है, उसको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत लैंडलार्ड को होगी । हमने उन गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था करवायी है ।

सड़कों की बात बहुत से माननीय सदस्यों ने कही । मैंने भी अपने यहां की सड़कों के बारे में एक प्रश्न पूछा था । मेरा प्रश्न था कि खाद्यान योजना में हमारे दोनों ब्लाकों में कितनी सड़कें बनीं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है कि ५० फीसदी पैसा जो है कर्मचारीगण पी० डब्लू० डी० के खा लेते हैं । ऐसी-ऐसी सड़कें बनी हैं, बरसात में कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता, मैं मुख्य मंत्री के और मंत्रियों के क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूं । ५ किलो मीटर सड़क अब तक नहीं बनाई गई और आंकड़े में सारी सुरक्षा की बात । मैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षा और पुलिस का बजट देखता हूं । मान्यवर, ३० साल से बड़ा दुःखी हूं । मैं नहीं कहता हूं कि हमारे पूर्व जो गृह मंत्री थे, उनकी नियत खराब थी । कांग्रेस का रवैया तो अलग था । उनके यहां तो प्रोत्साहन पुलिस विभाग को मिलता था । लेकिन नेकनियती के नाम पर बैठे हमारे मंत्री जो खामोश हैं, जैसे पुराने जमाने के ताल्लुकेदार बैठे देखा करते थे । मान्यवर, पूरे प्रदेश के जिस पिछड़े वर्ग की बात हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी जाति फीलिंग के नहीं थे, मुझे तजुर्बा है । लेकिन आजमगढ़ के लोग बौरा गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जो आप मेहरबानी कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको हम टाइम दे सकते हैं, आप कितनी देर तक और बोलेंगे ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मान्यवर, आप रोक दीजियेगा जब आप चाहियेगा ।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

मान्यवर, ये भगवती सिंह नहीं बोल रहे हैं, इनकी पार्टी बोल रही है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मान्यवर, अगर एक भी सदस्य इसमें यह कह दें कि आज दुगुना, चौगुना पिछड़े वर्ग को और हरिजनों की पिटाई नहीं हुई है, तो मैं विधान सभा से बाहर जा सकता हूं । फिर मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं अपने नेक उद्योग मंत्री जी से कि क्या वजह है मंत्री बदल जाते हैं, आपके हाथ में गृह विभाग था, फिर श्री राम सिंह के हाथ में गया, फिर बदल गया । आखिर वजह क्या है कि पुलिस विभाग पर अंकुश नहीं लग सका । विधान सभा के अन्दर सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि हरिजनों के साथ जुर्म हो रहा है । तीन बजे से ६ बजे तक यादव को वह पिटाई हुई है जैसे कि गांव में किसी मुसहर की पिटाई हो । आमतौर से यादवों की पिटाई हो रही है । हम जानकारी के तौर पर कह रहे हैं मान्यवर, लेकिन उसको पेश नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है ? मैं एक दिन सुन रहा था, जब हमारे एक माननीय सदस्य बहुत ही पार्लियामेन्ट्री वर्क में अपनी जिन्दगी बिताने वाले और प्रदेश के जाने-माने नेता बाबू बनारसी दास जी यह कह रहे थे कि हमारी पुलिस ने बहुत नेक काम किया है । लेकिन मान्यवर, हमारी सत्ता पक्ष, जिनके हम सपोर्टर हैं, उनकी भी दिलचस्पी कभी इधर चली जाती है कभी उधर। इधर-उधर नहीं जाना चाहिए । जब हम बरखास्त देते हैं, तो २४ घण्टे हमारे मंत्री उसको देखते हैं और उसे पारित कराते हैं । मैंने कहा कि वह लिया नहीं जा रहा है उद्योग पर, श्यामधर जी के जमाने में सड़ें हैं ।

(हंसी)

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, ऐसे बहुत कम भाग्यशाली हैं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मान्यवर, अन्त्योदय पर विशेष रूप से मंत्री जी से मैं कहूंगा कि एक कमेटी बैठा दीजिये । किस तरह से मान्यवर, अन्त्योदय प्रोग्राम पर हमारे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपया गलत तरीके से खर्च हुआ है, तो इसका भार कमजोर और किसान वर्ग पर पड़ेगा । मान्यवर....

सदन के परिसर में नारेबाजी की घटना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक मेरी जानकारी है यह नारा लगा है और यह नारा क्यों लगा है, तो सदन को भी इसकी जानकारी करायी जाये कि वे लोग कैसे इसके अन्दर आ गये ? वे कौन लोग थे इसकी जानकारी सदन को करायी जाये क्योंकि यह परिसर के अन्दर हुआ है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

ये किसके परमीशन से आये हैं इसकी जानकारी सदन को दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि इसकी जांच...

श्री उपाध्यक्ष--

बिना जांच के इसकी जानकारी कैसे होगी ?

१९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री भगवती प्रसाद सिंह--

कृषि विभाग ले लीजिये । इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस युग म कृषि का उत्पादन बढ़ा है और तीव्र गति से बढ़ा है । मैं भी छोटे-मोटे जमींदार घर का हूं । मगर उत्पादन का मान्यवर, हुआ क्या ? उत्पादन बाटा शू कम्पनी में बढ़ा । इतने जूते बनते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है । कपड़ा कानपुर, अहमदाबाद और बम्बई में कितना बनता है । कपास कितना पैदा होता है, शकर कितनी बनती है । देश में लोहे का, तांबे का, फर्टीलाइजर का उत्पादन होता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि सारे संसार के जितने मुल्क हैं जहां उत्पादन बढ़ा है, वहां ३० फीसदी को उस उत्पादन से करीब, १०० गज दूर रहना पड़ता है और मैं समझता हूं कि ७५ प्रतिशत लोगों को जो प्रोडेक्शन हो रहा है उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मान्यवर, आज अखबार में मैंने देखा है कि खाद्यान्न के मामले में देश आत्म-निर्भर हो रहा है । मान्यवर, आत्मनिर्भर का क्या मतलब है । करोड़ों टन गेहूं सड़ रहा है दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं । मान्यवर, आपको जानकारी है, आप महसूस करते हैं, २-४ महीने आपके साथ रहने का अवसर मिला है, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री को इसका अहसास है । मैं कहना चाहता हूं कि गांव के रहने वाले गरीब की न तो जिन्दगी की सुरक्षा है न वस्तु की और न रोटी की सुरक्षा है, उसका कोई पुरसाहाल नहीं है । मान्यवर, यह सरकार और पिछली सरकार गांव की तरफ ध्यान नहीं दे सकी है । गांवों में गेहूं और दलहन पैदा हुआ लेकिन मान्यवर, किसान तड़प रहा है, खेतिहर मजदूर तड़प रहा है । दुनियां के जो पिछड़े देश होंगे उन सभी से बदतर हालत हिन्दुस्तान की है । प्रोडक्शन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा है, गेहूं, सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है लेकिन असमानता जो है उसको किसी बजट में नहीं लाया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

समय कम है मान्यवर, मैं अपने पूर्व मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे पुराने समाजवादी खेमे के लोग जो लोहिया जी और मार्क्स का नाम लेते हैं लेकिन उसके अनुसार व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं । व्यवस्था चाहते तो जैसे बंगाल में सरकार कर रही है, उत्पादन का झगड़ा, मजदूरों का झगड़ा नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

*श्री लक्खी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं यह नहीं जान पाया कि यह किस दल के नेता हैं ।

एक सदस्य—

सी० पी० एम० के हैं ।

श्री लक्खी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सब सदस्यों से पूछें, एक बात हासिल नहीं हुयी कि वह क्या बोले हैं । श्रीमन्, मैं जो वित्त मन्त्री ने बजट पेश किया है उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं । लेकिन जिस दिन वह बजट पेश कर रहे थे, आपने भी देखा हमने भी देखा मुझे तो भय था कि कहीं मेरे मित्र की सांस ऊपर को न चढ़ जाय (हंसी) यह किताब पढ़ी गयी, अब यह किताब मैंने भी शांति से पढ़ी है । श्रीमन्, मैं तो कहूंगा नहीं कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया है । दो साल के अन्दर बहुत काम हुआ है जो ३० सालों में नहीं हुआ । जो हमारी माननीय सदस्य, बहन बेगम साहब हैं, शायद, बेगम साहब बोल रहीं थीं फैशन की बात । फैशन क्या बीमारी होती है । हम इसको समझते नहीं हैं, शायद भ्रष्टाचार है वह । गांधी जी ने १९४० में कहा था जब कि हिटलर की लड़ाई चल रही थी, हम लोग सत्याग्रह के लिये जेलों में थे और २५० रुपये जुर्माना हुआ था, आप भी मान्यवर, शायद होंगे, उस समय वायसराय अंग्रेज था, तो गांधी जी ने शिकायत किया कि हमारी बहनों को ये लड़के बहुत परेशान करते हैं । मेरी ३–४ बहनें इधर और उधर बैठी हैं । तो यदि यह हमारी बहनें फैशन को छोड़ दें ।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

बहनें तो छोड़ दें लेकिन यह भाई साहब जब छोड़ने दें ।

श्री लक्खी सिंह—

यह लोग ओठों और पैरों में पता नहीं क्या लाल-लाल लगाती हैं । पहनावा भी पता नहीं कैसा पहनती हैं जो कि सीता और सावित्री की तरह नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष––

फैशन का बजट में तो जिक्र है नहीं, जो आप बोल रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)––

मान्यवर, बजट का फैशन है ।

श्री लक्खी सिंह––

मान्यवर, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके लिये कह रहा हूं । मैं तो गांधी जी की बात कह रहा हूं, अपनी बात नहीं । तो लड़कों की एक तरफ की बात नहीं है, वह भी दायरे के बाहर चले जाते हैं । लेकिन बहनों से कहना पड़ेगा कि अगर वह यह चटक-मटक फैशन को छोड़ दें और जो बिजली की तरह चमकती हैं वह बन्द कर दें तो करप्शन आधा न हो जाय तो मुझे आप गोली से मार दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)––

लक्खी सिंह जी कभी-कभी बुजुर्गों की नियत में भी फर्क आ जाता है ।

श्री लक्खी सिंह––

श्रीमन्, अब मैं मथुरा जिले की बात कह दूं कि मथुरा तीन लोक से न्यारी है । मथुरा तीर्थ और ऐतिहासिक स्थान है । मथुरा हमारे उप मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव जी गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष––

मथुरा तीन लोक से न्यारी है, लेकिन आप भी न्यारे हैं ।

श्री लक्खी सिंह––

वित्त मन्त्री जी बजट की किताब को पढ़कर आप घमंड न करें, नहीं तो जो अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह दिवालिया बजट है, तो वही बात होगी । तो उप मुख्य मंत्री जी को पता होगा कि वहां विश्वनाथ घाट पर चरणामृत दिया जाता है । तो कहा जाता है कि कि मथुरा में गधे की भी मृत्यु हो जाय तो वह स्वर्ग चला जाता है । यह बात पुराणों में है । लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि कोई पाप करे और वहां चला जाय तो मुक्त हो जाय । इसलिये पाप तिवारी जी ने किये और वहां चले जायं तो पाप कट जायेंगे तो पाप नहीं कटेंगे । मान्यवर, मथुरा में जमुना के पानी को सुधारने के लिये मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि वह वहां के पानी को सुधारें । लेकिन बजट के समय भी मंत्री जी यहां नहीं बैठते हैं । इसके लिये शायद मुझे मुख्य मंत्री जी से कहना पड़ेगा कि एक भी मन्त्री गैर हाजिर न हो ।

श्री उपाध्यक्ष––

उप मुख्य मन्त्री को मौजूद रहना चाहिये, अगर मन्त्री मौजूद नहीं हो ।

श्री लक्खी सिंह--

मान्यवर, इसको ठीक करायें । मथुरा के यमुना के पानी को शुद्ध किया जाय । वहां लाल पानी मथुरा में आता है ।

अब दूसरी बात कहता हूं । मान्यवर, अंग्रेजों ने मथुरा के पुल में गैलरी बनायी थी । मथुरा में एक पुल है । उसके दोनों तरफ पैदल पथ (गैलरी होती थी) अंग्रेज ने बनाया था । गरीब लोग, सब्जी बेचने वाले, उससे सीधे निकलते थे । वह सेरकार जो ३० साल वाली सरकार है---इसने उस गैलरी को तोड़वा डाला । अंग्रेजों ने रखा और उस सरकार ने तोड़वा डाला । गरीबों को उससे बड़ी परेशानी और नुकशान हुआ । यही नहीं, मान्यवर, उस गैलरी की जगह पर १०० आदमियों की मृत्यु हो चुकी है । तो वित्त मन्त्री जी उसकी ओर ध्यान दें । श्रीमन्, यही नहीं, गोकुल जैसा धाम, जहां बसुदेव जी, जब कृष्ण पैदा हुये थे, तो उनको लेकर यमुना के पार गये थे, उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है । वह कृष्ण के जमाने की यमुना अब भी जनता पार्टी की सरकार के जमाने में भी है । वहां पुल जरूर होना चाहिये ।

आप लोग, जरा शान्ति से सुनें । मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं तो जो वहां बोल रही हू, वह कह रहा हूं । श्रीमन्, अगर नहीं मानेंगे, मन्त्रीगण मेरी बात नहीं मानेंगे, हमारी सरकार मेरी बात नहीं मानेंगी, तो पता चल जायेगा कि क्या हाल होगा । श्रीमन्, वृन्दावन का पुल वहां बनना चाहिये, गोकुल का बनना चाहिये, शेरगढ़ का पुल बनना चाहिये और इन्हें आपको बनाना होगा । क्योंकि ? क्योंकि शेरगढ़ के बारे में कह रहा हूं कि वहां सादाबाद के किसानों को, जो अपना गन्ना लेकर आते हैं, १०० मील का चक्कर पड़ता है । लेकिन मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार के मन्त्रियों के कान बहरे हैं । लेकिन अगर मेरा सुझाव मान लेंगे, तो म कहने लगूंगा कि सरकार के कान खुल रहे हैं । तो शेरगढ़ का पुल जरूर बनना चाहिये जिससे किसान अपने गन्ने को आसानी से ला सकें ।

मान्यवर, अब दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

डा० लोहिया जी कहा करते थे औंधा टैक्स और सीधा टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं । उल्टा टैक्स और सीधा टैक्स ।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक सदस्य---

लाल बत्ती हो गयी है ।

श्री लक्खी सिंह---

मान्यवर, अभी लाल बत्ती न जलायें । वैसे लाल बत्ती से मुझे घबड़ाहट नहीं होती क्योंकि हमारा तो झन्डा ही लाल था और टोपी लाल है । हम उससे नहीं घबड़ाते ।

श्रीमन्, इस सरकार ने सीधे टैक्स लगाये हैं लेकिन एक टैक्स औंधा लगाया है जोकि औंधी खोपड़ी वाली सरकार लगाया करती है । उसको बताना चाहता हूं । अगर हमारे उप मुख्य मन्त्री जी में ताकत हो तो उसको छोड़वा दें और वह टैक्स है किसानों को ट्रैक्टर की ट्राली पर टैक्स । इसको कृपया नोट कर लें । लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनकी कलम नहीं चल रही है । नोट

नहीं हो रहा है । श्रीमन्, अगर किसान की ट्राली और ट्रेक्टर पर टैक्स लगेगा तो अहिंसात्मक तरीके से गांधी जी की अहिंसा की तलवार को लेकर खड़ा कर दिया जाएगा । किसान की ट्राली और ट्रैक्टर पर से टैक्स हटाओ । इससे काम नहीं चलेगा । किसान खून पसीना बहाकर उत्पादन बढ़ाता है लेकिन उसको उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता । मालिन जो होती है, वह अपनी मूली का भाव करती है, पान वाला अपने पान का भाव करता है, सिगरेट वाला अपने सिगरेट का भाव करता है, लेकिन इस अभागे किसान के माल का भाव दिल्ली सरकार करती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करिये । और लोग भी बोलेंगे ।

श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन् आपका बस चले, आप भी किसान के बेटे हैं, करीब-करीब यह सब किसान के बेटे हैं, तो किसान पर उल्टे कर मत लगाओ और उसके माल को मण्डी में लागत और खर्च से ड्योढ़े दाम कम से कम उसको मिलें, तब तो न्याय है नहीं तो अन्याय है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का तो समर्थन करता हूं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातों की ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह विवाद अगले दिन जारी रहेगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ की सूचनायें लेता हूं । आज नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गोकरन प्रसाद व श्री श्रीनारायण की है, इसमें श्री कृष्णवीर सिंह की भी सूचना इसी तरह की थी, इसको मैंने स्वीकार किया है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से सम्बन्धित है । प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों द्वारा सामूहिक हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । इसके विषय में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ९ तारीख को अपना वक्तव्य दे देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

फार्मेसिस्टों के सिलसिले में आज से ३ दिन पूर्व शून्य प्रहर में एक सूचना पढ़ी गई थी, आपने माननीय मन्त्री जी को निर्देश भी दिया था कि वे फार्मेसिस्टों की हड़ताल के सिलसिले में वक्तव्य दें । आज तक वह वक्तव्य नहीं हुआ । आज आपने नियम ५१ के अन्तर्गत इसे मान लिया, यह तो अच्छी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो सूचना थी ३०१ की ।

श्री राम आसरे वर्मा--

लेकिन वक्तव्य तो आना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसका जब समय होगा, तो आ जाएगा ।

कानपुर नगर के वाटर वर्क्स के टक में एक लड़के का शव पाये जाने तथा कानपुर निवासियों को दूषित जल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)---

मान्यवर, दिनांक २-५-७९ को अपरान्ह में लगभग ३ बजे वेनाझावर वाटर वर्क्स पर तैनात २ होमगार्ड्स ने श्री वी० पी० पान्डेय, नगर अभियन्ता (जल) को यह सूचना दी कि वेनाझावर वाटर वर्क्स के कच्चे पानी के सैटलिंग टैंक १ में एक शव तैर रहा है । सर्वश्री पान्डेय, नगर अभियन्ता (जल) दिवाकर अवस्थी, सहायक अभियन्ता, सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंच गये तथा उक्त जलाशय का पानी निकलवा दिया । यद्यपि ऐसा करना जल शोधन की दृष्टि से आवश्यक नहीं था, फिर भी जनता के भावनात्मक संतोष के लिए यह किया गया । जो भी जल नगर में वितरित किया गया वह पूर्णतया शुद्ध रहा और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं था ।

श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री शेर मोहम्मद, सहायक फिटर, जल विभाग द्वारा थाना स्वरूप नगर, कानपुर में दिनांक २-५-१९७९ को दर्ज करायी गई रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक १-५-७९ को उनका लड़का (शमशेर खां) लगभग १४ वर्ष की उमर का अपरान्ह ढ़ाई बजे से गायब हो गया था जिसकी गायब होने की सूचना दिनांक २-५-७९ को प्रायः ७ बजे थाना स्वरूप नगर में दर्ज करायी गई थी । लड़के की खोज भी जारी थी । श्री दीन मोहम्मद के भाई ने श्री दीन मोहम्मद को जल विभाग के तालाब में लड़के के शव के पाये जाने की सूचना दी जिस पर श्री दीन मोहम्मद ने जाकर शव की पहचान की । उक्त रिपोर्ट में श्री दीन मोहम्मद ने किसी पर शक सुबहा जाहिर नहीं किया ।

इस शव का पोस्टमार्टम दिनांक ३-५-७९ को किया गया जिससे पता चला कि लड़के की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई है । यह मुकदमा दफा ३०२/२०१ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत दर्ज किया जा चुका है तथा तफतीश जारी है । किन परिस्थितियों में तथा किस स्थान पर श्री दीन मोहम्मद के लड़के की हत्या की गयी तथा किसके द्वारा उसका शव तालाब में फेंका गया इन सभी तथ्यों पर प्रकाश पुलिस की तफतीश समाप्त होने पर ही पड़ सकता है ।

श्री दीन मोहम्मद, सहायक फिटर हड़ताल पर नहीं थे । हड़ताली कर्मचारियों द्वारा ऐसे कर्मचारियों को डराने और धमकाने की सूचनायें प्राप्त हुई थीं ।

जहां तक कानपुर नगर वासियों को पेयजल व्यवस्था का प्रश्न है, नगर को पीने का पानी दो स्रोतों से मिलता है । गंगा नहर से लगभग १५० लाख गैलन पानी प्रतिदिन लिया जा रहा है । जोकि वर्तमान में मोतीझील सेडीमेन्टेशन टैंक से फिटकरी मिलाने के बाद सीधा फिल्टरों में ले लिया जाता है । गंगा नदी से वर्तमान में लगभग ३७० लाख गैलन जल प्रतिदिन प्राप्त होता है । इसमें से लगभग ५० लाख गैलन जल प्रतिदिन प्रश्नगत सैटलिंग टैंक में आता है जो कि गंगा नदी से प्राप्त जल का लगभग १/७ भाग होता है ।

कानपुर नगर के वाटर वर्क्स के टैंक में एक लड़के का शव पाये जाने तथा ५८९ कानपुर निवासियों को दूषित जल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गंगा से प्राप्त कच्चे जल का (प्रि-क्लोरिनेट) क्लोरीन मिलाकर प्री-ट्रीटमेन्ट भी किया जाता है ।

जल विभाग, कानपुर द्वारा कच्चे पानी को शोधक के पश्चात् ही अलग से बने हुए चार भूमिगत जलाशयों मे, जो पूर्णतया बन्द रखे जाते हैं, एकत्रित किया जाता है और उसके पश्चात् पीने के लिए जनता को उपलब्ध कराया जाता है । ऐसा करने से दूषित पेयजल के कारण फैलने वाली बीमारियों का खतरा नहीं रहता है । यह उल्लेखनीय है कि लड़के का शव इन जलाशयों में से किसी भी जलाशय में नहीं पाया गया बल्कि उन कच्चे पानी के चार जलाशयों में से एक में पाया गया जिसका पानी निकाल दिया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । अतः ऐसी दशा में दूषित तथा दुर्गन्धपूर्ण पानी के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक सुरक्षा की व्यवस्था का प्रश्न है, वेनाझावर जल-कल परिसर, कानपुर निषिद्ध क्षेत्र है जहां कर्मचारियों के अतिरिक्त साधारण व्यक्ति की पहुंच सामान्यतया वर्जित है । इस परिसर में चौबीस घन्टे सुरक्षा की व्यवस्था रखी जाती है । वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत १९ व्यक्ति नियुक्त है जो तीन पालियों में परिसर की देख-रेख करते हैं । विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त, सशस्त्र पुलिस का एक दस्ता (१+३) भी इस परिसर में जलकल विभाग की सुरक्षा के लिए नियुक्त है । जिस टैंक में लड़के का शव मिला है उसके पश्चिम में लगभग ३५ मीटर की दूरी पर कंटीले तार की फेन्सिंग है और जिससे लगा हुआ पश्चिम में महापालिका मुख्यालय का अहाता है ।

इसके बाद इस के साथ एक और सूचना दो लाइन की मैं बता देना चाहता हूं जो मेडिकल मैनुअल पर आधारित है ।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मैन्यूअल आफ वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट (द्वितीय संस्करण) जोकि भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई है, के सातवें परिच्छेद (डिसइनफेक्शन) के अन्तर्गत उक्त मैन्यूअल के पृष्ठ ११० पैरा ७ (४) ५--क्लोरीन रेजोड्युअल के अन्तर्गत यह स्पष्ट दिया गया है कि ०·३ से ०·४ पी० पी० एम० (Parts per Million Parts) क्लोरीन जीवाणु (बैक्टीरिया) हनन (डिसइनफेक्शन) हेतु पर्याप्त है । इसी पैराग्राफ में आगे यह व्यक्त किया गया है कि प्रचलन में ०·५ पी० पी० एम० प्री-रेजोड्युअल क्लोरीन वायरस को निष्क्रिय (इन-एक्टीवेट) कर देती है तथा जल को पीने योग्य बनाने हेतु पर्याप्त है ।

कानपुर जल संस्थान में स्वच्छ जलाशय से नगर को भेजे जाने वाले जल में औसत प्री-रेजोड्युअल क्लोरीन ०·८ से १·० पी० पी० एम० तक रखी जाती है तथा चौबीसों घंटे एक-एक घंटे के अन्तराल में रेजोड्युअल क्लोरीन की जांच की जाती है ? प्रश्नगत तिथि को भी वही व्यवस्था रही ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मंत्री जी वह पढ़ रहे थे जिसका अर्थ वह स्वयं नहीं जानते ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)

मेडिकल मैनुअल का जो भाग बाद में पढ़ा गया अच्छा होता उसे भी चार्ज में जोड़ दिया गया होता। वक्तव्य में कहा गया है कि जिस जलाशय में शव मिला वह निषिद्ध क्षेत्र है, उसको गला घोंटकर हत्या की गयी है। १९ कर्मचारी उस क्षेत्र की चौकीदारी करने के लिये नियुक्त हैं जो तीन पालियों में की जाती है और एक सशस्त्र दस्ता पुलिस का भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी वहां पर तैनात थे उनके खिलाफ इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? दूसरे जब इतना बड़ा शव वहां ले जा कर टैंक में डाल दिया गया तो क्या यह आशंका नहीं हो सकती कोई उसमें जहर घोल दे ? क्या इसके लिये कोई व्यवस्था की गयी है कि दूसरी दुर्घटना भविष्य में न हो सके ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मैं स्वयं उस जलाशय को देखने गया क्योंकि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कोई बड़ी खतरनाक घटना भी हो सकती है। जो बाउन्डरी है नगर महापालिका की जिसमें तार लगा हुआ है उस सम्बन्ध में भी छानबीन हो रही है गार्ड की नेगलिजेंस से किसी ने उस तरफ से तो लाश किनारे पर ला कर नहीं डाल दी है ? एक चीज वहां देखी जो खतरनाक थी जो मिट्टी निकाली गयी है टैंक से उसको वहां से नहीं उठा सके हैं, वह किनारे पर ही पड़ी है, दूर तक वहां मिट्टी का कुछ टीला था। इस विषय में निश्चित आदेश मैंने पुलिस अधिकारी को दिये कि इसको वह देखें। वह बाहर और अन्दर दोनों तरफ से कोशिश करें। पुलिस इस चीज की छानबीन कर रही है जो माननीय सदस्य ने पूछा आखिर यहकत्ल कैसे हुआ, वहां यह लाश कैसे गयी ? दूसरे यह कि जो अधिकारी सम्बन्धित हैं और उस दिन ड्यूटी पर थे वो दिन केन्द्र पर जो लोग ड्यूटी पर थे, उनसे छानबीन हो रही है। मैंने यह भी आदेश दिए हैं कि जो सड़क का रास्ता है, नगर महापालिका की तरफ जिधर से तार लगाने की बात है, जहां से लांघने की सम्भावना है, वहां पर हमेशा लोगों को तैनात किया जाय।

दूसरे प्रशासन से मैंने यह भी कहा है कि सम्भव हो तो पुलिस फोर्स बढ़ा दें और बाहर की तरफ पुलिस ज्यादा तैनात की जाय। यह आदेश भी मैं भेज रहा हूं कि मोबाइल पुलिस तैनात की जाय। यह एक विषम परिस्थिति अवश्य है। या तो वहां की दिवार को ऊंचा करना पड़ेगा। इसकी जांच की जाएगी कि तीन चार फीट और ऊंची दीवार को करा दिया जाय तो उसका क्या असर होगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि वह बड़ा अच्छा पार्क है और उस पर दीवाल उठाने से पार्क को कोई खतरा तो नहीं होगा, इसकी छानबीन कराई जा रही है। फिर भी अगर जेलों की तरह ३/४ फिट उस दीवाल को उठायें और उससे कुछ फायदा हो, तो वह हम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग के बारे में जो कि माननीय बाबूराम जी ने पूछा है कि जो व्यक्ति उस समय वहां पर तैनात थे, जिनकी कि इसमें असावधानी हो सकती है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है, इसके बारे में आप बता दें।

श्री रामाधार पांडेय--

वहां पर जो रक्षादल हमारा था और जो पुलिस के लोग थे, जिनकी ८ घन्टे की ड्यूटी लगी हुई थी, एक-दो दिन पहले से जो वहां पर तैनात थे, जिनके परवयू में यह हुआ है, उनसे विवेचना हो रही है कि उनसे भी कोई सूचना मिल सकती है । अभी विवेचना का परिणाम हमको नहीं मिला है ....।

श्री बाबूराम शुक्ल--

तफसीश का मामला तो नम्बर दो पर है । मेरा प्रश्न यह है कि जो जलकल विभाग के अभियन्ता वहां पर ड्यूटी पर थे, जो पुलिस के लोग वहां पर थे, जिन्होंने नेग्लीजन्स की है और जिनकी असावधानी से यह शव वहां पर पहुंचा है, उनके खिलाफ मन्त्री जी ने कोई कार्यवाही करना महसूस किया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, यह जो उत्तर आप दे रहे हैं, उसे और साफ कर दीजिए कि वहां पर उस वक्त जो लोग तैनात थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामाधार पांडेय--

विवेचना के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री बाबूराम शुक्ल--

मान्यवर, आपके निर्देश के बावजूद भी मन्त्री जी उत्तर को एवाइड कर रहे हैं । वे स्वयं वहां गए थे और स्थिति देखकर आये हैं । हमें विश्वास था कि मन्त्री जी घटना स्थल पर जाकर तुरन्त कार्यवाही का आदेश देंगे और तुरन्त कार्यवाही होगी, परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मन्त्री जी को निर्देश दें कि जिन लोगों ने असावधानी बरती है, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ताकि दुबारा ऐसी घटना न घटे । साथ ही जो लोग दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जाइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हड़ताल चल रही थी--तो क्या आपने वाटर एनालिसिस की रिपोर्ट मंगाई है ? दूसरा बात यह है कि पूरे कानपुर में उस वक्त पानी गन्दा रहा था, उस समय आपने अपने पम्प से पानी पीने की कोशिश की ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, पानी की दो स्टेजेज होती हैं । एक तो स्टोरेज होता है । एक टंकी जो खुली होती है, उससे दूसरी टंकी में पानी शोध कर के फाइनली दूसरी टंकी में पानी जाता है । जब पानी पास होता है तो हर घन्टे में उसका सैम्पुल टेस्ट होता है और क्लोरीन के थ्रू उसकी जांच होती है । इस प्रकार वह २४सों घन्टे पानी टेस्ट होता रहता है । जब यह देखा गया कि कोई खतरे की बात नहीं है और कोई ऐसा एलीमेन्ट नहीं है । जिससे कोई ऐसी बात हो, क्योंकि १२ घन्टे बाद लाश को निकाल लिया गया था । दूसरी चीज मान्यवर, उस पानी की जांच हर घन्टे-घन्टे में होती रहती है, क्योंकि अगर सप्लाई बन्द हो जाय तो भी उसकी जांच चलती रहती है, इस घटना के बाद स्पेशल जांच कराई गई ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है, वह परिसर निषिद्ध क्षेत्र है, उसमें सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध रहता है और बाहर का आदमी नहीं जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में लाश का जलाशय में लाया जाना स्पष्ट है कि वहां पर तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि उसकी इनक्वायरी चल रही है।

श्री मित्र सेन---

इनक्वायरी किस बात की है बिना उन लोगों की शाजिस के लाश कैसे आ गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

अपराधी कौन है बिना इनक्वायरी के कैसे मालूम होगा ?

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरीगढ़वाल)---

मान्यवर, इसमें हमें प्रश्न करने दें । मन्त्री जी ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि पोस्टमोर्टम के अनुसार उस बच्चे को गला घोट कर मारा गया । इसका मतलब हुआ कि लाश बाहर से म्युनिसिपैलिटी की तरफ से या कहीं से फैंकी गई । चाहे कहीं से फेंकी गई हो, वहां पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है, इसके बावजूद भी वहां लाश पहुंच गई । अगर वह दीवाल से फैंकी गई तो उसको छप-छप की आवाज आई होगी, ड्यूटी वालों ने वह सुना होगा । दूसरा पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में यह भी होगा कि किस टाइम डैथ हुई । तो डैथ के समय से लेकर लाश के मिलने तक वहां पर जो लोग ड्यूटी में थे, वह जिम्मेदार होंगे, उनकी नैगलिजेन्स से यह हुआ । मन्त्री जी को क्या कठिनाई हो रही है ? जब प्राईमाफेसाई नैगलिजेन्स मालूम हो गई, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्या कठिनाई हो रही है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, इसके दो पहलू हैं एक तो विभागीय पहलू, जैसा मैंने कहा, उसमें एक विषम परिस्थिति यह है कि उस समय हड़ताल थी, इसलिये उसके लिये भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभागीय तौर पर जांच करा रहे हैं कि कौन-कौन लोग उस बीच में ड्यूटी में आये और गये । इन सब बातों को कार्यवाही करने से पहले जानना पड़ेगा हमारे उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं । दूसरी चीज यह कि हड़ताल चल रही थी, इस लड़के का पिता हड़ताल पर नहीं था और यह लायल वरकर है एक सम्भावना यह भी हो सकती है कि इसी कारण से मरडर हुआ हो और बाहर हुआ हो तब लाश को अन्दर लाया गया, दूसरा यह भी हो सकता है कि अन्दर मरडर हुआ और वहां डाल दिया गया, इसकी भी छानबीन हो रही है । लड़के के पिता का कहना है मुझे किसी पर सुबहा नहीं है, मैंने खुद पूछा था कि किसी पर सुबहा हो तो उस पर कार्यवाही हो । उसने मना कर दिया । इसमें पुलिस को पहले से ही वर्कआऊट करने के लिये कहा है । इसमें कोई शक नहीं कि शासन इसमें कोई ढीलापन नहीं देखना चाहता है । अगर दो-तीन दिन में रिपोर्ट नहीं आती है तो मैंने निर्णय लिया है कि अगर जिला प्रशासन कहता है कि हम वर्क-आऊट नहीं कर सकते हैं तो सी० आई० डी० से जांच करायेंगे (व्यवधान) अगर आप कहें तो मैं आज ही सी० आई० डी० को आर्डर कर दूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमौर्टम रिपोर्ट है, उसमें टाईम आफ डैथ रिकार्ड होगा और जिस वक्त लाश पाई गई, उस वक्त तक जो लोग ड्यूटी में थे, उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की ? इनक्वायरी के बाद जो निर्दोष साबित होते, उनके खिलाफ कार्यवाही विथड्रा हो जाती और जो दोषी पाये जाते, उनके खिलाफ कार्यवाही आगे चलती । यह न कह कर मन्त्री जी पुलिस विभाग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं । इसलिए स्वायत्त शासन से सम्बन्धित जो प्रश्न है, उसका ही आप जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । सीधे प्रश्न पूछते ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी पुलिस वाले मामले में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन जो उनके विभाग का मामला है, उसे नजरन्दाज कर रहे हैं । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार टाईम आफ डेथ क्या है और जब लाश पाई गई, उस समय के बीच जो कर्मचारी रहे हैं, उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई ।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री ए० सी० प्राइस—

यह प्राईमाफेशी केस तो है । हमें फिक्र नहीं है कि एक मरा या दस, यह तो कानपुर में हुआ ही करता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वाटर अनालेसेस हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है, उसे वह सदन में रख दें ? हमें फिक्र इसकी है कि कहीं कानपुर में उसके कारण हैजा न फैल जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

पानी की जांच की बात तो मन्त्री जी ने कही कि वह तो हर घंटे होती है और जांच के बाद जो पीने का पानी दिया गया, वह दूषित नहीं है ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)---

इस मृतक का प्राबिल टाईम आफ डेथ क्या है ? क्या यह सही नहीं है कि श्री बी० बी० पाण्डेय, नगर अभियन्ता जल के खिलाफ इनकी अकर्मण्यता को लेकर पिछले कई वर्षों से जनता की शिकायतें रही हैं कि इनका वहां कोई कन्ट्रोल नहीं है, जिससे जल निगम के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं ? क्या उनकी इस अकर्मण्यता को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन्त्री जी आश्वासन देंगे और यह कार्यवाही कब तक करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या किसी माध्यम से यह शिकायत आई कि इनका इस मामले में दोष है ?

श्री मोतीराम---

मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानें । मैं खुद एक शिकायतकर्त्ता व्यक्ति हूं । मैंने कई महीने पहले, भूतपूर्व मन्त्री को लिखा है कि यह पान्डेय जी बिलकुल अकर्मण्य हैं, इनके कारण जल निगम बड़ी बुरी हालत में है और यहां तक लिखा है कि भले ही उसका आप प्रमोशन कर दें, लेकिन उसे कानपुर से हटा दें । मैंने एक नहीं ३-३ पत्र लिखकर भेजे हैं, जिसको मैं शपथपूर्वक कह सकता हूं । तो उस व्यक्ति के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस मामले से यदि कोई शिकायत है तो उनको उसका पता होगा । आज जिसका बयान अभी माननीय सदस्य ने दिया है, इस सम्बन्ध में अधिकारी के खिलाफ क्या कोई शिकायत आपको प्राप्त हुई है ?

श्री रामाधार पाण्डेय---

इस मामले में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है । दूसरे मामले में, एक मेरी परेशानी की परिस्थिति है, कुछ शिकायत भी आई है, कुछ प्रशंसा भी आई है । कानपुर की विडम्बना है । यह सोचने में थोड़ा समय लगेगा ।

श्री मित्र सेन---

माननीय मन्त्री ने बताया कि तीन बजे पुलिस वालों को सूचना दी गयी, दो होमगार्ड के जरिये कि एक लाश तैर रही है । इस बीच में, पहली तारीख की सूचना है, जिस समय बच्चा गायब हुआ या उसकी मौत हुई, उस समय से लेकर जब लाश प्राप्त होती है, माननीय मन्त्री बतायेंगे कि किस होमगार्ड की ड्यूटी थी, उनके नाम क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आपके पास सूची हो, तो बता दें ।

श्री रामाधार पाण्डेय--

माननीय, सूची नहीं है मेरे पास, जैसा मैंने पहले भी कह दिया। इसी लिए मैंने विभागीय जांच शुरू करवाई है कि इस बात की छानबीन की जाय कि कौन अधिकारी था इंचार्ज, इसके दो पार्ट्स हैं, एक वाटर वर्कस में मशीनरी पर काम करते हैं। टैक्स पर यह काम करते नहीं। गार्ड्स रहते हैं। पानी आटोमेटिक दिया जाता है, जब तक कोई स्टाप काक को रोकने के लिए जलकल के कर्मचारी न आएं। ऐसे कितने कर्मचारी थे, ऐसे कौन कर्मचारी थे, जिन्होंने दो दिनों में काम किया है, उसकी जांच और उन कर्मचारियों ने क्या काम किया उसकी जांच होगी। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, जिसकी भी इसमें कमी होंगी--मगर किसी निर्दोष आदमी को बिना प्राइमाफेशी एविडेन्स आये हुये एक विषम परिस्थिति में, अगर निलम्बित कर दिया जाय तो कल आप कहने लगेंगे कि यह गलत हो गया, इसलिए इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि कार्यवाही होगी। छानबीन हो रही है। छानबीन के बाद तत्काल अविलम्ब और कठोर से कठोर कार्यवाही होगी।

श्री मोतीराम--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने पूछा था कि मृतक के मरने का सम्भावित समय क्या था ताकि सदन जान सके कि कितने समय से लाश पड़ी हुई थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा।

श्री रामाधार पाण्डेय--

वह लाश रिकवर हुई है, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार, २४ घंटे के अन्दर पानी से लाश निकाली गयी है, मौत के २४ घंटे के अन्दर।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

चूंकि एक बहुत गम्भीर मामला है, माननीय मन्त्री विभागीय जांच भी करवा रहे हैं। निष्पक्ष जांच कराने के लिये, जांच को कोई प्रभावित न कर सके, वहां पर सामूहिक तबादला करने का आश्वासन देंगे ताकि जांच निष्पक्ष हो सके ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

माननीय, अगर यह सदन मुझे इजाजत दे और माननीय सदस्य जो कानपुर से आते हैं, वह इजाजत दे दें, तो तमाम परिस्थितियों को समझते हुए तमाम अधिकारियों को हटा देना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन--

हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनके देखने की बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, इस आदरणीय सदन में जो प्रश्न उठा और शासन की ओर से जो उत्तर मिलता है, उससे कानपुर की जनता का यह संशय दूर नहीं होता है कि वहां पानी विषाक्त था या नहीं, ह्यूमन कंजम्शन के लिए उपयुक्त है या नहीं। माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया कि २४ घंटे तक शव पानी में तैरता रहा। इस बीच इस जलाशय से पानी जाता रहा। क्लोरीन से सभी विक्टीरिया नहीं मरते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं। हर घंटे के बाद परीक्षण होता है। तो जो परीक्षण हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपके पास होगी, तो क्या आप उस परीक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? माननीय मन्त्री जी स्वतः कानपुर गए हैं तो उन्होंने उस पानी का सैम्पिल लिया और उसका परीक्षण किसी दूसरी एजेन्सी से कराया ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

कानपुर की जनता में तब तक असंतोष बना रहेगा जब तक उस रिपोर्ट को माननीय मन्त्री जी सदन में पढ़कर नहीं बतायेंगे। यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है।

श्री रामाधार पाण्डेय--

मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो पीने वाला पानी होता है, वह बन्द टैंक में होता है। तो यह लाश जो पाई गई, वह फस्ट स्टेज के टैंक में पायी गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह दूषित पानी जनता के प्रयोग में आया या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मन्त्री जी, यह अवश्य बताने की कृपा करें कि वह परीक्षण रिपोर्ट क्या है और उस पानी की परीक्षा दूसरी एजेन्सी से करायी या नहीं करायी ? अगर नहीं करायी, तो क्यों नहीं करायी ?

श्री रामाधार पाण्डेय---

यह बहुत सूक्ष्म मामला है। .३ से .४ क्लोरीन छोड़ने से जर्म मर जाते हैं और हम .८ से १ तक क्लोरीन छोड़ते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्जामिनेशन करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ? उसको माननीय मन्त्री जी बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मन्त्री जी ने जानकारी दी कि इतनी मात्रा में क्लोरीन पड़ी थी, तो उसका भी उनके पास क्या प्रमाण है कि उस मात्रा में पड़ी थी या नहीं ? इस कारण उत्तर भारत में संशय का वातावरण फैला हुआ है। माननीय मन्त्री जी

कानपुर नगर के वाटर वर्क्स के टैंक में एक लड़के का शव पाये जाने तथा कानपुर निवासियों को दूषित जल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

के पास अगर पूरी जानकारी न हो तो वह कर लें आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब परीक्षण रिपोर्ट आ जाये तब मन्त्री जी इसका उत्तर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी पानी की रिपोर्ट क्या आपके पास है ?

श्री रामाधार पांडेय—

अभी मैंने बताया कि पानी की जांच हर घंटे पर होती है और उसमें कोई दोष नहीं पाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

पानी के जांच की रिपोर्ट आपके पास है ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, जो टेस्ट होता है वह हर घंटे होता है और रिपोर्ट में या तो पाजिटिव होता है या निगेटिव लिखा होता है ।

(व्यवधान)

जितनी रिपोर्ट आई हैं सबमें निगेटिव आया है । यानी उसमें आदमी के लिए कोई चीज हानिकारक नहीं पाई गई ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले भाग की ही इजाजत दी थी ।

श्री रामाधार पांडेय—

इसके अलावा कानपुर से कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि इस पानी के कारण कोई वारदात हुई हो ।

श्री बाबूराम शुक्ल—

३० तारीख को एक पत्रकार सम्मेलन में दो बोतल पानी की दिखलाई गयीं जिसमें एक में जोंक और दूसरे में कीड़े थ । उसकी फोटो भी अखबार म छपी । उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी नहीं भेजा अखबार में । उसके कारण कानपुर नगर में पीलिया और महामारी फैल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब पत्रकारों की मीटिंग की जानकारी मंत्री जी को कैसे हो सकती है । आप कृपया बैठें ।

श्री मोतीराम—

२ तारीख को जो जल पीने के लिए आयेगा वह जलाशय से १–२ दिन पूर्व का होगा । पानी में जो लाश निकली वह पानी तो २–३ दिन बाद गया होगा और उसका असर २–३ दिन बाद होगा। जांच ३० तारीख से ४ तारीख तक की होगी । मंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता की जानकारी के लिए ३० तारीख की जो रिपोर्ट हो

[श्री मोती राम---]

उसे तथा बाद को ४ और ५ तारीख की जो रिपोर्ट हों उन्हें सदन के सामने रख दें ताकि भ्रम दूर हो सके ।

श्री रामाधार पांडेय---

मान्यवर, आपका जो आदेश होगा उसका पालन किया जायेगा, पानी जो टैंक में था, लाश मिलने के बाद वह सप्लाई नहीं होने दिया गया, उसे रोक दिया गया । उसे टेस्ट इसलिए कराया गया कि कहीं बीच का पाइप फट गया हो । मगर हमें कोई एतराज नहीं है, हम रोज-रोज की रिपोर्ट, जो भी माननीय सदस्य कहेंगे, मैं उनके पास भिजवा दूंगा, वे उसे देख लें ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह कहा है कि सारी घटनाओं की जांच वह करा रहे हैं मौत का भी और वह लाश कैसे वहां पर पड़ी और इस बीच में किसकी ड्यूटी रही ? वह जो जांच करा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच कौन अधिकारी कर रहा है ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि वहां हड़ताल रही है और जिसके लड़के की मृत्यु हुई है वह हड़ताल में भी नहीं रहा है । तो क्या मृत्यु का कारण हड़ताल भी हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इन्होंने दो बातें इसमें रखी हैं । एक तो पुलिस के द्वारा जो घटना हुई है उसकी पुलिस के द्वारा जांच करा रहें हैं । और दूसरा यह कि जो मसला है विभागीय अधिकारी कौन जांच कर रहा है ?

श्री रामअधार पाण्डेय---

विभागीय अधिकारी में मैंने निदेशक से यह कहा था कि आप जांच कीजिए । आज मैंने कहा कि जल निगम से एक कम्पीटेन्ट एथारिटी जो इक्सपर्ट होते हैं, वाटर क्वालिटी के ऊपर वह दोनों आदमी जांच करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह लखनऊ हेडक्वार्टर से जाकर जांच करें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, जिस संदर्भ में यह काण्ड हुआ है यानी वहां आंदोलन चल रहा था, हड़ताल चल रही थी । यह मांग के साथ नारा उठा था कि पानी की व्यवस्था भंग की जाय । तो कहीं ऐसा तो नहीं है, यह जो चल रही थी हड़ताल, उस हड़ताल को प्रभावित करने के लिए कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जो इस प्रकार के आन्दोलन में आगे बढ़ रहा था, राजनीति के प्रेरणा के कारण उसने यह दुष्कृत्य किया हो ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मैं वही पूंछ रहा हूं। यह प्रश्न का दूसरा पहलू है। तो वे राजनीति से प्रेरित व्यक्ति या वे कोई दुष्प्रकृति के व्यक्ति, जिससे कि आन्दोलन भी बढ़ता रहा और जल वितरण भी कानपुर नगर में बंद हो जाय ताकि जनता पार्टी भी बदनाम हो जायें और चुनाव में भी दुष्परिणाम पड़े। तो क्या माननीय मंत्री जी विजीलेंस, सी० आई० डी० से जांच करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह तो जवाब दे चुके हैं कि माननीय सदस्य चाहेंगे तो सी० आई० डी० से जांच करवा देंगे।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

माननीय, मैं न पुलिस से और न वहां के अधिकारियों से जांच करवाना चाहता हूं। अगर यह आज जैसी घटना हुई, तो दूसरी घटना भी हो सकती है। इसकी जांच विधिवत होनी चाहिए। इसका उत्तर दें।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

उपाध्यक्ष जी, मुझे उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सुझाव दिया, उससे ऊपर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। यह तो विचार करने की बाते है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

क्या विजीलेंस के द्वारा या सी० आई० डी० के द्वारा जांच करवायेंगे ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, इस प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि किसी बात का जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। किस समय उसकी मृत्यु और किस समय शव पाई गई, जांच की रिपोर्ट तक नहीं आ पाई है, क्योंकि पानी बहा दिया गया। इसलिए माननीय सदस्यों को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। मेरा निवेदन आप से यह है कि वह पूरी जानकारी करके आयें ताकि वह जो संशय है उसका समाधान हो सके। अतः इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय, इस प्रश्न की गम्भीरता के सम्बन्ध में दो राय नहीं है। माननीय मंत्री जी सदन में स्वयं भी स्वीकार कर चुके हैं कि तमाम स्टाफ का सामूहिक तबादला होना चाहिए केवल एक शर्त कही कि माननीय सदन आज्ञा दे तो मैं जानना चाहता हूं कि अपने इस विचार को कार्यान्वित करने में उन्हें कौन सी कठिनाई है ?

रामाधार पाण्डेय---

मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि २ तरह से जांच की जायगी और जो भी दोषी होगा. . . .।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं है मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कानपुर के स्टाफ का सामूहिक स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए।

श्री रामाधार पाण्डेय---

मैं उचित कार्यवाही कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यहां आशंका व्यक्त की कि पानी अब भी दूषित है, तो कृपया आप इसको दिखवा लें सावधानी से । अगर दूषित पानी है अब भी तो इसकी जांच कर सदन को सूचित कर दें ।

नियम ५१ के अन्तर्गत केवल १५-२० मिनट समय देना चाहिए और अब मैं इसको स्थागित नहीं करता अब मैं इसको समाप्त करता हूं ।

सदन के परिसर में नारे बाजी की घटना के सम्बन्ध में सूचना।

श्री उपाध्यक्ष---

आज दिनांक ७ मई, १९७९ को लगभग ४.४० पर ७-८ नवयुवक एक-एक, दो-दो करके कैबिनेट रूम के निकट खड़े हो गए और कैबिनेट रूम से सामने आइरन गेट के पास पूरे कारीडोर में इंदिरा गांधी जिन्दाबाद, देश की नेता इंदिरा गांधी के नारे लगाए। विधान सभा के रक्षकों ने तुरन्त उन्हें मुख्य मंत्री की ओर के परिसर से बाहर कर दिया और मुख्य मंत्री कार्यालय के निकट और जोर से नारे लगाए लेकिन वहां पर सिविल पुलिस के सिपाहियों तथा अंग रक्षकों ने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण में करके उन्हें बाहर कर दिया गया । रिपोर्ट सदन की सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

आपके नियंत्रण में परिसर है । यह अपराध है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
७ मई, १९७९

†छापी नहीं गई ।

नत्थी 'क']

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

हकाई	मद		खोये हुए/हानि	क्षति/नष्ट
			रु०	रु०
१—ट्रैक्टर	(१) फार्म वर्कशाप	क्रेन्क शाफ्ट तथा अन्य पुर्जे	३६,२९८.४५	
	(२) एल०आर० सी०	(१) औजार (वाहन/ट्रैक्टर)	७,८००.२०	१४,०००.००
		(२) थेशर	३,११६.००	
	(३) कैम्पस कल्टीवेशन	मोटर	..	८,०००.००
		योग ..	४७,२१४.६५	२२,०००.००
२—ईंधन	(१) फार्म	पी०ओ०एल०	१,९०९.००	..
	(२) सी०आर०सी०	डीजल तथा पेट्रोल	४,७९४.९०	
	(३) एल०आर०सी०	तदेव	४१.१०	..
	(४) ट्रान्सपोर्ट पूल	तदेव	२,५३९.६०	
		योग ..	९,२८४.६०	..

अतारांकित प्रश्न

इकाई	पद		खोये हुये/हानि	क्षति/नष्ट
			रु०	रु०
३—वाहन	(१) फार्म	जीप	..	२,०५०.००
	(२) कैम्पस कल्टीवेशन	मोटर-साईकिल	..	२,०००.००
	(३) टी०डी०सी०	जीप	..	१,१२८.७५
	(४) ट्रान्सपोर्ट पुल	वाहन (औजार व पुर्जे)	३,९८२.५०	७६,९५८.९०
	(५) सुरक्षा सेक्शन	मोटर-साइकिल	..	८००.००
			३,९८२.५०	८२,९३७.६५
४—डेरी व कुक्कुट पालन	(१) औजार व अन्य विविध वस्तु		८,३८३.५०	खो गया
	(२) घी (७.९५ कि० ग्रा०)		१७४.९०	तदेव
	(३) चिक्स—१०६		११८.००	तदेव
	(४) ग्रोवर—३०५		३,२०२.५०	तदेव
	(५) एडल्ट्स—१०८		२,१६०.००	तदेव
	(६) औजार आदि		१,७०६.५५	तदेव
	योग ..		१५,९४५.४५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५—बीज भण्डार	(१) पी० सी० पी०	सोयाबीन	३ कुन्टल	६००.००	चोरी गए
	(२) सी० आर० सी०	धान	०.९१ कुन्टल	२७३.००	तदेव
		दलहन	२०० कुन्टल	६,०००.००	तदेव
		रेप सीड	१२ कुन्टल	४,२००.००	तदेव
	(३) कैम्पस कल्टीवेशन यूनिट	गेहूं	१० कुन्टल	२,०९०.००	तदेव
		योग ..		१३,१६३.००	
६—इन्टर नेशनल गेस्ट हाउस व लम्बर्ट स्क्वायर	गेस्ट हाउस की विविध वस्तुएं			४,९९७.७६	२२,४९०.००
७—प्रयोगशालाएं (लेबोरेटरीज)	(१) प्लान्ट पैथालाजी	पुर्जे आदि		९८०.००	
	(२) कम्युनीकेशन सेन्टर	पी०ए० सिस्टम		१,१३०.९३	
	(३) गैस प्लान्ट्स	विविध वस्तुएं		९६६.९२	
	(४) फिजियोलाजी			३०.००	
	सीमेन बायो० सेक्शन			२५०.००	
	जिनेकोलाजी			१८५.००	
	(५) कृषि अभियंत्रण			३,४२०.००	
				६,९६२.८५	
	कुल योग ..			१,०१,५५०.८१	
	पूर्ण योग ..			२,२८,९७८.४६	१,२७,४२७.६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५११ पर)

जिला परिषद्, आजमगढ़ तथा गोरखपुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई सड़कों का विवरण

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी०)
१—आजमगढ़—	
१—कोटिला—मंगरांवा	१०.६२
२—सुलतानीपुर मार्ग	२०.००
३—फूलपुर—माहुल	७.००
४—अहिरौला—अतरौलिया	१६.००
५—बटुआ—गोदाम—काझा	१०.००
६—आजमगढ़—मदुली—निजामाबाद—खादा मार्ग	३.००
७—जगहा—बिन्दवली	२.००
८—चण्डेसर—कम्हरिया	२०.००
९—रानी की सराय—निजामाबाद	१०.००
१०—अहरौला—कप्तानगंज	१९.००
११—खुरहट—रानीपुर—काझा—सरसेना मार्ग	२३.००
१२—मदना पार बाजार गोसाई मार्ग	११.००
१३—रासेपुर—तितरा मार्ग	९.६०
योग ..	१६०.२२
२—गोरखपुर—	
१—सहजनवां—बखिरा मार्ग	६.४०
२—भोही रावत-हरपुरबदहर	५.००
३—पैसियालेलाइन—लक्ष्मीपुर	२.००
योग ..	१३.४०

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर ।)

बहराइच जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा निर्माण कराये गये ग्रामीण गोदामों विषयक सूचना

नाम विकास खण्ड	क्रम-संख्या	नाम समिति जहां ग्रामीण गोदाम स्वीकृत है	स्वीकृति का वर्ष	निर्माण कार्य पर हुआ व्यय
१	२	३	४	५
हरिहरपुर रानी	१	नौबस्ता	१९७६-७७	४३,३२२·५
	२	तिलकपुर	१९७६-७७	४५,८४८·४७
हजूरपुर	३	गौरिया	१९७६-७७	३१,२८८·००
	४	बसंतपुर	१९७६-७७	२८,८५७·००
	५	सारंगापुर	१९७६-७७	२९,४७०·००
	६	हमीरपुर	१९७६-७७	३०,९५६·००
पयागपुर	७	सेवहा	१९७६-७७	२९,३९२·२५
	८	लिंगड़ी गूलर	१९७६-७७	२९,०००·००
गिलौला	९	परेवपुर	१९७७-७८	३८,०००·००

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर ।)

तालिका

क्र०सं०	नाम विकास खन्ड	वर्ष	विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि	विकास कार्य जिसमें धन का उपभोग किया गया है
१	२	३	४	५
			रु०	
१	महमूदाबाद	१९७४–७५	८००·००	कूप निर्माण तथा खड़ंजा, पुलिया व अधूरे स्कूल का निर्माण ।
		१९७५–७६	३५,८८९·५८	पुलिया निर्माण, कूप निर्माण ।
		१९७६–७७	१,०६,५३७·००	कूप निर्माण, पुलिया निर्माण, खड़ंजा निर्माण तथा अधूरे स्कूल का निर्माण (५'०० रु० निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र०, लखनऊ को वापस किए गए ।)
		१९७७–७८	४८,७४३·००	अधूरे स्कूल निर्माण, कूप निर्माण तथा पुलिया निर्माण (३,७२५·०० रु० उपभोग हेतु अवशेष हैं ।)
		१९७८–७९	७५,०००·००	हरिजन पेय कूपों का निर्माण ।
२	पहला	१९७४–७५	८००·००	पुलिया मरम्मत तथा प्रोत्साहन पुरस्कार श्रमदान शिविर ।
		१९७५–७६	३९,३३२·००	कूप निर्माण, खड़ंजा निर्माण, कूप मरम्मत, पुलिया निर्माण तथा पुरस्कार वितरण ।
		१९७६–७७	१,००,०३७·००	खड़ंजा निर्माण, पेय जल कूप, कूप मरम्मत, पुलिया निर्माण, पाठशाला भवनों की मरम्मत तथा निर्माण ।

१	२	३	४	५
			रु०	
		१९७७–७८	८१,१७८·००	हरिजन पेय जल कूपों का निर्माण, पुरस्कार वितरण तथा सिंचाई कार्य हेतु अनुदान का भुगतान (२६,९२८·०० रुपये उपभोग हेतु अवशेष हैं।)
		१९७८–७९	७३,४३६·००	हरिजन पेय जल कूपों का निर्माण (१,४३६·०० रुपये उपभोग हेतु अवशेष हैं।)
३	रामपुर मथुरा	१९७४–७५	८००·००	पेय जल, कूप निर्माण तथा हैन्ड पम्प।
		१९७५–७६	३७,३८२·००	नेत्र चिकित्सा शिविर, पुलिया निर्माण, कूप निर्माण तथा हैन्ड पम्प।
		१९७६–७७	१,०२,५३७·००	कूपों की मरम्मत, खड़ंजा निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पुलियों की मरम्मत, पुलों का निर्माण, पेय जल कूप, पाठशाला भवन, हैन्ड पम्प।
		१९७७–७८	४७,९२८·००	पेय जल कूपों का निर्माण तथा पुलियों का निर्माण।
		१९७८–७९	७८,६८६·००	पुलियों का निर्माण तथा पेय जल कूपों का निर्माण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर ।)

वर्ष १९७८-७९ में ऊसर भूमि सुधार योजनान्तर्गत पाइराइट की बहराइच जनपद की विकास खन्ड वार आवंटित मात्रा कृषि योग्य बनाई गई भूमि प्रति एकड़ व्यय की मात्रा का विवरण प्रपत्र

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	पाइराइट की आवंटित मात्रा (मै०टन)	पाइराइटकी प्रयुक्त की गई मात्रा (मै०टन)	कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	मृदा सुधारक प्रति एकड़ व्यय (रु० में)
१	२	३	४	५	६
१	महसी ..	३०·०००	५·३५०	४·२५	८६·१०
२	जमुनहा ..	३०·०००	..	..	..
३	बलहा ..	३० ०००	३०·०००	२८·००	७३·२८
४	शिवपुर ..	२०·०००	१३·५००	१२·००	७६·९५
५	चित्तौरा ..	२०·०००	२०·०००	१८·००	७६·००
६	फरवरपुर ..	१०·०००	१०·०००	९·००	७६·००
७	हरिहरपुर रानी ..	१०·०००	८·५००	६·५०	८९·४५
८	पयागपुर ..	१०·०००	८·२५०	६·८०	८२·९८
९	इकौना ..	१०·०००	९·९५०	७·५०	९०·७४
१०	विशेसरगंज ..	१६·२५०	४·१००	३·५०	८०·१३
११	हुजूरपुर ..	१०·०००	१·६५०	१·४५	७७·८३
	योग ..	१९६·२५०	१११·३००	९७·००	७८·४८ औसत

पी० एस० यू० पी०--१२ विधान सभा--१९७९--६१०--पी० डी० ।